पंचम माला, खंड 63, अंक 6 मंगलवार, 17 अगस्त 1976/26 श्रावण, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXIII, No. 6 Tuesday, August 17, 1976/ Sravana 26, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र / **Seventeenth Session**]

5th Lok Sabha

[खंड 63 में अंक 1 से 10 तक हैं / **Vol. LXIII contains Nos. 1 to 10**]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, मंगलवार, 17 अगस्त; 1976/26 श्रावण; 1898 (शक)

No. 6, Tuesday, August 17, 1976/Sravana 26, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
*तारांकित प्रश्न संख्या 102, 106, 108, 110, 111, 117 और 118	*Starred Questions Nos. 102, 106, 108, 110, 111, 117 and 118 .	1—10
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 101, 103, 105, 107, 109, 112 से 116, 119 और 120	Starred Questions Nos. 101, 103, 105, 107, 109, 112 to 116, 119 and 120	10—15
अतारांकित प्रश्न संख्या 842 से 862, 864 से 876, 878 से 883, 885 से 903, 905 से 921, 923 से 933 और 935 से 953	Unstarred Questions Nos: 842 to 862, 864 to 876, 878 to 883, 885 to 903, 905 to 921, 923 to 933 and 935 to 953	15—67
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	68—73
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on private Members' Bills and Resolutions—	
66वां प्रतिवेदन	Sixty-sixth Report . . .	73
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति —	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
54वां, 55वां और 56वां प्रतिवेदन	Fifty-fourth, Fifty-fifth and fifty-sixth Report	73—74
दिल्ली विक्रय कर (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक—पुरःस्थापित	Delhi Sales Tax (Amendment and Validation) Bill—*Introduced*	74
राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र विधेयक—	Territorial Waters, Continental Shelfs, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Bill—	74—86
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	74

किसी नाम पर अंकित यह+ इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao .	74-76
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	76
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	76—77
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta .	77-79
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	79-80
डा० हेनरी ग्रस्टिन	Dr. Henry Austin .	81
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	81-82
श्री एच० ग्रार० गोखले	Shri H.R. Gokhale .	82-84
खण्ड 2 से 16 ग्रौर 1	Clauses 2 to 16 and 1	84—86
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	86
श्री एच० ग्रार० गोखले	Shri H.R. Gokhale	86
भारत की ग्राकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक—	Contingency Fund of India (Amendment) Bill—	86-90
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	86
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi .	86—87, 89
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	87
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga .	87
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	87-88
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan .	88-89
खण्ड 2 ग्रौर 1	Clauses 2 and 1	90
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . .	90
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi .	90
विदेशी मुद्रा संरक्षण ग्रौर तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) विधेयक—	Conservation of Foreign Exchange and Prevention of smuggling Activities (Second Amendment) Bill—	91-98
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	91
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	91
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	91-92
श्री बी० ग्रार० शुक्ल	Shri B.R. Shukla . .	92
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	92-93
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan .	93-94
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	94-95
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	95
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	95-96
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	96
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar .	96—97
श्री बालकृष्ण वेंकन्न नायक	Shri B. V. Naik .	97-98
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	98
कार्य मन्त्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
63वां प्रतिवेदन	Sixty-third Report	98

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 17 अगस्त, 1976/26 श्रावण, 1898 (शक)

Tuesday, August 17, 1976/Sravana 26, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair.*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्वचालित चेतावनी व्यवस्था

*102. श्री एम० एस० पुरती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के स्वामित्व वाली इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे के प्रयोग के लिये स्वचालित चेतावनी व्यवस्था (आटोमैटिक वार्निंग सिस्टम) का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेलवे जोनों में कहां तक इसकी व्यवस्था हो गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स ई० सी० आई० एल० द्वारा सप्लाई किये गये 'इंजीनियर्ड माडल' का पूर्व रेलवे पर क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है।

Shri M. S. Purty : I would like to know when the field trial of the 'engineered model' supplied by the E.C.I.L. was undertaken and whether it has yielded any result and whether it will be installed on all the railways if it yields good results in future? If so, when?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Yes, Sir, a test has been conducted of the 'engineered model' supplied by M/S E.C.I.L Certain defect has been detected in it and it has been removed and order for this has been placed on this company and all the future requirements of the railways will be met by this company.

साबरमती स्टेशन के स्टेशन मास्टर की हत्या

*106. श्री हरी सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अहमदाबाद के निकट साबरमती स्टेशन का स्टेशन मास्टर 7 जुलाई, 1976 को रेलवे यार्ड में कत्ल हुआ पाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कथित हत्यारे कौन थे ; और

(ग) इस स्टेशन और रेलवे यार्ड में ऐसे अपराधों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Not yet known.

(c) Police patrolling has been started in the area and on the road where this incident took place. All out efforts are being made by the police to detect this case. Reward of Rs. 1,000 has been announced to the person who will give clue of the murderers.

Shri Hari Singh : I would like to know whether during the course of their investigation it has been found that workers of some political parties are very active in committing such crimes on the railways ?

Shri Buta Singh : I have got no such information available with me.

Extension of Service of Officers and Employees on Railways

*108. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether in view of growing un-employment in the country, Government had decided not to extend the services of retiring Railway officers and employees ;

(b) whether despite this, services of Railway officers and employees have been extended during the last one year ; and

(c) if so, the number of such officers and employees ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). अधिवार्षिता के बाद रेल अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा अवधि में वृद्धि, विशेष रूप से योग्य समझे गये मामलों में बहुत सोच समझकर और कम सीमा तक की गई है । देश की आम बेरोजगारी पर इस प्रकार सेवा अवधि में की गई वृद्धि का प्रभाव नगण्य है ।

(ग) अधिकारी : 28

कर्मचारी : 35

Shri Ramavatar Shastri : I want to know whether the Department of Personnel and Administrative Reforms has issued any circular to all the departments in regard to those persons who have attained the age of superannuation or question of their re-employment is involved; if so, whether the Railway Administration has received it or not ; if so, what has been stated in it in regard to these two points ?

Shri Buta Singh : We have received circulars in this regard from the Ministry of Home Affairs as well as the departments mentioned by the hon. Member and there is an order of November 1968 by the Minister also. It is done very sparingly in specially deserving cases only. It has not been the practice. We are fully implementing this order.

Shri Ramavatar Shastri : I quote below what the Prime Minister has said in regard to extension and re-employment in that circular :

"In such cases it should be possible for Department to consider alternative arrangements well in advance. If necessary a person could be posted as under-study for some time. Re-employment and extensions of service should be permitted only in exceptional cases. Cabinet Secretary might stress this point to various Ministries Departments."

In this context I would like to know whether extension /reemployment cases of 28 officers and 35 employees, who had attained the age of superannation or who were about to retire are according to this criterion and if not, how this has been violated ?

The Minister of Railways (Shri Kamlapati Tripathi) : We implement the order of the Prime Minister fully and strictly and will continue to do so. Orders were carried out in this very matter. Sometimes it happens that a person is doing certain specific job and there can be hurdle in it on account of his retirement. Therefore, extension for short period is granted to him. We have given extensions to certain people who worked with us during the period of strike. Sometimes one is reemployed or given extension for short period because the department is unable to find a suitable candidate. The hon. Member should know that about 17-18 lakh people work on railways and heavens did not fall by giving extension/reemployment to 28 or 35 persons.

Shri Ramavatar Shastri : You have given the number of persons whose services have been extended and not the persons who have been given reemployment. Their number would indicate whether the rules have been followed or some favourtism has been shown.

Shri Buta Singh: The question asked has been replied to. No favourtism has been shown.

Shri D. N. Tewari : After the strike it was announced to give four benefits to loyal employees in the railway administration, firstly, son of a railway employee will be given employment, secondly, some incentive will be given, thirdly, extension will be granted and fourthly, increment will be granted. I would like to know whether all the persons who had applied for extension have been granted extension or some body has been left ? Some persons wanted extension only because they did not want other benefits. What are you doing for them ?

Shri Kamlapati Tripathi : This question requires prior notice. Only then a list can be submitted. But so far I remember all the persons have not been granted extension. Extensions have been granted in deserving cases only. Others were given some a ward or increment. Still there may be some such persons as about 8 lakh employees remained loyal during the strike and each of them has got some sort of facility —I do not say so. We will look into the cases brought to our notice by you.

Shri M. C. Daga : What is the total number of persons in the railway department who want re-employment after attaining the age of superannuation and their services are indispensable ?

Shri Buta Singh : It requires notice. If desired we will collect the figures.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : रेल मंत्री ने बताया कि 33 कर्मचारियों को सेवायें बढ़ाई गई हैं। 17 लाख कर्मचारियों में से चतुर्थ व तृतीय और द्वितीय श्रेणी के कितने कर्मचारियों ने सेवा वृद्धि के लिये आवेदन दिया था और कितने मामलों में रेल प्राधिकारियों ने उनके आवेदनों को स्वीकार किया है या वे अभी भी विचाराधीन हैं ?

श्री बूटा सिंह : इस सम्बन्ध में सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं और उन के अनुसार हड़ताल के तुरन्त बाद और 31 दिसम्बर, 1975 से पूर्व प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया और योग्य पाये गये व्यक्तियों की सेवायें बढ़ाई गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि इनमें से कितने तीसरी श्रेणी और कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं ?

श्री बूटा सिंह : यदि वह आम सूचना चाहते हैं तो मैं उन्हें आंकड़े दे सकता हूं।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has stated that 28 Class I railway officers have been given extension. I would like to know whether his Ministry has received complaint that such extensions have been given on political grounds.

Shri Buta Singh : These 28 officers do not belong to Class I only. They include Class II also. We have got no such information which shows some sort of discrimination in the matter.

वियतनाम में तेल की खोज के लिये भारतीय सहायता

*110. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने वियतनाम में तटदूर तेल की खोज तथा तेल क्षेत्रों का विकास करने के लिये उस देश को सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख). भारत ने वियतनाम को उनके देश में अपतटीय तेल अन्वेषण और तेल क्षेत्रों के विकास के लिये कोई सहायता प्रदान नहीं की है तथापि भारत ने वियतनामी लोगों को भारत में स्थित संस्थानों में अथवा भारतीय विशेषज्ञों को वियतनाम भेज कर तेल उद्योग की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण देने की सुविधा दी है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वियतनाम में तेल उद्योग के विकास के लिये भारत की सहायता के प्रश्न पर भारत सरकार और वियतनाम सरकार के बीच कोई चर्चा हुई है ? यदि हां, तो वियतनाम की सरकार ने हमारी सरकार से किस प्रकार की सहायता की मांग की है ?

श्री के० डी० मालवीय : वियतनाम सरकार ने कुछ पूछ-ताछ की है। इस सम्बन्ध में मैं उनके राजदूत से भी यहां मिला। हमने उन बातों पर चर्चा की जिसमें हम उनकी सहायता कर सकते हैं और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि वियतनाम में तट पर और तटदूर दोनों क्षेत्रों में तेल की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये भारत उन्हें पूरी सहायता देगा। इस समय हमने कुछ प्रस्ताव किये हैं और वे वियतनाम की सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि भारत ने बम्बई हाई में तेल के लिये तटदूर खोज में काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है और वियतनाम के लिये भी तटदूर खोज महत्वपूर्ण है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत इस क्षेत्र में उनके आदमियों को प्रशिक्षित करेगा या अपने विशेषज्ञ उनके आदमियों को प्रशिक्षण देने के लिये भेजेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह ऐसा नहीं है। जहां तक तटदूर ड्रिलिंग और इंजीनियरिंग आदि का सम्बन्ध है, वियतनाम की सहायता के लिये भारत का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। प्राथमिक बात यह है कि मामले को नये सिरे से शुरू किया जाये और प्रारम्भिक सर्वेक्षण, भूकम्पीय वक्षण आदि किये जायें। तेल की खोज के कार्य में हम वियतनाम जैसे मित्र देशों को सहायता कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में विचार विमर्श चल रहा है और हम वियतनाम सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बिना टिकट यात्रा

*111. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की सतर्कता के बावजूद बिना टिकट यात्रा जारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष जुलाई, 1976 तक कितने बिना टिकट यात्री पकड़े गये ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई विशेष उपाय किये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, लेकिन बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में बहुत कमी हुई है ।

(ख) लगभग 13.89 लाख व्यक्ति ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये जो कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) वरिष्ट रेल अधिकारियों के पर्यवेक्षण में टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के एक बहुत बड़े दल को लेकर बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिये व्यापक रूप से विशेष जांच की जाती है ।

(2) राज्य सरकारों के साथ तालमेल कायम करके बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं ।

(3) बार-बार संकेन्द्रित अचानक जांच, विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा दल/पुलिस तथा रेलवे मजिस्ट्रेट के साथ टिकट जांच करने वाले दलो को सड़क परिवहन द्वारा ले जाकर जांच करना ।

(4) सादे कपड़ों में चल टिकट परीक्षकों द्वारा गुप्त रूप से जांच करना ।

(5) खण्डों के बीच गाड़ियों को रोककर मुख्यालय और मण्डल टिकट जांच दस्तों द्वारा जांच करना ।

(6) एक रेलवे टिकट जांच कर्मचारियों का दूसरी रेलवे पर टिकट जांच करने के लिये लगाना ।

(7) यात्रा करने वाले लोगों, विशेषकर छात्र समुदाय के बीच बिना टिकट यात्रा को रोकथाम के लिये शिक्षाप्रद प्रचार करना ।

(8) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिये चलाये जाने वाले अभियानों में रेल मंत्रालय में कार्यरत गैर-सरकारी स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति की भी सहायता ली जाती है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : गत वर्ष बिना टिकट यात्रा करने वालों से कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: बिना टिकट यात्रा करने वालों से गत वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये वसूल किये गये । इसके अतिरिक्त 35 लाख रुपये जुर्माने के रूप में प्राप्त हुये जो राज्य सरकारों को भेज दिये गये । इसके अतिरिक्त टिकटों की बिक्री 34 करोड़ से बढ़ कर 50 करोड़ रुपये हो गई ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : विवरण से पता चलता है कि रेलवे को बिना टिकट यात्रा की जिस स्थायी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, सरकार उसके लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन एक बात मंत्री महोदय ने नहीं बतायी है और वह यह कि क्या मंत्री महोदय ने अचानक टिकट जांच करने वाले दस्तों के कार्य का निरीक्षण किया है ; और यदि हां, तो उनका क्या अनुभव है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं स्वयं, उपमंत्री तथा मेरे वरिष्ट साथी, पंडित जी, बिना टिकट यात्रियों की जांच करने के कार्य में भाग लेते हैं। आपात स्थिति शुरू होने से लेकर अब तक रेलवे ने लगभग 94,000 अचानक जांच की है। अधिकांशतः हम देश के विभिन्न भागों में अचानक जांच करवाते रहे हैं।

Shri R.P. Yadav : May I know whether the hon. Minister is aware that when ticketless travellers are produced before the Railway Court, Railway Magistrate tries to enter into bargain with ticketless travellers ? In this connection, I have got a personal information. In my area there is a Marji Junction where a Railway Magistrate is there. The ticketless travellers, who are to be produced before him, are asked to give some hush money. If they agree for the same, their fine is reduced, otherwise they are heavily fined. May I know if Government is aware of the fact ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: It would have been a matter of pleasure for me if the hon. Member had provided me this information by writing me in advance. But still as he has raised this question, I want to assure him that no bargaining is entered with ticketless travellers. The amount of penalty imposed by the Magistrate is given to the State Government and the cost of tickets is retained by the railway.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमारे देश में यह बात सुनने में आती है कि जब तक किसी काम में रुचि न ली जाए, तब तक सफ़लता नहीं मिलती। इसी प्रकार जब तक रुचि न ली जाए, तब तक बिना टिकट यात्रा को नहीं रोका जा सकता। हमें बहुत प्रसन्नता है कि मुख्य रेल मार्गों पर यह समस्या काफ़ी हद तक हल हो गई है और इसके लिए मैं रेल मन्त्री और रेल मन्त्रालय को बधाई देता हूं। लेकिन हाल में मैंने ब्रांच लाइन की गाड़ियों से यात्रा की थी और मैंने पाया कि उनमें बिना टिकट यात्रा पहले की तरह ही चल रही है और उसमें कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। इन ब्रांच लाइनों में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : प्रारम्भ में हमने उन गाड़ियों पर ध्यान केन्द्रित किया जिन गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा बहुत अधिक होती थी। बाद में हमने अपना ध्यान ब्रांच लाइनों की गाड़ियों पर डाला और अब हम उन गाड़ियों पर बिना टिकट यात्रियो की जांच कर रहे हैं। हो सकता है, किसी विशेष ब्रांच लाइन में बिना टिकट यात्रा फिर शुरू हो गई हो। लेकिन सरकार बहुत सतर्क है और सरकार इस बारे में बहुत गम्भीर कार्यवाही करने वाली है।

Shri Paripoornanand Painuli : I would like to know the areas and trains on which ticketless travelling is more rampant?

Secondly whether it has been enquired which type of people are involved in ticketless travelling and why the number of such people is at increase? Is it the only way to apprehend them in order to reduce their number or there is any other method also ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : According to the statistics available with me, this disease is spread all over the places. So, it is not proper to say that it relates to particular area or zone.

Shri Paripoornanad Painuli: May I know whether Government have done any psychological survey in this regard ?

Shri Y.P. Mandal: Will the hon. Minister also consider the question that a number of people have to travel without ticket due to inadequate number of window booking clerks at major stations. The Government should find out the Railway stations where inadequate booking staff results in ticketless travelling.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: All these things have been looked into; but ticketless travellors have become habitual offenders. So far as the question of looking windows is concerned, as I have already stated, the sale of tickets in the year 1974-75 was 34 crores which increased to 50 crores after proclamation of emergency.

Shri Nageshwar Dwivedi: May I know whether the hon. Minister is aware that the number of T.T.Es have not been increased in proposition to increase in number of trains as a result of which tendency of ticketless travelling has increased?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: At certain places, number of T.T.Es was more and therefore they were removed from those places and deputed at required places. In future also, wherever they are found short in number, more T.T.Es will be deployed.

Shri Narain Chand Parashar: Earlier, a right was conferred upon the Guard to issue, ticket to such traveller who was travelling without ticket but had informed him. But, now I think, this right has been withdrawn and his travellers are facing difficulty. Mostly it happens that persons reach station just at the eleventh hour. Keeping this in view whether the facility will be restored. It will reduce ticketless travelling.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: This facility is still in vogue. Tickets are issued not only the person who reached station just at the time to departure of train but also to that person who wants to extend his journey. Guards or conductors can issue tickets after charging excess fare.

कम खर्चीला स्टोव बनाने के लिये पुरस्कार

***117. श्री वसंत साठे :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अधिक सुरक्षित तथा मिट्टी के तेल की कम खपत वाले तथा कम दाम वाले स्टोव बनाने के लिये उपयुक्त पुरस्कार देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) सारे भारत में से 28 प्रतियोगियों से कुल 40 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। तथापि किसी को पुरस्कार नहीं दिया गया था क्योंकि किसी ने प्रतियोगिता के लिये निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं किया था।

श्री वसंत साठे : देश में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी नहीं है। ऐसे कई लोग, विशेषकर युवा अन्वेषक हैं जो केवल नई प्रौद्योगिकी बल्कि डिजाइन तैयार कर रहे हैं जिससे मिट्टी के तेल तथा गैस की खपत में कमी आएगी और ये वस्तुएं घरेलू कार्यों के लिए सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। ऐसे अन्वेषकों की सहायता करने के लिए मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है क्योंकि हम जानते हैं कि गैस सिलेण्डरों की कीमतें बहुत अधिक हैं। छोटे लोगों द्वारा मिट्टी के तेल का उपयोग करने के लिए मन्त्रालय अन्वेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : 40 डिज़ाईन प्राप्त हुए लेकिन कोई भी डिज़ाईन निर्धारित नमूनों के अनुरूप नहीं था अर्थात् कोई भी डिज़ाईन ऐसा नहीं था जिससे कार्यक्षमता में वृद्धि हो। हमने उन लोगों की सहायता की तथा प्रति-सुझाव दिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे सदन में यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रतिस्पर्धियों की असमर्थता के बाद अन्ततः भारतीय पैट्रोलियम संस्थान तथा मन्त्रालय के अनुसन्धान तथा विकास संस्थानों ने यह कार्य शुरू किया और वह कैरोसीन चूल्हा बनाने में सफल हो गया है जिसकी कार्यक्षमता गैस के चूल्हे की भांति और किन्हीं-किन्हीं मामलों में तो उससे भी अधिक है। इसका परीक्षण किया जा रहा है। इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मैंने स्वयं कई बार इसकी कार्यक्षमता का परीक्षण किया है। शीघ्र ही, अगले सप्ताह तक इसको अन्तिम रूप से स्वीकृति

की जाएगी। प्रधान मन्त्री स्वयं इसमें रुचि ले रही हैं। सम्भवतः स्वीकृति से पूर्व वह भी इसे देखना चाहेंगी। अगले तीन या चार सप्ताहों में हम इसे बाजार में लायेंगे और इसका अच्छी तरह प्रचार करेंगे ताकि लोग इसे खरीदें। यदि इसने ठीक कार्य किया तो इससे हर वर्ष करोड़ों रुपये के मिट्टी के तेल की बचत होगी।

श्री वसंत साठे : उत्साहवर्द्धक सूचना देने के लिए मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं। क्या मन्त्री महोदय इस चूल्हे का प्रदर्शन संसद् सदस्यों के लिए करेंगे ? यदि वह चाहें, तो मैं विट्ठलभाई पटेल हाउस में इसके प्रदर्शन का प्रबन्ध कर सकता हूं।

श्री के० डी० मालवीय : इसको अन्तिम रूप देने से पूर्व, मन्त्रालय केन्द्रीय हाल या अन्य किसी स्थान पर इसका प्रदर्शन करेगा।

Shri R. S. Pandey: The attention of the Oil Minister has been continuously drawn towards making less consumption in respect of oil and petrol and increasing the production. Twenty years ago he might have thought that there will be shortage of oil, petrol and kerosene oil and so he inaugurated a solar cooker. May I know what happened to that solar cooker which will save oil etc.

Shri K. D. Maleviya: So far as I know solar cooker is in use and is being utilized by many people.

Shri Bibhuti Mishra: The hon. Minister has just mentioned a cooker. May I know what minimum expenditure will it entail and how much oil will be saved keeping in view the oil consumption of a stove. May I know whether the small farmers of the villages will also be benefited by it.

Mr. Speaker : Will it be a Janta Cooker or not?

Shri K.D. Malaviya: Janta stove is on sale in the market and its efficiency is 28% The efficiency of one Janta stove will be 60 to 62%. It will save at least half of the kerosene. If our estimates go true there will be an annual saving of about Rs. 15 to 18 crores in the matter of kerosene. What will be its price it cannot be said at present. If the State Governments will exempt it from sales tax it will be a very cheap stove.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तंजानिया में तेल की खोज के लिये अनुबन्ध

*118. **श्री रामसहाय पांडे :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तंजानिया में तेल की खोज करने के लिये तंजानिया सरकार के साथ अनुबन्ध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुबन्ध की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). तंजानिया में सांगों-सांगो पर एक अन्वेषी कुओं के व्यधन हेतु व्यवस्थित व्यधन ठेके के लिये तंजानियन पैट्रोलियम डेवेलपमेंट कारपोरेशन (टी० पी० डी० सी०) के साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 20 दिसम्बर, 1975 को एक करार पर हस्ताक्षर किये। यह एक अन्वेषी ठेका नहीं है। ठेके के अनुसार काय के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को टी० पी० डी० सी० भुगतान करेगा। ठेके में यह भी व्यवस्था है कि टी० पी० डी० सी० व्यधन कार्यों के लिये अपेक्षित उपभोग्य सामग्री की व्यवस्था करेगी तथा सिविल निर्माण कार्य आवास सर्च कार्मिक दल तथा अन्य कर्मचारियों के लिए परिवहन, अकुशल श्रम लागत, पी० ओ० एल० आदि की भी व्यवस्था करेगी।

Shri R. S. Pandey : Thanks for the fine job done by you.

श्री बी० वी० नायक : तकनीकी दृष्टि से विकसित जिस किसी भी देश ने तेल की खुदाई का काम किया तो उन्होंने यह शर्त लगायी कि कच्चे तेल का कुछ भाग अथवा जितना भी पैट्रोलियम उपलब्ध हो, तकनीकी दृष्टि से विकसित देश को दिया जायेगा । क्या हम भी किये गये करार द्वारा इस प्रकार की शर्त लगा रहे हैं ? क्या यह स्वीकार्य है ? क्या इसे अजमाया गया है और यदि हां, तो उस देश की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : तनजानिया सरकार के साथ किया गया यह एक विशिष्ट करार है और यह सहयोग तथा मित्रता पर आधारित है । हमारा तनजानिया के साथ किसी प्रकार का व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक करार करने का कोई विचार नहीं है । हम वहां कुआ खोदने के लिये सहमत हो गये हैं । हमने केवल खुदाई की लागत के बारे में कहा है और तनजानिया के साथ हमारा कोई वाणिज्यिक समझौता नहीं है ।

श्री वसंत साठे : मैं जानना चाहता हूं कि यह समझौता क्या केवल खुदाई के लिये है अथवा तेल की खोद सम्बन्धी सन्यन्त्र स्थापित करने के लिये भी है ?

श्री के० डी० मालवीय : प्रतीत होता है कि गैस के क्षेत्र की खोज की जा चुकी है । कुछ अन्य कम्पनियां भी वाणिज्यिक आधार पर खुदाई करना चाहती हैं । तनजानिया सरकार ने हमसे अनुरोध किया था और हमने उन्हें अपना मैत्रीपूर्ण सहयोग प्रदान किया क्योंकि हम खुदाई करने योग्य हैं। एक बार जब वहां गैस का पता लग जाये, अर्थात् दूसरा कुआं पूरा हो जाने पर गैस लग जायेगा, तो सम्भवतः वे हमें परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने के लिये कहेंगे और हम इसके लिये सहमत हो जायेंगे ।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या यह सच है कि अभी हाल में तनजानिया के एक कुएं में एक बड़ा धमाका हुआ था जिसके फ़लस्वरूप वहां के क्षेत्र को बहुत क्षति हुई और तनजानिया सरकार भारतीय ठेके को रद्द करने वाली थी ।

श्री के० डी० मालवीय : प्रश्न का आखिरी भाग बिल्कुल गलत है । यह सच है कि धमाका हुआ था और धमाके होते ही रहते हैं । हम सफ़ल नहीं हुये । कोई गलती हुई थी और जांच हो रही है कि यह सब कैसे हुआ और इस नुकसान के लिये कौन जिम्मेवार है । अब हमने वहां अपने व्यय पर दूसरी तथा नई रिग भेज दी है ताकि हम करार को पूरा कर सकें ।

जब कभी कुआं खोदा जाता है और गलती होती है तो यह हो ही जाती है । हम दूसरे कुएं को सफ़लतापूर्वक समाप्त करने की आशा रखते हैं और उसके बाद ही हम अगले कार्यक्रम को लेंगे ।

श्री भागवत झा आज़ाद : तनजानिया सरकार के साथ किया गया यह अनुबन्ध क्या इस देश के अन्दर वाणिज्यिक तथा किसी इसी प्रकार के उद्देश्य से बनाये गये एक परामर्शदात्री ढांचे का एक भाग है अथवा यह केवल मात्र एक अनुबन्ध है ? यदि यह इस बनाये गये पूरे ढांचे का भाग है तो इससे हमारे परामर्शदात्री ढांचे तथा हमारी तकनीकी जानकारी का किस सीमा तक विकास होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह इस प्रक्रिया की शुरुआत ही है और मुझे आशा है कि इस तेल अथवा गैस के कुंए के पूरा होने के बाद हम सहायता तथा सहयोग की अगली प्रक्रिया को कार्यान्वित करेंगे जिसके लिए हम पूर्णतः सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 119, श्री शशि भूषण अनुपस्थित है ।

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मेरे विचार में कोई अन्य सदस्य प्रश्न पूछे । मैं रात भर इस प्रश्न के उत्तर को तैयार करता रहा और अब मैं बहुत निराश हो गया हूं । सरकार तथा संसद ने कितना पैसा खर्च किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि हम नियमानुसार ऐसा नहीं कर सकते ।

श्री के० लकप्पा : कुछ माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य उपस्थित नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता ।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं । आपकी बहुत शक्तियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य उपस्थित हो तो मै परामर्श को स्वीकार करने को तैयार हूं। क्या कोई अन्य माननीय सदस्य उपस्थित है ? कोई नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तटदूर क्षेत्रों के विकास के लिये विदेशों से परामर्श सम्बन्धी समझौते

*101. **श्री सत्रभाई मेहता :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भारत में तटदूर क्षेत्रों के विकास के लिए उन्नत देशों से दीर्घकालिक परामर्श सम्बन्धी समझौतो की सम्भावनाओं का पता लगाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इन प्रस्तावों से सहमत नहीं हुए हैं; और

(ग) क्या इस बारे में भारत की सहायता करने के लिए कोई देश सहमत है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कुछ विदेशी कम्पनियो ने इस मामले में रुचि दिखाई है । इस सम्बन्ध में इस समय कोई ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है ।

Legal Aid to poor

*103. **Shri Shanker Dayal Singh :** Will the Minister of Law, Justice & Company Affairs be pleased to state:

(a) Whether any kind of financial assistance has been given to states to privide free legal aid to the poor; and

(b) if so, the figures thereof?

The Minister of Law, Justice and Company affairs (Shri H.R. Gokhale): (a) No sir.

(b) Does not arise.

नाईट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन

***105. श्री के० मालन्ना :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इस समय देश में नाइट्रोजनयुक्त तथा फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन की स्थापित क्षमता क्या है ;

(ख) क्या यह उत्पादन देश की उर्वरक की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) उर्वरक के उत्पादन के लिए वर्तमान स्थापित क्षमता नाइट्रोजन के रूप में 29.75 लाख मी० टन तथा पी$_2$ ओ$_5$ के रूप में 6.92 लाख मी० टन है ।

(ख) और (ग) : आशा है कि वर्ष 1976-77 के दौरान उर्वरक का देशीय उत्पादन नाइट्रोजन के रूप में 19.5 लाख मी० टन तथा पी$_2$ ओ$_5$ के रूप में 4.8 लाख मी० टन होगा जैसाकि कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमान लगाया गया है । 1976-77 के लिए उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान नाइट्रोजन के रूप में 26.5 लाख मी० टन तथा पी$_2$ ओ$_5$ के रूप में 3.5 लाख मी० टन लगाया गया है । देशीय उत्पादकों के पास स्टाक तथा देशीय उत्पादन के रूप में 6 लाख मी० टन एवं पोटाश के रूप में उपलब्ध कुल मात्रा तथा वर्ष के प्रारम्भ में सैण्ट्रल फर्टिलाइजर पूल में उर्वरक के अनुमानित आवश्यकता में गिरावट होने से अन्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त आयात करने हेतु व्यवस्था की गई है । पोटाशीक उर्वरक के देशीय उत्पादन तथा उसकी आवश्यकताओं को पूर्णतः आयात द्वारा पूरा किया जाता है ।

रेलवे सुरक्षा के बारे में कृपाल सिंह समिति की रिपोर्ट

***107. श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा और बचाव के बारे में कृपाल सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं ये हैं—संगठन की संरचना में सुधार तथा सुरक्षा दलों अर्थात् रेल मंत्रालय के अधीन सुरक्षा बल तथा राज्य सरकारों के अधीन सरकारी रेलवे पुलिस और जिला पुलिस में समन्वय तथा उनकी कार्य व्यवस्था में सुधार ताकि वे यात्रियों तथा परिवहन के लिए रेलों के सुपुर्द की गई सम्पत्ति के साथ-साथ रेलों की अपनी सम्पत्ति की भी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, क्षतिपूर्ति के दावों की संख्या घटाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल को और अधिक कानूनी अधिकार तथा वाणिज्यिक विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची

*109. **श्री ए० के० कोत्राशट्टी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सभी उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची रखने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या मुख्य न्यायाधिपतियों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 222 के अधीन, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके किसी न्यायाधीश को, जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी शामिल है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित कर सकते हैं । हाल ही में दो मुख्य न्यायाधिपतियों को स्थानान्तरित किया गया था ।

एल० पी० जी० सिलिण्डरों में भरी गैस की जांच करने के उपाय

*112. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वी** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरल पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) के उपभोक्ताओं के पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वे उन्हें दिए जाने वाले गैस के सिलिण्डरों में भरी गैस की जांच कर सकें ; और

(ख) क्या प्रत्येक ऐसी सिलिन्डर में गैस की जांच करने और उसके लिए कोई प्रमाण पत्र देने के लिए सरकार की कोई ऐसी व्यवस्था है, ताकि उपभोक्ता उतनी गैस प्राप्त कर सकें जिसके लिए वे भुगतान करते हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने वाली गैस) को भरने वाले प्लांट पर सिलैण्डरों को उनके भार के अनुसार भरने वाली मशीन पर भरा जाता है । सिलैण्डरों को ठीक प्रकार भरने के लिए दुबारा जांच की जाती है और उनको फुटकर विक्रेता के पास भेजने से पूर्व मोहरबन्द किया जाता है । डीलरों के प्रदर्शन कक्ष (शो रूम) और गोदामों में भी उनका निरीक्षण किया जाता है । इसके अतिरिक्त खाली सिलैण्डर का वजन उसके ऊपर दर्शाया जाता है । सिलैण्डर में एल पी० जी० के वजन की जांच सिलैण्डर को तोल कर और उससे सिलैण्डर का लक्षित वजन घटा कर की जा सकती है । यदि उपभोक्ता चाहे तो वह अपनी उपस्थिति में सिलैण्डर का वजन डीलर के शो रूम/गोदाम में करा सकता है ।

राज्य व्यापार निगम की औषधियों के मूल्य

*113. **श्री खेमचन्दभाई चावड़ा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित औषधियों के मूल्य में अप्रैल, 1976 से वृद्धि कर दी है ;

(ख) क्या अप्रैल, 1976 से राज्य व्यापार निगम ने पुनरीक्षित मूल्य लेना आरम्भ कर दिया है जब कि राज्य व्यापार निगम से खरीदे गए कच्चे माल से निर्मित फार्मूलेशनों के लिए किसी भी एकक को मूल्यो में वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां, । स्टेट कैमिकल्स एण्ड फारमेस्यूटीकल कारपोरेशन आफ इण्डिया के जरिए आयातित औषध मदों के मूल्य अप्रैल, 1976 में अन्तरिम आधार पर और 1 अगस्त, 1976 को अन्तिम आधार पर संशोधित किए गए थे । संशोधन सीमाशुल्क के साथ-साथ सी आई एफ मूल्य में परिवर्तन को ध्यान में रख कर किया गया था । कुछ मामलों में मूल्य बढ़ाए गए थे और कुछ में कम किए गए थे ।

(ख) और (ग). : आयातित औषध मल्यों के संशोधन के परिणामस्वरूप सूत्रयोग निर्माता ने ऐसे आयातित औषध के आधार पर सूत्रयोगों के मूल्यों के संशोधन के लिए डी जी आई सी पी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं और नियत सूत्रों के अनुसार औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है ।

कलकत्ता ट्यूब रेलवे में धीमी प्रगति

*114. श्री आर० एन० बर्मन :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता ट्यूब रेलवे का कार्य कार्यक्रमानुसार हो रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). संसाधनों की कठिनाई के कारण 1979 तक इस परियोजना के पूरा होने के मूल कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ा है। योजना आयोग ने सूचित किया है कि पांचवीं योजना के शेष वर्षों में इस परियोजना के लिये केवल सीमित धन उपलब्ध होगा । छठी योजना में संसाधनों की उपलब्धता के बारे में स्थिति स्पष्ट होने तक इस परियोजना के पूरा होने के बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

बेरोजगार स्नातकों को इण्डेन गैस की डीलरशिप

*115. श्री श्यामसुन्दर महापात्र : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा अच्छी वित्तीय स्थिति वाले बेरोजगार स्नातकों को इण्डेन गैस की डीलरशिप देने में कोई प्राथमिकता दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). इसके सामाजिक उद्देश्य की योजना के अन्तर्गत इण्डेन गैस के डीलरों के चयन में अन्य उपयुक्त वर्गों में से बेरोजगार इंजीनियरों/स्नातको को आई० ओ० सी० द्वारा भी प्राथमिकता दी जा रही है ।

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तटवर्ती समुद्री जल के 200 समुद्री मील क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव

*116. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तटवर्ती समुद्री जल के 200 समुद्री मील-क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र घोषित करने का और उस क्षेत्र में मछली पकड़ने और खनिज सम्बन्धी सभी अधिकारों का दावा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) संसद ने 27 मई, 1976 को संविधान के 40वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 297 का संशोधन करके राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नीचे की भूमियां खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित कर दी हैं ।

इस संशोधन के अधीन राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतटभूमि और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमायें विनिर्दिष्ट करने की शक्तियां एक संसदीय विधि द्वारा ग्रहण की गई हैं । इस प्रयोजन के लिए विधेयक राज्य सभा में 28-5-1976 को पुरःस्थापित किया गया था और वह उस सदन द्वारा 10-8-1976 को पारित किया गया था । अभी लोक सभा को उसे पारित करना है । इसके खंड 7 द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा 200 समुद्री मील है जिसकी माप उपयुक्त आधार रेखा से की जाएगी और यह भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंड के परे का और उससे लगा हुआ क्षेत्र है ।

पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहे उर्वरक कारखाने

*119. **श्री शशि भूषण** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उन उर्वरक कारखानों के नाम क्या है जो पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहे हैं तथा जो पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : वर्ष 1975–76 के दौरान और चालू वर्ष के अप्रैल-जुलाई, 1976 की अवधि के दौरान नाइट्रोजन और फास्फेटिक एककों की उत्पादन और क्षमता उपयोग सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र/और विवरण पत्र–II में दिये हुये है । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी०––11126/76] ।

संघटकों तथा अतिरिक्त पुर्जों के आयात में कटौती के कारण बचत

*120. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने संघटकों तथा अतिरिक्त पुर्जों के आयात में महत्वपूर्ण कटौती की है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975–76 के दौरान इससे कुल कितनी बचत हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी हां। बहुत सी वस्तुयें जिनका अब तक आयात किया जाता था, आयात सूची से निकाल दी गई है और इस प्रकार 1975–76 की अवधि में विदेशी मुद्रा की लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि की बचत हुई है। लेकिन इस उपाय के फलस्वरूप कितनी शुद्ध बचत होगी इसके बारे में पता लगाने में दो वर्ष का समय लगेगा।

बर्दवान और आसनसोल के बीच तथा दुर्गापुर–रानीगंज और आसनसोल के बीच उपनगरीय रेल सुविधाएं

842. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा बर्द्दवान और आसनसोल के बीच तथा दुर्गापुर-रानीगंज-आसनसोल के बीच के सेक्शनों पर सभी उपनगरीय रेल सुविधायें देने, तथा, इस सेक्शन पर अधिक स्थानीय तथा शटल गाड़ियां चलाने की स्थानीय यात्रियों, व्यापारियों एवं जनता द्वारा काफी समय से की जा रही मांग को पूरा किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). दैनिक यात्रियों के लिये हावड़ा और आसनसोल के बीच 14-8–76 से सुबह/सायंकाल के समय तेज चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी चलायी गई है। इस समय शटल गाड़ियों को चलाने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

पिम्परी औषध एकक में उत्पादन

843. **श्री अनन्त राव पाटिल :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के एक रुगण संयंत्र, पिम्परी एकक के कार्यकरण में वर्ष 1976 के पूर्वार्द्ध में सुधार हुआ है और जनवरी—मार्च, 1976 की तिमाही में उसने लाभ अर्जित किया है ;

(ख) क्या अप्रैल, 1976 से जापानी स्ट्रेन और प्रौद्यागिकी का उपयोग किया जाने लगा है और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या विस्तार कार्यक्रम आरम्भ हो गया है और वह कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) नई परियोजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है और अतिरिक्त रोजगार की कितनी गुंजाइश है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के उत्पादन में 1975 की तुलना में वर्ष 1976 के प्रथम 6 माह में अत्यधिक सुधार हो गया है। जनवरी—मार्च, 1976 की त्रैमासिक अवधि के दौरान कार्य संचालन के परिणामों से पिछले 3 वर्षों में प्रथम बार अधिशेष उत्पादन किया गया।

(ख) अप्रैल, 1976 से जापानी स्ट्रेन और प्रौद्योगिकी आरम्भ की गई है और इसके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

(ग) कम्पनी ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तार/विविधीकरण के लिये अनेक योजनायें प्रस्तुत की हैं । सरकार की अनुमति मिलते ही कम्पनी इन योजनाओं को कार्यान्वित करना आरम्भ कर देगी ।

(घ) योजना आयोग ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के विविधीकरण प्रायोजना के लिये 948.60 लाख रुपये का एक संशोधित आवंटन किया है । कम्पनी का अनुमान है कि योजनायें कार्यान्वित हो जाने पर 3230 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी ।

Withdrawal of orders of suspension/ dismissal in Bhusawal and Jhansi divisions.

844. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of cases in which orders of suspension and dismissal which were passed in Bhusawal and Jhansi divisions consequent upon the last Railway strike, have since been withdrawn?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh):

	Bhusawal Division	Jhansi Division including Mechanical workshop, Jhansi
(i) No. of employees suspended . . .	97	454
(ii) No. taken back to duty out of (i) .	97	442
(iii) No. of employees dismissed/removed	46	66
(iv) No. taken back to duty out of (iii)	41	59

Nature of new works done at Attari station

845 **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the nature of new works carried out at the Attari station on the Indo-Pak Railway line so far and the estimated expenditure incurred and proposed to be incurred thereon;

(b) whether any special arrangements have been made at Attari station for the rest and stay of passengers undertaking journeys between these countries; and

(c) the number of trains proposed to be run between India and Pakistan this year?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Following new works have been carried out at Attari Railway station on Indo- Pak Railway line:—

(i) Provision of a passenger platform shelter.

(ii) Provision of flush type latrines.

(iii) Provision of fancing.

(iv) Provision of furniture in office and at station.

(v) Provision of additional Tube Well for water supply.

(vi) Improvement of approach road to Station building.

Approximate expenditure incurred and proposed to be incurred on all these new works including provision of water coolers, lights and fans etc. is Rs. 9.00 lakhs.

(b) Yes.

(c) One pair of trains is now being run between Amritsar and Lahore. There is no other proposal for the present.

Case against Seetamau Out-agency

846. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2601 on the 27th April, 1976 regarding fraud by Manasa and Seetamau Railway Out-agencies and state:

(a) whether the case against Seetamau Out-agency has since been decided; and

(b) if so, the gist of the judgement given therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) & (b). The case is still pending in the Court. Challan against four persons including a clerk of Seetamau Out-agency, proprietor of Seetamau Out-agency, and the contractor of Manasa Out-agency, has been put up in the Court of Judicial Magistrate, Mandsaur and the case is under trial.

Tea Stalls, Trolleys and Book Stalls in Bombay division of Central Railway

847. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of tea stalls, trolleys and book stalls on the main and local lines of the Bombay division of the Central Railway at present; and

(b) the number of harijans, adivasis and persons belonging to backward classes who have been allotted such stalls and trolleys?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) There are at present 58 Tea Stalls, 5 Tea trolleys, 14 Book Stalls and 2 Book Trolleys on the main lines of Bombay Division of Central Railway. On the local lines of Bombay Division, there are 62 Tea Stalls and 33 Book Stalls.

(b) 7 Tea Stalls have been allotted to person belonging to Scheduled Castes.

कालका तथा शिमला स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव

848. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका और शिमला रेलवे स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

होस्टालेन के उत्पादन के लिये लाइसेंस

849. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में होस्टालेन 'हाई डेन्सिटी' पोलीथिलीन के उत्पादन हेतु लाइसेंसो के लिये कोई आवेदन-पत्र मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी फर्म को मंजूरी दी गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख). सरकार ने प्राकृतिक गैस पर आधारित अधिक घनत्व वाली 50,000 मी० टन पोलीथिलीन का प्रति

वर्ष निर्माण करने के लिये मैसर्स ई० आई० डी० पैरी से एक आवेदन पत्र प्राप्त किया है। आवेदन पत्र में प्रायोजना के वित्त पोषण और उसकी व्ययहार्यता के बारे में आवश्यक ब्यौरों की कमी है अत उस पर स्वीकृती हेतु विचार किया गया।

उत्तर प्रदेश में तेल की खोज

850. **श्री आर० के० सिन्हु :** क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में तेल की खोज का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का बरेली जिले में परेवा नामक स्थान और पिलीभीत जिले में पूरनर नामक स्थान पर खुदाई करने का प्रस्ताव है।

पटना को टाटानगर के रास्ते से मद्रास के साथ मिलाने का प्रस्ताव

851. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य को राजधानी पटना को निकट भविष्य में एक और तेज एक्सप्रेस गाड़ी चला कर टाटा नगर (जमशेदपुर) के रास्ते से मद्रास के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं, अभी नहीं।

Funds Sought for Conversion of Muzaffarpur-Raxaul Railway Line

852. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has sought funds from planning Commission for conversion of railway line from Muzaffarpur to Raxaul Via Motihari and Sagauli into broad gauge one ; and

(b) if so, the reaction of the Planning Commission thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) The Planning Commission have not yet approved the proposal.

रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज द्वारा प्राप्त किये गये विदेशी ठेके

853. **श्री भाऊ साहिब धामनकर :**
श्री श्यामसुन्दर महापात्र :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेज द्वारा अब तक कितने विदेशी ठेके प्राप्त किये गये हैं ;

(ख) ये ठेके किन देशों ने दिये हैं; और

(ग) प्रत्येक ठेके का मूल्य क्या है और ये ठेके किन परियोजनाओं के लिए दिये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

विवरण

देश का नाम	आर०आई० टी० इ० एस० को दिये गये ठेके का मुल्य (लाख रु० में)	ठेके की किस्म	वर्तमान स्थिति
सीरिया	24.75	तीन नयी रेलवे लाइनों का आर्थिक अध्ययन सहित प्रारम्भिक व्यावहार्यता एवं लागत सर्वेक्षण :— (क) डीर-एज़-जोर-पाल् मीरा (ख) डीर-एज़-जोर-अबकमल (ग) लटाकिया तथा टारटस	परियोजना पूरी हो गयी है और इसकी रिपोर्ट सीरिया के रेल प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दी गयी है।
ईरान	21.45	केरमान और शुर्गान के बीच एक नयी रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक व्यवहार्यता एवं लागत अध्ययन।	परियोजना पूरी हो गयी है और इसकी रिपोर्ट ईरान की शाही सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी है।
ईरान	लागत तथा ऊपरी खर्च	मीरजावेह और जाहेदन के बीच वर्तमान लाइन का दर्जा बढ़ाना	'राइट्स' दल के विशेषज्ञ वहां लाइन का अध्ययन करने तथा अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए गये हुए हैं।
जायरे	8.7	रेलवे विशेषज्ञों की सहायता तथा परामर्श के आधार पर आवश्यक सहायक सेवाओं की व्यवस्था	जायरे में नौ विशेषज्ञ पहले से ही कार्यरत हैं तथा तीन और विशेषज्ञ शीघ्र ही जाने वाले हैं।
घाना	6.0	रखरखाव मानकों की परिचालन कुशलता में सुधार के उद्देश्य से सिफारिशें तैयार करने के लिए मौजूदा रेल प्रणाली का अध्ययन।	प्रारम्भिक अग्रिम राशि प्राप्त होते ही छः विशेषज्ञ घाना जायेंगे।

मंगलोर पत्तन के समीप फोस्फेट उर्वरक संयंत्र

854. **श्री पी० रंगानाथ रेड्डी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये मंगलौर पत्तन के समीप एक फास्फेट उर्वरक सन्यन्त्र चालू करने के लिये लाइसेंस जारी कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस का उपयोग करने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसा सन्यन्त्र चालू करने की अनुमति एक पार्टी को पहले इस आधार पर नहीं दी गई थी कि इस सन्यन्त्र से जल दूषण होगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) मंगलौर में फास्फेटिक सन्यन्त्र की स्थापना के लिये कर्नाटक स्टेट इण्डस्ट्रियल इन्वैस्टमेंट एण्ड डिवेलपमेंट कारपोरेशन को 1974 में एक आशय-पत्र दिया गया था। आशय-पत्र की वैधता अब समाप्त हो गई है। मंगलौर के समीप फास्फेटिक उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना के लिये कर्नाटक सरकार तथा मंगलौर कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा समर्थित एक गैर सरकारी पार्टी से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है तथा आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

(ग) जी नहीं।

टिटेनियम डायआक्साइड पिग्मेंट्स प्रोजेक्ट

855. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार के टिटेनियम डायअक्साइड पिग्मेंट्स प्रौजेक्ट विषयक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां। दो प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) निम्नलिखित शर्तों पर प्लांट और मशीनरी का अधिकतम उपयोग करने के आधार पर प्रतिवर्ष 48,000 मी० टन टिटेनियम डाईआक्साइड के निर्माण के लिये मैसर्स दि केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स लि०, क्विलोन, केरल सरकार का एक उपक्रम, को 15-6-74 को एक आशय पत्र दिया गया था।

1. विदेशी सहयोग की शर्तों और उसकी आवश्यकता, यदि कोई हो, इसे सरकार की सन्तुष्टि पर निपटाया जायेगा।
2. प्लांट और मशीनरी के आयात की व्यवस्था को भारत सरकार की सन्तुष्टि पर निपटाया जायेगा।
3. तितानिया डाइआक्साइड का निर्माण क्लोराइड प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा।

मैसर्स केरल मिनरल एण्ड मैटल ने प्रथम चरण में 22,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाले प्रायोजना को भी कार्यान्वित करने के लिये एक विदेशी सहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जो सरकार के विचाराधीन है।

2. इसके अतिरिक्त मैसर्स टाउनकोर तितानियम प्रोड्क्टस लि० त्रिवेन्द्रम केरल राज्य का एक उपक्रम, जिसके पास पहले ही प्रतिवर्ष 24,500 मी० टन तितानियम डाई ओक्साइड के निर्माण के लिये लाइसेंस हैं, को भी क्लोराइड के माध्यम से प्रतिवर्ष 15,000 मी० टन तक तितानीयम डाई-आक्साइड 12 मदों वाले एक तितानियम काम्प्लैक्स की स्थापना के लिये निम्नलिखित शर्तों के साथ 29–7–72 को एक आशय पत्र भेजा गया था :—

1. विदेशी सहयोग की शर्तों को सरकार की सन्तुष्टि से निर्धारित किया जायेगा।

2. पूंजीगत माल के आयात की अनुमति प्रचालित पद्धति के अनुसार दी जायेगी बशर्ते कि सरकार सन्तुष्ट हो। ऐसे उपकरणों का आयात प्रस्तावित लाइसेंस क्षमता को ध्यान रखते हुए किया जायेगा।

3. तितानियम डाई-ओक्साइड आदि के उत्पादन के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये फर्म परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्पर्क स्थापित करेगी।

प्रायोजना के कार्यान्वियन के प्रथम चरण में वर्तमान प्लांट के निस्राव का प्रयोग करते हुए सिन्थैटिक स्टायल के उत्पादन के लिये 31–12–75 को विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी गई है। क्लोराइड के माध्यम द्वारा सिन्थैटिक स्टायल से तितानियम डाई-ओक्साइड का निर्माण दूसरे चरण में किया जायेगा।

पेट्रोलियम खोज संस्थान के लिए सलाहकार परिषद्

856. **श्री रानेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम खोज संस्थान के लिये एक सलाहकार परिषद् स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा सलाहकार परिषद् किन विषयों पर विचार करेगी; और

(ग) क्या सलाहकार ऐसे योग्य इंजीनियरो का भी पता रखेगी जिन्हें नियुक्त करने से लाभ हो ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) सलाहकार परिषद् का गठन निम्नलिखित कार्यों के लिये किया गया है :—

(1) ओ० एन० जी० सी० के पैट्रोलियम अन्वेषण संस्थान के अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों पर सलाह देना;

(2) प्रकृति विज्ञान में नये विचारों का विकास करने वाले अनुसन्धान सम्बन्धी परिणामों को लागू करने के लिये सुझाव देना; और

(3) इस संस्थान को भेजे गये पैट्रोलियम अन्वेषण संस्थान के अनुसन्धान और विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित अन्य किसी मामले पर विस्तार करना।

इस परिषद् के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

1. श्री सी० करुणाकरन, विशेषकार्य अधिकारी, ओ० एन० जी० सी०।

2. डा० हरी नारायण, निदेशक, एन० जी० आर० आई०, हैदराबाद ।
3. श्री एम० वी० ए० शास्त्री, निदेशक पुरातत्व और स्तरित शैल-विज्ञान प्रभाग, सी० एस० आई, कलकत्ता ।
4. डा० के० नाहा, प्रो० आफ जियोलाजी इण्डियन इन्स्टीट्यट आफ टैक्नोलोजी, खड़गपुर ।
5. डा० वी० के० सा , प्रो० आफ जियोलोजी, इण्डियन इन्स्टीट्यट आफ टैक्नोलोजी, पोवाई, बम्बई ।
6. डा० एस० जैड० कासिया, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यट आफ ओक्सोग्राफी, एस० आई० ओ० पी० आफिस पूना पाउला (गोवा) ।
7. डा० बी० जी० देशपांडे, हैड आफ डिपार्टमेंट आफ जियोलोजी, पूना विश्वविद्यालय,
8. डा० जगदीश शंकर, निदेशक, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।
9. श्री एस० एन० तालुकादार, निदेशक पैट्रोलियम अन्वेषक संस्थान, ओ० एन० जी० सी०, देहरादून ।
10. श्री बी० वी० सास्त्री, निदेशक (आर० एण्ड डी०, आई० पी० ई०, ओ० एन० जी० सी०), देहरादून ।

(ग) जी नहीं ।

नई औषध नीति

857. **श्री राजा कुलकर्णी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नई औषध नीति तथा विदेशी औषध्र कम्पनियो की भूमिका को अन्तिम रूप दिया है और उसका अनुमोदन कर दिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : हाथी समिति ने अपनी रिपोर्ट में औषध उद्योग के विभिन्न तथ्यों पर सिफारिशे की है । इन सिफारिशों तथा अन्य तथ्यों को ध्यान में रख कर सरकार एक औषध नीति बना रही है जिसमें विदेशी औषध कम्पनियो की भूमिका के बारे में भी बताया जायेगा ।

नई रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण

858. **श्री के० सूर्यनारायण : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में नई रेलवे लाइनों के लिये अनेक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसे सर्वेक्षण कार्यों में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—11127/76] ।

जगाधरी और पौंटा के बीच तथा जगाधरी से चण्डीगढ़ तक नई रेलवे लाइनें

859. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगाधरी और पौंटा के बीच तथा जगाधरी से चण्डीगढ़ तक रेलवे लाइनें बिछाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और कार्य आरम्भ होने की अस्थायी तिथि क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जगाधरी पांवटा साहिब राजबन के बीच सर्वेक्षण कार्य पर 4.96 लाख रुपये की लागत आयी और जगाधरी—चण्डीगढ़—लुधियाना के बीच सर्वेक्षण पर 5.82 लाख रुपये की लागत आयी थी । वित्तीय दृष्टि से ये दोनों परियोजनायें अर्थक्षम नहीं पायी गयीं । परियोजना के अलाभप्रद होने तथा संसाधनों की अत्यधिक सीमित उपलब्धता के कारण इस परियोजनाओं को उस समय हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आगामी 10 वर्षों में उर्वरक संयत्रों की स्थापना का प्रस्ताव

860. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी दस वर्षों में भारत में उर्वरक संयंत्र, कहां कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इन उर्वरक-संयंत्रों को किन देशों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) प्रत्येक के आगे दिखाये गये स्थानों पर निम्नलिखित प्रयोजनायें का कार्यान्वित की जा रही हैं :—

प्रायोजना का नाम	स्थान/राज्य
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	
1. तलचर	उड़ीसा
2. रामागुण्डम	आंध्र प्रदेश
3. हल्दिया	पश्चिमी बंगाल
4. कोरबा	मध्य प्रदेश
5. सिन्द्री सुव्यवस्थीकरण	बिहार

1	2
6. सिन्धी आधुनिकीकरण . .	बिहार
7. नंगल विस्तार . . .	पंजाब
8. ट्राम्बे II/ विस्तार .	महाराष्ट्र
9. ट्राम्बे I/ विस्तार .	महाराष्ट्र
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स टाउनकोर लि०	
10. कोचीन फेज–II . .	केरल
11. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (विस्तार)	तमिलनाडु
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	
12. पानीपत . . .	हरियाणा
13. भटिण्डा . . .	पंजाब
14. आई० एफ० एफ० सी० ओ० फूलपुर	उत्तर प्रदेश
15. महाराष्ट्र सहकारी रसायन और उर्वरक तारापूर . . .	महाराष्ट्र
16. जी० एस० एफ० सी० (विस्तार) .	गुजरात

इसके अलावा निम्नलिखित प्रायोजनायें कार्यान्वित के लिये सिद्धान्त रूप में स्वीकृत की गई हैं :–

1. कोटा (विस्तार) . .	राजस्थान
2. काकीनादा प्रायोजना . .	आन्ध्र प्रदेश
3. मथुरा . . .	उत्तर प्रदेश
4. पैरादीप . . .	उड़ीसा

(ख) इन प्रायोजनाओं के कार्यान्वित में कोई विदेशी सहयोग शामिल नहीं है। तथापि उचित ऋणों का प्रयोग करते हुये यथासम्भव स्रोतों से उपस्करों का आयात और सेवायें उपलब्ध कराई जाएंगी।

New Railway Line From Bari Sadri (Rajasthan) to Ratlam

861. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a survey for laying a new railway line from Bari Sadri in Rajasthan to Ratlam Junction had been conducted many years ago ;

(b) if so, the expenditure incurred on this survey and the outcome thereof ;

(c) the time by which the work of laying this railway line will be started ; and

(d) the total amount of expenditure that will be incurred on this entire project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) to (d) Do not arise.

मीरज के सितार बनाने वालो को रेल-भाड़े में रियायत (दक्षिण-मध्य रेलवे)

862. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीरज के सितार बनाने वालों के सितार पर रेल-भाड़े में छूट देने का प्रश्न गत कई वर्षों से बार-बार उठाया जा रहा है ;

(ख) क्या रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के मीरज (दक्षिण मध्य रेलवे) के हाल के दौरे के दौरान उन्हें इस मामले में हो रहे अन्याय से अवगत कराया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान और सितार निर्माताओं को अनुचित रेल-भाड़े में राहत देने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सितार बनाने वालों ने फिर से अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें अपने साथ सवारी डिब्बे में सितार बंडलो को समान के रूप में ले जाने की अनुमति दी जाय और उन पर वास्तविक वजन के आधार पर पार्सल दरों के हिसाब से भाड़ा लगाया जाये और माप के आधार पर संगणित वजन पर सामान वाली दरों के हिसाब से न लगाया जाये ।

(ग) मीरज के सितार बनाने वालों को बहुत ही विशेष मामले के रूप में वर्तमान नियमों में छूट देकर पहले ही इस बात की अनुमति दी जा चुकी है कि वे एक टिकट पर एक सितार बुक कराकर सामान के भाड़े का भुगतान करके अपने साथ ले जा सकते हैं । यह भाड़ा उसके माप के आधार पर गणना करके निकाले गये वजन में से सामान्य छूट वाले सामान को घटा कर लगाया जाएगा ।

इसी सम्बन्ध में बाद में प्राप्त अभ्यावेदन पर सरकार ने विशेष मामले के रूप में फिर यह विनिश्चय किया है कि जिन मामलों में चार सितारों का एक बंडल बनाया गया हो वहां कुल आकार की गणना करके निकाला गया वजन (न कि हर एक सितार का अलग-अलग) या वास्तविक वजन, जो भी अधिक हो, माना जाये और छूट के वजन को घटाकर शेष वजन पर प्रभार वसूल किया जाए । लेकिन ऐसे मामलों में बंडल में बांधे गये सितारों को अच्छी तरह से क्रेटों में बन्द करके ब्रेक यानों में ले जाया जाना अपेक्षित है ताकि डिब्बों में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों को असुविधा न हो । अतः इससे मालूम हो जायेगा कि इस उद्योग को कुछ रियायतें पहले हो दी जा चुकी हैं ।

नई दिल्ली—मंगलौर—कोचीन—जयन्ती जनता एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम से चलाना

864. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, त्रिवेन्द्रम-क्विलोन बड़ी लाइन के चालू हो जाने के बाद, नई दिल्ली-मंगलौर जयन्ती जनता एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम से चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). कोल्लम–अर्णाकुलम बड़ी लाइन को यातायात के लिये खोलने के तुरन्त बाद, इस नयी बिछायी गयी लाइन पर गाड़ियों की रफ्तार कम रहेगी, 131/132 निजामुद्दीन––मंगलूर/कोचीन जयन्ती जनता एक्सप्रेस को तिरूवनन्तपुरम सेंट्रल तक / से बढ़ाने के प्रश्न पर तब विचार किया जा सकेगा, जब गाड़ियों को रफ्तार बढ़ा दी जायेगी तथा तिरूवनन्तपुरम् में अनुरक्षण सम्बन्धी अतिरिक्त सुविधाओं का विकास हो जायेगा ।

मैसर्स सीबा मंगी सीबा अतुल तथा अतुल द्वारा औषधों का निर्माण

865. **श्री नानू भाई एन॰ पटेल :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सीबा मंगी, सीबा अतुल तथा अतुल इस ढंग से औषध इण्टरमीडिएट्स का निर्माण करते हैं कि इनमें से कोई भी अन्तिम चरण तक इनका उत्पादन नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी परस्पर सम्बन्धित गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ! इनके द्वारा उत्पादित तथा अन्य लोगों को सप्लाई की जाने वाली मदों के नाम क्या हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने कितनी मात्रा में उक्त मदें सप्लाई की और कितना पैसा वसूल किया ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी॰ सी॰ सेठी) : (क) और (ख). प्रतिबन्धित व्यापार करार के पंजीकार द्वारा दायर किये गये आवेदन पत्र पर एक एम॰ आर॰ टी॰ कमीशन इस मामले की जांच कर रहा है ।

एक फ्रांसीसी कम्पनी के साथ परामर्श-करार

866. **श्री डी॰ बी॰ चन्द्रगौडा :**
श्री डी॰ के॰ पंडा :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फ्रांसीसी कम्पनी सी॰ एफ॰ पी॰ के एक दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और अधिकारियों से विचार विमर्श किया था ; और

(ख) क्या फ्रांसीसी कम्पनी ने बम्बई हाई क्षेत्र के विकास और उससे उत्पादन के बारे में सम्पूर्ण रूप से परामर्श देने का प्रस्ताव किया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

राजस्थान में तेल की खोज

867. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में तेल की खोज के मामले में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख). तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक राजस्थान में 5 संरचनाओं पर 15 कुंयें खोद हैं वाणिज्यिक रूप से महत्वहीन मनहेरा टिब्बा पर कुछ गैस प्राप्त होने के अतिरिक्त अभी तक राजस्थान में कोई हाइड्रोकार्बन प्राप्त नहीं हुआ। इस समय छंटे संरचना भुवाना पर व्यधन कार्य चल रहा है।

सैलूनों/निरीक्षण डिब्बों का उपयोग

868. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलगाड़ियों के साथ सैलून तथा निरीक्षण डिब्बे जोड़ने सम्बन्धी मानदंड क्या हैं ;

(ख) विगत छः महीनों के दौरान दिल्ली जंक्शन तथा नई दिल्ली जंक्शन पर रेलगाड़ियों से कितने सैलून जोड़े गये तथा उन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन सैलूनों के उपयोग करने वाले अधिकारियों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ये सैलून किन-किन तारीखों को इस्तेमाल किये गये एवं वे किस किस प्रकार के सैलून थे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जब कि विभिन्न गाड़ियों के साथ सैलून केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, राज्यों के राज्यपालों, अन्य भारतीय तथा विदेशी उच्च पदाधिकारियों और उच्च सरकारी अधिकारियों के सरकारी दौरो के लिये लगाये जाते हैं, निरीक्षण-यान रेलवे के उन सभी राजपत्रित अधिकारियों के लिये लगाये जाते हैं जो रेलों के कार्य-संचालन का निरक्षण करते हैं। रेलवे अधिकारियों के लिये इन यानों का इस्तेमाल केवल कार्यकारी प्रयोजनों के लिए ही किया जाता है, अर्थात् जब वे निरीक्षण करने के लिए ड्यूटी पर जाते हैं, तब ये यान, 'चलते-फिरते कार्यालय' के रूप में काम करते हैं और अधिकारी के ठहरने के लिये स्थान की सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन, ये सैलूम/निरीक्षण-यान जनता गाड़ियों तथा कुछ चुनी हुई महत्वपूर्ण गाड़ियों में नहीं लगाये जाते।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है (अंग्रेजी में)। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०–11128/76]।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा बिना औद्योगिक लाइसेंस के औषध फार्मूलेशनों का उत्पादन

869. **श्री एस० ए० सोलंकी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लैक्सो, फिजर, मे एण्ड बेकर, सेंडोज और एबट जैसी कई विदेशी कम्पनियां बिना औद्योगिक लाइसेंस के औषध फार्मूलेशनों का उत्पादन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मदों के नाम आदि क्या हैं, गत तीन वर्षों से इन मदों की कितनी बिक्री हुई और इसके लिये कच्चे माल के आयात की अनुमति के बिना जिम्मेदार प्राधिकारी कौन हैं ; और

(ग) सरकार का इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) से (ग). गत तीन वर्षों के दौरान बिना औद्योगिक लाइसेंस अथवा मैसर्स ग्लैक्सो, फाइजर, मे एण्ड बेकर, सेण्डोज तथा एबोट की स्वीकृति के बिना किसी सूत्रयोग का उत्पादन करने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया। ऐसी कोई सूचना, जो सरकारी जानकारी में आयेगी अथवा सरकार को सूचना दी जाएगी, उस पर कानून के अनुसार उचित रूप में जांच एवं कार्यवाही की जाएगी।

केरल राज्य (दक्षिण रेलवे) में नई रेलव लाइन बिछाने, रेल लाइनों का विस्तार तथा मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की परियोजनायें

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में दक्षिण रेलवे में नई रेलवे लाइनें बिछाने, रेल लाइनों का विस्तार करने तथा मीटर गेज लाइनों को बडी लाइनों में बदलने की उन मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य हो रहा है और जो सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) इन परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) ये कब तक पूरी हो जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). केरल राज्य में अंशतः या पूर्णतः पड़ने वाली निम्नलिखित रेल परियोजनाओं के सम्बन्ध में काम जारी है। इन परियोजनाओं के बारे में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

1. नागरकोइल के रास्त तिरुनेलवली से तिरुवनन्तपुरम तक बड़ी लाइन और इसके साथ कन्याकुमारी तक एक शाखा लाइन—160 किलोमीटर।

 निर्माण कार्य पहले से ही चल रहा है। वास्तविक काम कुल मिलाकर 35.5 प्रतिशत हो चुका है। नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये बड़ी सीमित मात्रा में धन उपलब्ध होने के कारण अब यह परियोजना 1980 तक पूरी हो जायेगी।

2. एर्णाकुलम से तिरुवनन्तपुरम तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना—221 किलोमीटर।

 इस परियोजना पर आमान परिवर्तन का काम पहले ही चल रहा है और कुल मिलाकर 92 प्रतिशत काम हो चुका है एर्णाकुलम से कोल्लम तक का खण्ड यातायात के लिये खोला जा चुका है। आशा है कि कोलम-तिरुवनन्तपुरम खण्ड शीघ्र ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। पूरी परियोजना की आधुनिकतम लागत लगभग 16 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

उपर्युक्त परियोजनाओं के अलावा, केरल राज्य में पड़ने वाली नयी लाइनों के लिये निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की जा रही है :—

(i) गुरुवायूर के रास्त कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक 61 किलोमीटर लम्बी लाइन—लागत 12 करोड़ रुपये—इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

(ii) एर्णाकुलम––एलेप्पी––50.77 किलोमीटर लम्बी लाइन––लागत 483 लाख रुपये। इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण राज्य सरकार के खर्च पर पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी अभी प्राप्त हुई है। रिपोर्ट पर सभी पहलुओं से विचार कर लेने के बाद ही इस परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

नई दिल्ली–मंगलौर–कोचीन जयन्ती जनता एक्सप्रेस का चलना

871. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि जनता को हो रही कठिनाइयों को देखते हुये नई दिल्ली–मंगलौर–कोचीन जयन्ती जनता एक्सप्रेस को निजामुद्दीन की बजाय नई दिल्ली स्टेशन से चलाया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली में अपेक्षित टर्मिनल सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव में 131/132 निजामु- द्दीन––मंगलूर कोचीन जयन्ती जनता गाड़ी का नई दिल्ली से और नई दिल्ली तक चलाया जाना परिचालन की दृष्टि से इस समय व्यावहारिक नहीं है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के विचाराधीन समाचार पत्र उद्योग के विरुद्ध मामले

872. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी कार्य विनियमों का उल्लंघन करने पर समाचार उद्योग के विरुद्ध कितने मामले एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या एक समाचार पत्र को हाल ही में कोई नया नोटिस जारी किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को कम्पनी कार्य विनियमों के उल्लंघनों के लिए, कार्यवाही करने की शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं। तथापि, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अनुसरण में आयोग, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केवल निबंन्धनकारी तथा एकाधिका- रिक व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित उपबन्धों के उल्लंघनों के लिये जांच कर सकता है। वर्तमान में, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष समाकार उद्योग के विरुद्ध 18 मामले जिनमें बहुत सी कम्पनियां संनिहित हैं, अनिर्णीत हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

महानगरीय परिवहन परियोजना (रेल), कलकत्ता की प्रगति

873. **श्री के० लकप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरीय परिवहन परियोजना (रेल), कलकत्ता की प्रगति बहुत धीमी है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, संसाधनों के संशोधन के कारण।

(ख) अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यथासम्भव अधिकाधिक धन प्राप्त करने के लिये योजना आयोग के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

तमिलनाडु में तेल भंडारों की खोज

874. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** :
श्री एम० कत्तामुत्तु :

क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तेल भंडारों का पता लगाने के लिये कोई प्रयास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या हैं और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु के विभिन्न भागों में अनेक कुंएं खोदे गये हैं। वाणिज्यिक महत्व का न तो तेल प्राप्त हुआ और न ही गैस।

तोड़-फोड़ के कारण रेल दुर्घटनाएं

875. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जनवरी और जुलाई, 1976 के बीच हुई रेल दुर्घटनाओं के कारणों में से एक कारण यह भी है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों या ग्रुपों ने तोड़-फोड़ की कार्यवाही की ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुगलसराय यार्ड में चोरियां तथा छुट-पुट चोरियां

876. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के लागू होने के बाद मुगल सराय यार्ड में कोयले, मिटटी के तेल; पंखों तथा अन्य रेल-सम्पत्ति की चोरियों और छुटपुट चोरियों के बारे में स्थिति क्या है और इसके लिये कितनी राशि के मुआवजे के लिये दावा किया गया ; और

(ख) आपात स्थिति से पहले इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में ये चोरियां और छुट-पुट चोरियां कितनी न्यूनाधिक हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जुलाई, 1974 से जून, 1975 तक और जुलाई, 1975 से जून, 1976 तक की अवधि के दौरान मुगलसराय में कोयले तथा मिट्टी के तेल की चोरी/उठाईगिरी का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था ।

लेकिन, आपात स्थिति की घोषणा से एक वर्ष पहले की अवधि के दौरान बिजली के पंखे की चोरी का एक मामला और रेलवे की अन्य सम्पत्ति तथा फिटिंग्स को चोरी के 95 मामले दर्ज किये गये थे और आपात स्थिति की घोषणा के बाद के एक वर्ष के दौरान दिल्ली के पंखे की चोरी का एक मामला तथा रेलवे की अन्य सम्पत्ति और फिटिंग्स की चोरी के 72 मामले दर्ज किये गये थे । रेल सम्पत्ति की उठाईगिरी/चोरी के कारण क्षतिपूर्ती के किसी दावे का प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये आवश्यक वस्तुओं के डिपो

878. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति की घोषणा के बाद सरकार द्वारा रेलवे कर्मचारियों के लिये जोनवार आवश्यक वस्तुओं के कितने डिपो खोले गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : रेल कर्मचारियों सहित आम जनता को खाद्यान्न तथा अन्य अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है फिर भी, रेल कर्मचारियों द्वारा बनाई गई रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों के साथ साथ राज्य के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा रेलवे कालोनियों में कई उचित दर की दुकानें खोली गई हैं । इस समय कुल 1318 उचित दर की दुकानों में से 419 दुकानें रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा तथा 899 राज्य के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा चलायी जा रही हैं ।

2. आपातकाल की घोषणा के पश्चात खोली गई उचित दर की दुकानों की क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार है :—

क्षेत्रीय रेल का नाम	जुलाई, 1975 से जून, 1976 तक खोली गई उचित दर की दुकानों की संख्या		जोड़
	रेल कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियां	राज्य के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा खोली गई उचित दर की दूकानें	
1	2	3	4
1. मध्य रेलवे . .	1	—	1
2. पूर्व रेलवे . .	—	7	7

1	2	3	4
3. उत्तर रेलवे . .	2	—	2
4. पूर्वोत्तर रेलवे . .	—	—	—
5. पूर्वोत्तर सीमा . .	2	—	2
6. दक्षिण . .	—	—	—
7. दक्षिण मध्य . .	1	1	2
8. दक्षिण पूर्व . .	1	—	1
9. पश्चिम . .	2	—	2
जोड़ . .	9	8	17

तेल का छिद्रण करने वाले विदेशी ठेकेदारों को काम देने का प्रस्ताव

879. **श्री एन० ई० होरो :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भूमि पर तेल के छिद्रण के लिए 'हेली-रिगों' से छिद्रण करने का काम विदेशी ठेकेदारों को देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शर्तों की मुख्य बातें क्या हैं और उस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं जिन्हें अभी प्राप्त किया जाना है

फलों और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिये समान भाड़ा दरें

880. **डा० के० एल० राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम जैसी मौसमी मदों के निर्यात के लिये यातायात सुचारू रूप से करने के बारे में अपेक्षित माल डिब्बों की संख्या का अनुमानतया निर्धारण करने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कोई अग्रिम अध्ययन किया जाता है ; और

(ख) फलों और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की भाड़ा दरों में प्रति वर्ष विभिन्नता होने के कारण क्या हैं और विभिन्न जोनों में भाड़े की दरें समान क्यो नहीं हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मुख्य रूप से आम उगाने वाले क्षेत्रों से आम जैसे नष्य यातायात की निकासी का कार्यक्रम व्यापारियों के साथ परामर्श करके पहले ही तैयार कर लिया जाता है और यातायात की निकासी तत्काल की जाती है।

(ख) यह सही नहीं है कि फलों और नष्य यातायात की भाड़ा दरें हर वर्ष भिन्न-भिन्न रही हैं। वास्तव में अप्रैल, 1972 के बाद 15-9-1974 से इन दरों पर केवल 15 प्रतिशत का पूरक प्रभार

लगाया गया था लेकिन इसे सब्जियों के यातायात पर लागू नहीं किया गया था। ये भाड़ा दरें सारी भारतीय रेलों पर एक जैसी हैं, सिवाय उन मामलों के जहां किसी एक रेलवे द्वारा नया यातायात पकड़ने या वर्तमान यातायात को सड़क परिवहन की ओर जाने से रोकने के उद्देश्य से अपने अधिकारों के अन्तर्गत विशेष रूप से घटी हुई स्टेशन से स्टेशन तक की दरें घोषित की जाती हैं

बिहार में बिना चौकीदार के रेल-क्रसिंग

881. **श्री राम भगत पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में बिना चौकीदार रेलक्रासिंग की संख्या कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या को कम करने के लिए, उन पर चौकीदार तैनात करने की आवश्यकता की समीक्षा करने हेतु रेलवे समय-समय पर सड़क तथा रेल यातायात की गणना करती है। इस आधार पर, विभिन्न पहलुओं जैसे यातायात की गहनता, दृष्यता, यातायात प्रवृत्ति आदि के साथ-साथ धन की उपलब्धता को भी देखते हुए राज्य सरकार के परामर्श से कुछ बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए समपार नियत किये जाते हैं। बिहार राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान दो बिना चौकीदारों वाले समपारो पर चौकीदार तैनात किये गये हैं।

बिहार राज्य में बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या लगभग 1500 है। वर्तमान दरों के अनुसार बिना चौकीदार वाले इन सभी समपारों पर चौकीदार तैनात करने में प्राथमिक रूप से लगभग 7.5 करोड़ रुपये की लागत आएगी। राज्य के सभी बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करना न तो व्यावहारिक है और न हीं आवश्यक।

रेलवे में कैंटीनों को पट्टे की राशि का निर्धारण

882. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंटीनों की पट्टे की राशि का निर्धारण करने के लिये रेलवे द्वारा अपनाये गये सिद्धान्त क्या हैं ;

(ख) क्या कैंटीनों की दैनिक बिक्री की जांच करने के लिये रेलवे समय समय पर कर्मचारियों को भेजता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलवे कैंटीनों के ठेके पट्टे पर नहीं दिये जाते बल्कि लाइसेंन्स फीस लेकर दिये जाते हैं। यह फीस बिक्री तथा अन्य स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निश्चित की जाती है जो बिक्री के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती।

(ख) और (ग) जी हां। बिक्री के आधार पर लाइसेंस फीस का मूल्यांकन करने के लिये वाणिज्यिक और लेखा विभाग के कर्मचारियों का दल समय समय पर जांच करता रहता है।

नकली स्नेहकों की बिक्री रोकने के लिये की गई कार्यवाही

883. श्री रेणु पद दास : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बढ़िया संयंत्रों को क्षति पहुंचाने वाले नकली तथा जांचे न गये स्नेहकों की बिक्री रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : स्नेहकों में मिलावट/दुरुपयोग की समस्या की जांच करने और मिलावट को रोकने के लिये विस्तृत उपाय का सुझाव देने के लिये सरकार द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ दल की सिफारिश पर सरकार ने अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ कर दी है । सरकार ने स्नेहकों के वितरण के बारे में अलग से एक योजना चलाई है जिसको सभी प्रमुख तेल कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है । तेल कम्पनियों को अनुदेश दिये गये है कि वे दुरुपयोग/मिलावट जैसी बुराईयों को दूर करने के लिये अपने पैट्रोल पम्पों/ऐजेंटों का आकस्मिक निरीक्षण द्वारा क्रियाशिल प्रयत्न करें । तेल कम्पनियों को यह भी कहा गया है कि वे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री करें ।

Running of trains with arrangements for water coolers, television and songs

884. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Tamilnadu Express will run thrice a week from Delhi to Madras and from Madras to Delhi ;

(b) whether there will also be arrangements for water cooler and television as also for songs similar to that in the aeroplanes in the compartments of the train ; and

(c) if so, whether Government propose to run such trains on other routes also in the near future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Water coolers in all coaches and public address system in A.C. Coaches will be available in this train. Television has been provided in the A.C. Chair car in one of the two rakes. The other rake will also be provided with this facility within a fortnight.

(c) There is no proposal at present to introduce similar trains on other routes.

उम्मीदवारों का निर्वाचन व्यय

886. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया है कि लोक सभाओं और विधान सभा के उम्मीदवारों का निर्वाचन व्यय सरकार को उठाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी निर्वाचनों में यह निर्णय लागू किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सैय्यद मुहम्मद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Painting work on Bridges in Bhusawal and Jhansi Divisions

887. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The total number of bridges in Bhusawal and Jhansi Divisions of Central Railway on which painting work could not be done within the prescribed time and the reasons for delay therein ; and

(b) The number of employees appointed for this work in the aforesaid divisions in the categories of B.R.I., P.W.Is. and T.O.Ws. at present and the number of vacant posts ; if any, in these categories?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The painting of girder bridges is normally required to be done once in 5 years. On Bhusawal and Jhansi divisions there are 91 and 28 girder bridges respectively, which have not been painted during the prescribed period. This was because the condition of the paint was found satisfactory at the end of 5 year period. To ensure that the girders do not get corroded because of longer painting interval, they are thoroughly inspected each year and painted wherever necessary.

(b) No staff, such as B.R.Is., P.W. Is. and I. O. Ws. are appointed exclusively for the painting of bridge girders. The painting is done under the supervision of P.W.Is. as part of their normal work. There are 181 posts of P.W. Is. on Bhusawal and Jhansi divisions, out of which only 5 posts are lying vacant at present.

Unmanned level crossings in Madhya Pradesh

888. Shri G. C. Dixit : Will the Minister **of Railways** be pleased to state :

(a) the number of unmanned level crossings in Madhya Pradesh ; and

(b) the number of persons killed in the accidents occurred at these level crossings during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) There are 1697 unmanned level crossings (including cattle crossings) in the State of Madhya Pradesh.

(b) Twelve persons were killed in train accidents which took place at these level crossings during the last three years *viz.*, 1973-74, 1974-75 and 1975-76.

Tea stalls, trolleys and book stalls in Bhusawal Division

889. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of tea stalls, trolleys and bookstalls at platforms on local and main lines in Bhusawal Division in Central Railway at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : There are at present 50 Tea stalls, 41 Tea Trolleys, 20 Book stalls and 11 Book trolleys on the main lines of Bhusawal Division. On the branch lines of Bhusawal Division, there are 25 Tea stalls, 6 Tea trolleys and 3 Book stalls.

Nationalisation of Drug Companies

890. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to nationalise drug manufacturing companies in view of the manufacture of spurious drugs and rise in prices of drugs in the country ; and if so, the facts thereof ; and

(b) the places where drug manufacturing companies are functioning in the public sector at present and whether there are any proposals for their expansion as also expansion of the production capacity thereof ?

The Minister of Chemicals and Fertilizers (Shri P. C. Sethi) : (a) No proposals to nationalise drug manufacturing companies is under consideration of the Government.

(b) There are at present two drug manufacturing units in the public sector namely Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited(IDPL)and Hindustan Antibiotics Limited (HAL). IDPL have a Synthetic Drugs Plant at Hyderabad, Antibiotics Plant at Rishikesh and Surgical Instruments Plant at Madras. HAL have their plant at Pimpri in Poona. As regards the expansion schemes of IDPL and HAL attention is invited to the replies given to Lok Sabha Unstarred Question No. 1178 answered on the 23rd March, 1976 and Unstarred Question No. 137 answered on the 10th August, 1976. In addition, various State Governments have approached the Central Government, IDPL and HAL for the establishment of drug manufacturing units as joint venture with the State Governments. IDPL and HAL have been asked to examine the possibility of setting up such units.

Double Railway Line Between Bombay, Baroda, Ratlam and Delhi

891. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) how much work remains to be done on laying double line between Bombay, Baroda, Ratlam and Delhi and the time by which it is likely to be completed ;

(b) Whether double lines in some parts of these places, has been opened to traffic, and if so when and the time by which the work of laying double line at places, where there are bridges and culverts is likely to be completed ; and

(c) the time by which double line on Panchpipaliya culvert and Mahi river bridge near Bhairugat in Ratlam Division will be completed?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b): As at the end of June, 1976 patches totalling 280 km remain single line, out of a total distance of 1384 Km between Delhi and Bombay *via* Baroda.

Work on doubling the track over a total of 274 Km is in progress. Out of this, patches totalling about 63 Km are likely to be opened for traffic during the current financial year and the balance portions will be completed in stages in subsequent years. Due to uncertainty about availability of resources, no firm target date can be fixed at this stage for completion of doubling on the remaining patches.

(c) There is no proposal at present to double the Panchpipliya tunnel and the bridge over Mahi river.

Production of Crude Oil by 1978-79

892. Dr. Laxminarain Pandeya : Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state :

(a) whether the production of crude oil is estimated to be 14 million tonnes by 1978-79; and

(b) if so, the present production thereof and the various steps being taken to achieve the production target of 14 million tonnes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Ansari) (a) Yes, Sir.

(b) During 1976-77 the production is expected to be about 9.45 million tonnes. The various steps taken/being taken to step up production to around 14 m.t.p.a. by 1978-79 are :—

(i) maximum utilisation of the existing production wells;

(ii) increase in development of existing oil fields including drilling of additional development wells and construction of additional production facilities ; and

(iii) wider application of secondary recovery methods etc.

SC/ST employees in Ratlam and Kota Division

893. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister **of Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Class IV employees in Ratlam and Kota Division of Western Railway, separately; and

(b) the percentage of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees among them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b

	Total No. of Class IV employees excluding Safaiwalas as on 31-3-1976	Percentage of Scheduled Castes	Percentage of Scheduled Tribes
Ratlam Division	9733	11	7
Kota Division	8858	9·5	6

कालका और बम्बई के बीच सीधी रेलगाड़ी

894. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तथा चण्डीगढ़ को बम्बई के साथ मिलाने के लिए कालका और बम्बई के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अन्य गाड़ियों के लिए किये गये अनुरोध के साथ इस पर विचार किया जायेगा ।

केरल राज्य में एर्नाकुलम तथा कायमकुलम के बीच रेलवे लाइन

895. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में एर्नाकुलम को कायमकुलम को बरास्ता आलप्पी सम्बद्ध करते हुए एक रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख): एर्नाकुलम से आलप्पी तक एक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। जैसे ही जांच पूरी हो जायेगी, इस लाइन के निर्माण के बारे में विनिश्चय किया जायेगा लेकिन यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनः बिछाया जाना

896. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में उखाड़ी गई रेलवे लाइनों को अब तक किस सीमा तक पुनः बिछा दिया गया है;

(ख) ऐसी रेलवे लाइनें कौन-कौन सी हैं जिन्हें पहले उखाड़ दिया गया था लेकिन उन्हें अब तक बिछाया नहीं गया है; और

(ग) इन रेलवे लाइनों को पुनः बिछाने के क्या प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) परिवहन के विकल्प साधनों के विकास के परिणामस्वरूप और कठिन वित्तीय स्थिति के कारण बाकी लाइनों को पुनः चालू करने के काम को आरम्भ करना सम्भव नहीं हो पाया है।

विवरण

(क) अब तक फिर से चालू की गयी उखाड़ी गयी रेलवे लाइनें इस प्रकार हैं :—

1. मोदुरा-बोदीनायकनूर
2. शोरानूर-निलम्बूर
3. वामाद-कथाना
4. बोबली-सलूर
5. नगरोध-जोगिन्द्रनगर
6. बिजनौर-चांदपुर सियाऊ
7. उन्नाव-माधोगंज-बालामऊ
8. उतरैटिया-सुल्तानपुर-जफराबाद
9. खैरादा-भीमसेन
10. भागलपुर-मन्दारहिल
11. तीनपहार-राजमहल
12. रोहतक-गोहाना
13. कैम्बे बंडेर साइडिंग
14. डालमऊ-दरियापुर
15. अकबरपुर-टांडा
16. सरायगढ़-रघुपुर-प्रतापगंज
17. प्रतापगंज-फारबिसगंज

पुनःस्थापन कार्य चल रहा है

1. गोहाना-पानीपत

उखाड़ी गयी रेलवे लाइनें जिन्हें अभी तक फिर से चालू नहीं किया गया है, वे इस प्रकार हैं :

1. माधोगंज-प्रहूदपुर
2. तिरुपत्तूर-कृष्णगिरि
3. मोरप्पूर-होसूर

4. गोसाइगांव-…किलामुख घाट
5. कोकंदा-कोटिपल्ली
6. मोरनहाट-खोवांग
7. सिनामारा-तिताबर
8. रायपुर फोरस्ट ट्रामवे
9. बुढ़वल-बाराबंकी
10. बहराम घाट-बुढ़वल
11. दरवहा-पुसाद
12. निर्मली-सरायगढ़
13. प्रतापगंज-भीमनगर

वर्षा तथा बाढ़ के कारण रेलवे के पुलों और लाइनों को हानि

897. श्री आर० के० सिन्हा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) चालू वर्ष में वर्षा तथा बाढ़ से रेल के पुलों तथा रेल की लाइनों को हुई क्षति से सरकार को कितनी हानि हुई है; और

(ख) इसी अवधि में वर्षा तथा बाढ़ के कारण रोक दी गई रेलगाड़ियों के कारण सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लगभग 280 लाख रुपये के नुकसान होने का अनुमान है ।

(ख) नुकसान की अनुमानित रकम लगभग 98 लाख रुपये है ।

बंडेल-कटवा लाइन का विद्युतीकरण

898. श्री सरोज मुकर्जी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंडेल-कटवा लाइन के विद्युतीकरण के लिये विभिन्न यात्री संघों तथा सामान्य लोगों की निरन्तर की जा रही मांग पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : पूर्व रेलवे के बंडेल-कटवा खण्ड पर बिजलीकरण की प्रारम्भिक जांच से यह मालूम हुआ है कि निकट भविष्य में यातायात की प्रत्याशित वृद्धि को सम्हालने के लिए वर्तमान कर्षण प्रणाली में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। यह पता चला है कि इस खण्ड के बिजलीकरण में भारी पूंजी लगेगी, जिसका वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं है । अतएव, इस समय बंडेल-कटवा खण्ड के बिजलीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पोलिथिलीन उद्योग में क्षमता का उपयोग

899. श्री डी० डी० देसाई : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उच्च घनत्व तथा निम्न घनत्व पोलिथिलीन के निर्माताओं द्वारा इन उत्पादों की मांग पूरी न किये जाने के बावजूद अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : वर्तमान उत्पादकों के कम घनत्व वाली पोलिथिलीन एवं उच्च घनत्व वाली पोलिथिलीन दोनों की वर्तमान लाइसेंसीकृत क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है ।

उर्वरकों का उत्पादन

900. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास अपना उर्वरक उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में "एन० पी० के" उर्वरक का उत्पादन चार गुना बढ़ गया है ;

(ग) क्या इस वृद्धि से भारत की उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) भारत में उर्वरकों के उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता में पर्याप्त रूप में वृद्धि हुई है । उर्वरकों के उत्पादन के लिए वर्तमान स्थापित क्षमता 29.73 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 6.92 लाख मी० टन पी$_2$ ओ$_5$ है जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 0.85 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 0.63 लाख मी० टन पी$_2$ ओ$_5$ थी । सरकारी गैर सरकारी एवं सहकारी क्षेत्रों में नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेट युक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए देशी क्षमता बढ़ाने के लिए एक बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । उपयुक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन से 1978–79 तक क्षमता की 46.90 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 13.11 लाख मी० टन पी$_2$ ओ$_5$ तक वृद्धि की सम्भावना है । उपर्युक्त क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि से उत्पादन क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि, नाइट्रोजन और फास्फेटिक उर्वरकों की देशी उपलब्धता और मांग के अन्तर को पर्याप्त रूप में कम करने में सहायता मिलेगी ।

चूंकि देश में पोटासिक उर्वरकों का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए सारी मांग आयातों द्वारा पूरी की जानी थी ।

फेडरेशन आफ दि बम्बई सबर्बन रेलवे पैसेंजर्स एसोसियेशन की बैठक

901. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गत 19 जून को बम्बई में फैडरेशन आफ दि बम्बई सबर्बन रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन की बैठक का उद्घाटन किया था ;

(ख) क्या उन्हें बम्बई के रेल यात्रियों की समस्याओं के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया गया था ; और

(ग) दैनिक रेल यात्रियों की क्या मुख्य समस्याएं हैं तथा सरकार का विचार उन्हें किस प्रकार हल करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) बम्बई उपनगरीय यात्री एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में उपनगरीय गाड़ियों की संख्या बढ़ाने, उनकी रफ्तार बढ़ाने, उपनगरीय स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था आदि के लिए अनुरोध किया है जहां तक परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण है, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों पर लागू किया जाना

902. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने द्वितीय श्रेणी के 1500 से अधिक अधिकारियों पर लागू नहीं किया है जबकि उसने उसकी सिफारिशों को प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर लागू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें ओ०एन०जी०सी० के कर्मचारियों पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होती हैं । तथापि अन्य बातों के साथ साथ इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान एकरूपता के आधार पर संशोधित किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ट्रान्स-एशियाई रेलवे

903. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और प्रशान्त के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग की बैठक में भारत ने भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें चर्चा का एक विषय पश्चिम और एशियाई पत्तनों में जहाजों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रांस-एशियाई रेलवे की संकल्पना को अविलम्ब ठोस रूप देना था ; और

(ग) यदि हां, तो चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जबकि तुर्की से सुदूर पूर्व तक एशियाई देशों के लिए (ट्रांस-एशियन) रेल सम्पर्क की आवश्यकता सदस्य रेलों द्वारा स्वीकार कर ली गयी है फिर भी, मार्ग की अनुकूलता, चल स्टाक और स्थिर उपस्करों की समस्याओं के अतिरिक्त विविध-आमान प्रणाली पर यातायात के सीधे संचलन से सम्बन्धित बहुत सी तकनीकी समस्याओं का समाधान अभी भी बाकी है । एशिया और प्रशान्त के लिए आर्थिक तथा सामाजिक आयोग ('एसकेप') इन पहलुओं का अध्ययन कर रहा है । लेकिन एशियाई देशों के (ट्रांस-एशियाई) रेल तन्त्र पर यातायात का संचलन तभी सम्भव होगा जब उन मार्गों जहां 'रेल सम्पर्क नहीं है' ईरान, बंगला देश, बर्मा और थाइलैण्ड द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में निर्माण का कार्यक्रम बनाया और पूरा किया जायेगा ।

Employees of O & NGC engaged in Oil Exploration

905. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state :

(a) the number of employees of the Oil and Natural Gas Commission presently engaged in extracting oil and in exploring new oil resources ;

(b) the quantity of crude oil being produced annually at present from oil deposits in the country ; and

(c) the names of places where exploration of new oil deposits is going on?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Ansari) : (a) Around 14,000.

(b) The indigenous production of crude oil during 1976-77 is estimated at 9.45 million tonnes.

(c) With a view to discovering new oil deposits, drilling operations are currently going on at Sampra and Dharnoj (Gujarat); Demulgaon and Bihubar (Assam); Bhuana (Rajasthan) in the on shore areas and in the Bombay High and Bassein structurea in the offshore areas. Geological and geophysical works for exploration are also going on in Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, West Bengal, Andamans, Maharashtra, Andhra Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat.

Railway Link Between Hazaribagh and Chatra

906. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are preparing any scheme to link Hazaribagh and Chatra in Bihar by railway;

(b) whether survey has been conducted in this regard, and if so, the salient features thereof; and

(c) whether he had given any assurance in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b). In view of the availability of inadequate funds even for completing the works in progress and those which have already been approved for being taken up for construction; there is no proposal under consideration at present to link Chatra with Hazaribagh by rail.

(c) No.

पूर्व क्षेत्र में अशोधित तेल के उत्पादन के लिए द्रुत योजना

907. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वी क्षेत्र में अशोधित तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई द्रुत योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र में बढ़े हुए उत्पादन के लिए शोधन क्षमता पर्याप्त होगी; और

(घ) क्या वहां शोधन क्षमता में वृद्धि करने की कोई योजना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जहां आयल इंडिया लि० और असम आयल कम्पनी अपने वर्तमान उत्पादन स्तर को बनाये रखेंगे,

वहां ओ॰एन॰जी॰सी॰ ने अपने वर्तमान 1.12 मिलियन मी॰ टन प्रति वर्ष के उत्पादन स्तर 1978–79 तक प्रति वर्ष 2.25 मिलियन मी॰ टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। यह वृद्धि मौलिकी तेल क्षेत्र के विकास के कारण होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेलवे के लिए रेल सम्पर्क परियोजना

908. **श्री डी॰ डी॰ देसाई :**
श्री भाऊ साहेब धामनकर :
श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विदेशों में और अधिक परामर्शदात्री सेवा कार्य लेने की योजना बना रही है;

(ख) क्या प्रस्तावित एशियाई रेल संपर्क परियोजना को पूरा करने का कार्य भारतीय रेलवे को सौंपा जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। रेल मंत्रालय के तत्वावधान में गठित रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक- सर्विसेज लि॰, जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है से परामर्श सेवा का काम किया जा रहा है।

(ख) और (ग) एशिया के देशों को जोड़ने वाली जिस रेलवे लाइन की कल्पना की गयी है उसमें विभिन्न देशों में जहां कहीं लाइनें मौजूद हैं वहां उनका उपयोग करना और जहां नहीं हैं वहां उनका निर्माण करना शामिल है। जहां लाइनें मौजूद नहीं हैं वहां उनका निर्माण उन्हीं देशों को करना होगा और पसंद की एजेंसियों द्वारा उन्हें कराना होगा। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि जहां लाइनें नहीं हैं वहां किसी ऐसी लाइन का निर्माण कार्य भारत को सौंपा जायेगा या नहीं।

अहमदाबाद–दिल्ली मार्ग पर अति द्रुतगामी अथवा डीलक्स रेलगाड़ी चलाया जाना

909. **श्री डी॰ डी॰ देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद–दिल्ली मार्ग पर अति द्रुतगामी अथवा डीलक्स रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डिब्बों तथा बोगियों तथा फालतू पुर्जों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय

910. श्री के० मालन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे विदेशों को डिब्बों तथा बोगियों और फालतू पुर्जों का निर्यात करने की बेहतर स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जित करने की मुख्य बातें क्या हैं तथा इनका निर्यात किन देशों को किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेलों ने तंजानियां को 17 सवारी डिब्बों की सप्लाई के लिए एक निर्यात आर्डर का निष्पादन किया है। इस निर्यात आर्डर से सम्भवतः लगभग 1.85 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

Conversion of Muzaffarpur-Sonepur Line into Broad Gauge Line (North Eastern Railway)

911. Shri Bibhuti Mishra: Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether the metre gauge line from Muzaffarpur to Sonepur on North Eastern Railway has been converted into broad gauge line; and

(b) if so, whether Government propose to have a broad gauge line from Muzaffarpur to Raxaul *via* Motihari and Sagauli?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) Yes.

(b) The proposal is under examination.

Appointment of wards of loyal Railway Employees of May, 1974 Strike

912. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether sons and daughters of those Railway employees who had not participated in the strike of 1974, are still being given jobs in the Railways as a token of reward for their loyalty towards Government;

(b) the number of such appointees, Railway-wise and Division-wise; and

(c) the number separately of Adivasis, Harijans, Muslims and the persons belonging to weaker sections among these appointees and how long the Government propose to continue this policy ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c). The numbers are given in the attached statement. [Placed in the Library. *See* No. L.T. 11129/76]

The scheme has been withdrawn from 1-1-1976. But the Railway Administrations have been given time upto 30-9-1976 to complete the formalities and order appointments against applications which had been received upto 31-12-1975.

यात्रियों के लिये गाड़ियों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था के लिये अभियान

913. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान यात्रियों के लिये गाड़ियों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु रेलवे में एक और अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे द्वारा हाल ही में आकस्मिक जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अभियान चलाना हमारे कार्य की एक नियमित बात है और ऐसा करने से यात्रियों की अधिक संतुष्टि हुई है। पंखों जैसी फिटिंग्स चालू हालत में हैं, यह सुनिश्चित करने के अलावा सवारी डिब्बों में पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने तथा शौचालयों की बेहतर सफाई सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को अधिक जागरूक बनाया जाता है। हाल ही में समिति की बैठकों में व्यक्त किये गये विचारों के रुख को देखते हुए तथा हमारे अपनी प्रतिपुष्टित सूचना के आधार पर यह अनुभव किया जाता है कि सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है।

रेलवे टिकटों की बिक्री और अन्तरण के मामले में जालसाजी

914. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे के टिकटों की बिक्री और अन्तरण के मामले में जालसाजी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस जालसाजी को समाप्त करने के लिए गत तीन महीनों में कोई नए आदेश जारी किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अनधिकृत एजेन्टों तथा अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा अधिक राशि लेकर आरक्षित टिकटों की पुनः बिक्री/हस्तान्तरण के कुछ मामले समय-समय पर नोटिस में आये हैं।

(ख) धोखा-धड़ी निरोधक दस्तों तथा सतर्कता संगठन की सहायता से अधिकारी स्तर पर जांच-पड़ताल का काम तेज करने के अतिरिक्त अग्रिम आरक्षणों की अवधि को सभी दर्जों, सभी गाड़ियों और सभी स्टेशनों पर समान रूप से छः महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

भारतीय तेल निगम द्वारा अशोधित तेल के लिये ईराक की राष्ट्रीय तेल कम्पनी से करार

915. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
चौधरी राम प्रकाश :

क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम और ईराक की राष्ट्रीय तेल कम्पनी के बीच हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो करार के अन्तर्गत मई और दिसम्बर, 1976 के बीच कुल कितनी मात्रा में अशोधित तेल का आयात किया जायेगा; और

(ग) क्या ईराक के अशोधित तेल को हल्दिया परिष्करणशाला के लिये सुरक्षित रखा जायेगा ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख). मई और दिसम्बर, 1976 के बीच इंडियन तेल निगम और ईराक की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के बीच 2.1 मि० मी० टन कच्चे तेल के आयात के लिए हाल ही में एक करार हुआ।

(ग) ईराकी कच्चे तेल को केवल हल्दिया शोधनशाला के ही लिए सुरक्षित नहीं रखा गया है तथापि क्योंकि उस शोधनशाला में साफ किया जाना है, उपयुक्त होगा, हल्दिया शोधनशाला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मात्राओं का आवंटन किया गया है।

अशोधित तेल के लिये ईरान और अन्य देशों की राष्ट्रीय कम्पनियों से भारतीय तेल निगम के ठेके

916. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1975 में भारतीय तेल निगम ने अशोधित तेल के लिये ईरान, सऊदी अरब और अमरीका की राष्ट्रीय कम्पनियों से ठेके किये थे ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : जी, हां।

नई रेल लाइनें बिछाना, छोटी रेल लाइनों को ब्राडगेज लाइनों में बदलना तथा लाइनों को दुहरा करना

917. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेल लाइनें बिछाने, छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने तथा इस समय रेल लाइनों को दुहरा करने के बारे में जो कार्य किये जा रहे हैं उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) जिन राज्यों में नई रेल लाइनें बिछाये जाने की मांग की है उनके नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—11130/76]

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए मांग की गयी हैं जिन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया है लेकिन यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

रेलवे कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा आरम्भ किया गया कार्य

918. **श्री बी० वी० नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नव स्थापित रेलवे कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया ने कौन-कौन से निर्माण कार्य आरम्भ किये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : रेल मंत्रालय के तत्वावधान में एक सरकारी उपक्रम के रूप में अभी हाल में स्थापित की गयी इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (प्राइवेट) लि० को अब तक कोई रेलवे निर्माण परियोजना नहीं मिली है।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा पुरानी औषधियों की बिक्री

919. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित हैसलेमेर समूह द्वारा तैयार किये गये एक प्रतिवेदन के अनुसार बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां अप्रभावी औषधियों का मूल्य निर्धारण करने तथा उनका संवर्धन करके लाभ अर्जित कर रहीं हैं तथा इस प्रकार का कार्य तीसरी दुनिया के देशों में अधिक प्रचलित है ;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि जब कि अमेरीका में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा तैयार 35% औषधियां अप्रभावी, पुरानी तथा गलत सम्मिश्रण वाली पाई गई हैं तथा उन्हें बाजार से हटा लिया गया है, ये ही औषधियां तीसरी दुनिया के देशों में बेची जा रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने का उपाय किया है कि क्या ऐसी पुरानी और अप्रभावी औषधियां भारत में बिक रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त संकट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) हैसलेमेर समूह द्वारा तैयार किये गये रिपोर्ट के सम्बन्ध में 14 मई, 1976 के "टाइम्स" लन्दन तथा 17 मई, 1976 के स्टेट्समैन, कलकत्ता में सरकार को एक समाचार की जानकारी है। टाइम्स समाचार पत्र में बताया गया है कि रिपोर्ट के लेखकों ने यह दावा नहीं किया है कि उन्होंने कोई मूल अनुसंधान कार्य किया है। किन्तु अपनी रिपोर्ट तैयार करने में अनेक विभिन्न स्रोतों की सहायता ली है। "टाइम्स" समाचार के अनुसार लाभ कमाने, मूल्य नियत करने, अप्रभावी, औषधों, जिनका तीसरे विश्व में अधिक प्रचार किया जाता है, को प्रोत्साहन देने के स्पष्ट प्रमाण हैं। भारत में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970, जिसमें मूल्यों के संशोधन हेतु व्यवस्था है, के अन्तर्गत औषधों के मूल्यों पर सांविधिक नियंत्रण होता है। कथित आदेश के अन्तर्गत एक बार नियत मूल्य को सरकार की अनुमति लिए बिना नहीं बदला जा सकता है। 50 लाख रुपए की कुल बिक्री वाले औषध उत्पादन एकक कथित आदेश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। सूत्रयोगों के समस्त आयातकर्ताओं, जो देश में बिक्री करने के इच्छुक हों, को बिक्री करने से पूर्व अपने मूल्यों को निश्चित करवाना होता है। देश में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित समस्त औषध कम्पनियों पर यह आदेश एक समान लागू होता है।

इस आदेश में बताये गये मूल्य निर्धारण की वैकल्पिक योजना में करों से पूर्व कुल लाभ की भी व्यवस्था है। यदि आयातकर्ता अथवा उत्पादक के लेखा परीक्षित लेखों में दिखाये गये आंकड़ों पर 15% से अधिक होते हों तो उनको अलग खाते में रखना पड़ता है तथा उसे सरकार की अनुमति से आदेश में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

(ख) से (घ). औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत में औषधों पर गुण नियंत्रण किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार देश में तब तक किसी नये औषध का आयात अथवा उत्पादन नहीं किया जा सकता, जब तक इसकी स्वीकृति

औषध नियंत्रक द्वारा नहीं दी जाती है। नये औषधों को बेचने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले फर्मों को सरकार की स्वीकृति के लिए औषधों की सुरक्षा, दक्षता को सत्यापित करने के सम्बन्ध में औषध विज्ञान, विष विज्ञान, जीव रसायन तथा अन्य अध्ययनों के ब्यौरे प्रस्तुत करने होते हैं।

केवल ऐसे औषधों, जिन्हें सुरक्षित एवं प्रभावी समझा जाता है, को देश में बेचने की स्वीकृति दी जाती है। जिस नई औषध को मूल राष्ट्र में बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है, उसे भारत में बेचा जाता है। नये औषध को बेचने के लिए अनुमति-पत्र में एक शर्त यह लगाई जाती है कि स्वीकृति के बाद यदि औषध को विषैला या खतरनाक पाया गया तो स्वीकृति वापस ली जाती है। औषधों की अनिवार्यता तथा सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देने के लिए सरकार ने एक आवश्यक औषध समिति नियुक्त की है। समिति से औषध की सुरक्षा, दक्षता तथा अनिवार्यता के बारे में विचार विमर्श किया जाता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सरकारी क्षेत्रों में स्थित औषध एककों को जारी किये गये लाइसेंस

920. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में सरकारी क्षेत्र में स्थित औषध एककों को कितने आशय-पत्र और औद्योगिक-लाइसेंस जारी किये गये और किन-किन मदों और कितनी-कितनी क्षमता के लिए लाइसेंस जारी किए गये।

(ख) उक्त स्वीकृति कब दी गई थी और क्या सरकारी क्षेत्र में स्थित उक्त एककों में इसके अन्तर्गत आने वाली मदों में से किसी भी मद का उत्पादन आरम्भ हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो वे इसका उत्पादन कब से आरम्भ करेंगे ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के औषध यूनिटों को 11 औद्योगिक लाइसेंस एवं 8 आशय-पत्र दिये गये। इन औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में किये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०--11131/76]। आई० डी० पी० एल० संयंत्र में निम्नलिखित औषधों का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है :—

प्रपुंज औषध :—

1. क्लोरोपोपामाइड
2. मेट्रानिडाजोल
3. निट्राफुरनटाइन
4. सल्फापेनाजोल
5. थियासेण्टाजोन

सूत्रयोग:—

1. इण्डोमेथासीन कैप्सूल
2. फ्रूसेमाइड गोलियां
3. मेथाइल डोपा गोलियां
4. पथालाइल सल्फथियोजोल गोलियां
5. बी० काम्प्लक्स
6. चेवावेल विटामिन सी गोलियां
7. फ़िमाक्विन फारफेट गोलियां

आशा है कि विस्तार योजना सहित समस्त औषध मदों का उत्पादन पांचवीं योजना के अन्त तक प्रारम्भ हो जाएगा अथवा कार्यान्वित हो जाएगा ।

विदेशी औषध कम्पनियों को आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस दिये जाना

921. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26% से अधिक साम्य पूंजी वाली उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिनको गत दो वर्षों में आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस दिए गये हैं ;

(ख) गत दो वर्षों में कितनी कम्पनियों ने स्वीकृत परियोजनायें स्थापित कीं और उनमें उत्पादन आरम्भ हुआ ; और

(ग) क्या विदेशी कम्पनियां ......तत तथ्य सामग्री से फार्मूलेशन तैयार करती हैं, जिसको अन्य साधनों से प्राप्त करने की उनकी नीति के अनुसार अनुमति नहीं है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) 26% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी औषध निर्माण करने वाली कम्पनियों, जिनको 1-4-74 से 31-3-76 की अवधि के दौरान आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिए गये थे, के नाम निम्न प्रकार है :—

(क) आशय पत्र :

1. मैसर्स होचैस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०
2. मैसर्स डफर इण्टरफेन लि०
3. मैसर्स सीबा गेगी आफ इंडिया लि०
4. मैसर्स सुहरिद गेगी लि०
5. मैसर्स बूरोज वैल्कम इण्डिया प्रा० लि०
6. मैसर्स स्टेरलिंग ड्रग्स (इंण्डिया) प्रा० लि०
7. मैसर्स बेयर (इण्डिया) लि०

8. मैसर्स मैक-गांव रबीन्द्रा लि०

9. मैसर्स जर्मन रिमेजीज़

10. मैसर्स ग्रार्गनोन (इण्डिया) लि०

11. मैसर्स बोहरिंगर लाल लि०

12. मैसर्स ग्लैक्सों लेबोरेटरीज़

13. मैसर्स पार्क डेविस

14. मैसर्स एंग्लो फ्रेंच ड्रग्स

15. मैसर्स स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच

16. मैसर्स सैनवायोटिक्स लि०

17. मैसर्स सेण्डोज (इण्डिया) लि०

(ख) औद्योगिक लाइसेंस :

बनाण्ड

1. मैसर्स बुरोज वैल्कम

2. मैसर्स जर्मन रिमेडीज

3. मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोह्मे

4. मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स

5. हीक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०

6. मैसर्स फाइजर लि०

7. मैसर्स ग्रालकली एण्ड कैमीकल कारपोरेशन ग्राफ इंडिया लि०

8. मैसर्स बेयर (इण्डिया) लि०

9. मैसर्स सेण्डोज (इण्डिया) लि०

10. मैसर्स ओर्गनोन (इण्डिया) लि०

11. मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (इण्डिया) लि०

12. मैसर्स सिबे (इण्डिया) लि०

13. मैसर्स रूसल (इण्डिया) लि०

14. मैसर्स यूनी यी सी बी प्रा० लि०

15. मैसर्स यूनी सैण्को लि०

16. मैसर्स सैनवायोटिक्स लि०

17. मैसर्स माइल्स (इण्डिया) लि०

जिन कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं वे प्रयोजना को तभी कार्यान्वित कर सकते हैं जब कि उनको जारी किये गये आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस में बदले जायें। इन कम्पनियों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण-पत्र-1 में दर्शायी गई है।

(ग) इन कम्पनियों द्वारा बिना वैद्य औद्योगिक लाइसेंस के सूत्रयोगों के निर्माण के दो अवसर सरकार के ध्यान में आये हैं । इसके बारे में पहले ही 10-8-76 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	गत 2 वर्षों के दौरान दिये गये औद्योगिक लाइसेंस	कार्यान्वित लाइसेंस की संख्या	कार्यान्वित किये गये लाइसेंसों की संख्या
1	2	3	4	5
1	मैसर्स बुरोज वैल्कम	1	1	—
2	मैसर्स जर्मन रिमेडीज	2	2	—
3	मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स	1	1	—
4	मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोहमे	3	3	—
5	मैसर्स होचेस्ट	6	4	2
6	मैसर्स फाइजर	1	1	—
7	मैसर्स अल्कली केमीकल कारपारेशन आफ इण्डिया लि०	1	—	1
8	मैसर्स बेयर (इण्डिया) लि०	1	1	—
9	मैसर्स सैण्डोज (इण्डिया) लि०	1	1	—
10	मैसर्स आर्गनोन (इण्डिया) लि०	1	—	*1
11	मैसर्स ग्लैक्सो	1	1	—
12	मैसर्स सर्ल लि०	1	1	—
13	मैसर्स रूसल (इण्डिया) लि० (सी ओ वी०) लाइसेंस	1	1	—
14	मैसर्स यूनी यू० सी० वी०	1	1	—
15	मैसर्स यूनी सैंको	1	1	—
16	मैसर्स सैन बायोटिक्स	1	1	*1
17	मैसर्स माइल्स इण्डिया लि०	1	—	*1

*इन कम्पनियों को दिये गये लाइसेंस 2 वर्ष के लिए वैध है और इनकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है ।

**लाइसेंसो को कार्यान्वित करने की वैध अवधि 2 वर्ष है जो अभी समाप्त नहीं हुई है ।

तेल का उत्पादन और खपत

923. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में तेल का कितनी मात्रा में उत्पादन होने की सम्भावना है ;

(ख) कृषि और उद्योग में प्रत्याशित अधिक उत्पादन की गतिविधि को देखते हुए खपत की प्रवृति क्या है ; और

(ग) इस वर्ष में तथा अन्य दीर्घावधि के लिए तेल के आयात हेतु अन्य देशों से किये गये ठेकों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1976 में अशोधित तेल का लक्ष्य 8.96 मिलियन मी० टन है ।

(ख) 1976 के प्रथम 6 महीनों के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की खपत गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है ।

(ग) ईरान, इराक, सऊदी अरब तथा यू० ए० ई० के अपनी राष्ट्रीय तेल कम्पनियों एवं गैर-सरकारी तेल कम्पनियों से अपेक्षित आयात हेतु व्यवस्था की गई है ।

कोयली-परिष्करण-शाला और अन्य परियोजनाओं के लागत अनुमान

924. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयली-परिष्करण-शाला के विस्तार, मथुरा परिष्करणशाला और कोयली और मथुरा को पाइप-लाइन से जोड़ कर सलाया पर तट-दूर टर्मिनल के निर्माण के क्रमशः मूल परियोजना लागत अनुमान क्या थे ;

(ख) इस बारे में अन्तिम अनुमान क्या हैं और बढ़ी हुई लागत को कैसे खाते में डाला जायेगा ; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के पूरा होने के लिये निर्धारित समय सीमा की मुख्य बात क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान) :

(क) 1973 में तैयार किये गये सम्भाव्य रिपोर्ट पर आधारित सलाया तेल टरमिनल सहित कोयोली विस्तार मथुरा शोधनशाला की मूल लागत का अनुमान निम्न प्रकार है :—

	(रुपये/करोड़)
(i) कोयाली विस्तार	28.98
(ii) मथुरा शोधनशाला	97.00
(iii) पाइपलाइन	119.90

(ख) इन प्रायोजनाओं की वर्तमान लागत अनुमान निम्न प्रकार है :—

(i) कोयली विस्तार 56.49

(आई ओ सी द्वारा हाल ही में, प्रस्तुत किये गये डी पी आर पर आधारित)

(ii) मथुरा शोधनशाला ** 149.42

(iii) पाइपलाइन** 188.16

(** जैसा कि 1974 में मूल्यांकन किया गया)

आई ओ सी द्वारा डी पी आर तैयार किया जा रहा है। जैसे ही डी पी आर को अन्तिम रूप दिया जायेगा संशोधित लागत अनुमान की जानकारी प्राप्त होगी। सम्भाव्य रिपोर्ट तैयार होने के बाद तेल संकट के कारण उपकरणों, माल एवं श्रम में अत्याधिक वृद्धि से मुख्यतः लागत में वृद्धि हुई। निर्माण अवधि के दौरान ऋण के रूप में लिये गये पूंजी पर लिये जाने वाले व्याज को पूरा करने के लिये वित्तीय लागत की व्यवस्था इंजीनियरिंग डिजाइन के दौरान किये गये परिवर्तन एवं परिवर्धन तथा अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था आदि अन्य कारण थे।

(ग) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार आशा है कि कोयाली विस्तार प्रायोजना 1977 के अन्तिम तिमाही में यांत्रिक रूप में पूर्ण हो जायेगा तथा 1978 के प्रारम्भ में चालू हो जायेगा विस्तारित** कार्य-पूर्ण होने अपतटीय एवं तटवर्ती टरमिनलों तथा सलाया से वीरमगांव एवं कोयाली तक पाइपलाइन का कार्य 1977 के अन्तिम तिमाही में पूर्ण हो जाने की आशा है।

मथुरा शोधनशाला के दिसम्बर, 1979 तक यान्त्रिक रूप में पूर्ण हो जाने तथा अप्रैल, 1980 तक प्रारम्भ हो जाने का कार्यक्रम है। मथुरा शोधनशाला यांत्रिक कार्य पूर्ण होने के साथ साथ सलाया से मथुरा तक पाइपलाइन का कार्य 1979 के अन्तिम तिमाही तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

** कोयाली शोधनशाला का यांत्रिक कार्य पूर्ण होने के साथ-साथ

पश्चिम बंगाल में रेलवे में अपराध के मामले

925. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पूर्व, पूर्वोत्तर सीमान्त और दक्षिण पूर्व रेलवे में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार अपराध के कितने मामले हुए ;

(ख) उक्त अपराधों के परिणामस्वरूप रेलवे को और यात्रा करने वाली जनता को कितनी क्षति हुई ; और

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ लिया गया और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1973, 1974 और 1975 में पश्चिम बंगाल में पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण पूर्व रेलों पर अपराध के जितने मामलों की रिपोर्ट की गयी, उनकी कुल संख्या नीचे बतायी गयी है :—

रेलवे	मामलों की संख्या		
	1973	1974	1975
पूर्व	16,811	18,696	17,224
पूर्वोत्तरसीमा	6,27	758	697
दक्षिण पूर्व	1,335	1,437	1,296

(ख) रेलवे	रेलों तथा यात्री जनता को हुई हानि (रुपयों में)		
	1973	1974	1975
पूर्व	62,72,993	1,34,11,440	96,11,659
पूर्वोत्तरसीमा	4,57,786	5,98,376	9,66,836
दक्षिण पूर्व	2,74,281	7,16,691	5,24,845

(ग) (i) 1973, 1974 और 1975 में 5,812 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ii) रेलों पर अपराधों की रोक-थाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

(1) महत्वपूर्ण गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी मार्गरक्षक के रूप में भेजे जा रहे हैं।

(2) अपराधियों तथा चोरी का माल लेने वालो के खिलाफ राज्य सरकारों के सहयोग से एक जोरदार अभियान चलाया गया है। विशिष्ट अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अतिरिक्त, निरोधक कानूनो के अंतर्गत भी कार्रवाई की गयी है।

लक्ष्मीकान्तपुर और सुन्दरबन में छिद्रण कार्य

926. श्री आर० एन० बर्मन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी-कान्तपुर में तेल छिद्रण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) तेल की सम्भावना का पता लगाने के लिये सुन्दरबन क्षेत्र में किये गये छिद्रण कार्य के क्या निष्कर्ष निकले ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) लक्ष्मीकान्तपुर पर व्यधन कार्य डायमन्ड हारबर पर व्यधन कार्यों जिन्हें निकट भविष्य में ही प्रारम्भ किया जायेगा, के परिणामों पर निर्भर करेंगे।

(ग) सुन्दरबन क्षेत्र में अब तक कोई व्यधन कार्य नहीं किये गये हैं।

उर्वरकों के उत्पादन के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

927. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या विश्व बैंक से देश में वर्ष, 1975 में उर्वरकों के उत्पादन के लिये 21 करोड़ 20 लाख डालर की सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता की शर्तें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी०सी० सेठी): (क) और (ख). 1975 में इण्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरटिव लि० की फूलपुर परियोजना के लिये 109 मि० अमरीकी डालर के ऋण के लिये विश्व बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं और एक और समझौता अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन (आई डो ए) जो विश्व बैंक को सहयोगी संस्था है, के साथ 105 मि० अमरीकी डालर के विकास ऋण पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं। दोनों ऋणों की कुल राशि 214 मि० अमरीकी डालर है।

विश्व बैंक से प्राप्त होने वाला 109 मि० अमरीकी डालर का ऋण फूलपूर उर्वरक परियोजना के विदेशी मुद्रा अंश को पूरा करने के प्रयोग में लाया जायेगा और इसकी अवधि 16 वर्ष की है जिसमें 5 वर्षों की ग्रेस सम्मिलिति है और इस पर ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष होगी।

105 मि० डालर का आई डी ए विकास ऋण विद्यमान सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों उर्वरक एककों की प्रक्रिया को सुधारने के लिये उपयोग में लाया जायेगा। उर्वरक संयंत्रों की प्रक्रिया सुधारने के लिये संतुलन उपकरणों के अतिरिक्त यह ऋण निम्नलिखित के लिये भी उपलब्ध होगा :—

(i) अपने उपयोग के लिये विद्युत् उत्पादन संयंत्रों की निर्भरता को सुनिश्चित करने के लिये सहायक सुविधाओं का विकास।

(ii) फास्फेटिक उर्वरक संयंत्रों में फ्लोरिन की प्राप्ति जैसे उत्पादन नियंत्रण तथा उर्वरक संयंत्रों में सोडा राख जैसे उत्पादन के लिये परियोजनायें।

इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं है। परन्तु केवल 3/4 प्रतिशत प्रतिवर्ष का सेवा शुल्क है, इसकी अदायगी की अवधि 10 वर्षों की ग्रेस अवधि सहित 50 वर्ष है।

20—सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधियों के मूल्य

928. श्री एस० एम० सोलंकी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि औषधियों के मूल्यों पर सांविधिक नियंत्रण है क्या प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत औषध एककों को अपने मूल्य कम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है ; और

(ख) क्या मूल्य नियंत्रण आदेश में कोई त्रुटि है, और यदि हां, तो असमानताओं को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख) औषधों के मूल्य सांविधिक रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 जो मूल्यों में संशोधन की एक प्रक्रिया की व्यवस्था करता है, के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं। इस आदेश में निर्धारित पद्धति और मानदण्डों के अनुसार औषधों और दवाईयों के मूल्यो में सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जाता है। इस आदेश में निर्धारित मूल्य अधिकतम मूल्य हैं। और डीलर औषधों को अधिकतम मूल्यों से कम मूल्यों पर बेचने को बाध्य नहीं है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 में कोई कमी नहीं है और यह आदेश मई, 1970 से सन्तोषपूर्ण ढ़ंग से लागू है।

दिल्ली प्रशासन की कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति ने अधिकखपत वाली मदों के मूल्यों में कटौती करने के लिये औषधों और दवाइयों के निर्माताओं तथा डीलरों सहित निर्माताओं और डीलरों द्वारा स्वेच्छा से सहयोग प्राप्त करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

सी०ओ०बी० लाइसेंसों की अनुमति के लिये लम्बित आवेदन-पत्र

929. **श्री एस० एम० सोलंकी**: क्या रसायन और उवरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषध मदों के सी० ओ० बी० लाइसेंसों की अनुमति के लिये सरकार के पास कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और कम्पनियों के नामो का व्यौरा क्या है और उन्होंने किन-किन मदों के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ; और

(ख) गत दो वर्षों में दिये गये सी०ओ०बी० लाइसेंसों का व्यौरा क्या है तथा वे किन-किन कम्पनियों को दिये गये हैं उक्त लाइसेंसों में किन-किन मदों की कितनी कितनी क्षमता की स्वीकृति दी गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख) इस समय सरकार के पास औषध मदों के उत्पादन के लिये सी०ओ०बी० लाइसेंस की स्वीकृति हेतु 12 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं। विवरण-पत्र में कम्पननियों के नाम तथा सी०ओ०बी० लाइसेंस में आवेदित मदों का व्यौरा दिया गया है तथा यह सरकार के पास लम्बित पड़ा है एवं विवरण पत्र-II में 31-7-74 से 1-8-76 की अवधि के दौरान औषध उत्पादक कंम्पनियों को स्वीकृत सी०ओ०बी० लाइसेंसों के व्यौरो के साथ कम्पनियों के नाम तथा ऐसे लाइसेंसों में स्वीकृत वार्षिक क्षमता के व्यौरों युक्त विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी-III 32/76]

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समुद्र तट पर छिद्रण कार्य

930. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र**: क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तट दूर छिद्रण कार्य छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पुनः आरम्भ किया जायेगा।

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) जी, नहीं।

(ख) बंगाल उड़ीसा अपतटीय क्षेत्रों में दो अन्वेषी कुओं से प्राप्त आंकड़ों/सूचना की समीक्षा की जा रही है तथा कार्य का आगामी कार्यक्रम समीक्षा के परिणाम पर निर्भर करेगा।

जाजपुर से चांदबाली रेलवे लाइन के बारे में नये सिरे से सर्वेक्षण

931. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाजपुर से चांदबाली तक एक रेल लाइन का नये सिरे से सर्वेक्षण किया जायेगा जो कि इन दोनों स्थानों को उड़ीसा में कटक और मुख्य लाइन से जोड़ेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना कब आरम्भ की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

932. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री सी० जनार्दनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के लिये कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये वर्ष 1976–77 की वार्षिक योजना में क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या केरल सरकार इस बारे में रेलवे को सहायता देने को सहमत हो गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओलवक्कोड–कोचीन और एर्णाकुलम तिरूवनतपुरम सैंट्रल खण्डों के बिजलीकरण के लिए केरल सरकार ने रेलवे को लागत एवं व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए 50,000 रुपये की राशि भेजी है।

भट्ठी तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करके उसकी खपत में बचत

933. **श्री पी० गंगादेव :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भट्ठी के तेल के स्थान पर कोयले के प्रयोग से वर्ष 1975–76 में भट्ठी के तेल की खपत में कोई बचत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे विदेशी मुद्रा की भी कुछ बचत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग). जी, हां । भट्टी के तेल के स्थान पर कोयले तथा औद्योगिक यूनिटों तथा विद्युत क्षेत्र में पुर:स्थापित विभिन्न इंधन दक्षता उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप भट्टी के तेल की खपत में 1973–74 में 4,502 मिलियन मी० टन से 1974–75 में 4.300 मिलियन मी० टन एवं 1975-76 में 4.253 मिलियन मी० टन तक कमी हुई। भट्टी के तेल की खपत में पहले वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने यह अनुमान लगाया कि इन उपायों के परिणामस्वरूप 1975-76 में लगभग 27.5 करोड़ रुपये के मूल्य के लगभग 4.5 लाख मी० टन भट्टी के तेल की बचत हुई।

रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए बिजली यंत्रों का उपयोग

935. श्री पी० गंगादेव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे रेलगाड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त प्रयोजन के लिए बिजली यन्त्रों का उपयोग करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). गाड़ी परिचालन में और अधिक संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वचल चेतावनी प्रणाली और धुरा–काउंटर जैसे बिजली यंत्रों की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है।

महाराष्ट्र एक्सप्रेस

936. श्री बसन्त साठे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र एक्सप्रेस गाड़ी की रफ्तार कोल्हापुर और पुणे के बीच 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुणे, मनमाड, भुसावल और नागपुर के बीच इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घण्टा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस गाड़ी को डीजल से चलाने का है जिससे इसकी रफ्तार बढ़ सके और यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिये इस गाड़ी के साथ भोजनयान लगाने की व्यवस्था करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 83/84 महाराष्ट्र एक्सप्रैस गाड़ी की रफ्तार सिवाय दौंड-मनमाड खण्ड जहां पर खड़ी ढाल के कारण इसकी रफ्तार प्रति घंटा 80 कि० मी० निर्धारित की गयी है, समूचे मार्ग पर पहले से ही प्रति घंटा 90 कि० मी० निर्धारित की गयी है। रास्ते में बड़ी संख्या में ठहरावों के कारण कोल्हापुर और पुणे तथा पुणे और नागपुर के

बीच 83 डाउन और 84 अप महाराष्ट्र एक्सप्रैस गाड़ियों की प्रति घंटा औसत रफ्तार क्रमशः 35 और 37.5 कि० मी० तथा 39 और 40 कि० मी० है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ताज एक्सप्रेस के लिए दुमंजिले डिब्बे

937. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताज एक्सप्रेस में शीघ्र ही प्रयोगात्मक आधार पर दुमंजिले डिब्बे लगाने का विचार है ; और

(ख) प्रस्ताव की क्रियान्वित जल्दी से जल्दी कब तक की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). एक प्रोटोटाइप दुमंजिले सवारी डिब्बे का निर्माण किया गया है और इसे किस गाड़ी में लगाया जायेगा, यह विचाराधीन है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विदेशों में कार्य

938. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976–77 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों के लिये 6.15 करोड़ रुपये रखे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में हो रहे कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख). दक्षिण ईराक के 4175 वर्ग किलो लिटर क्षेत्र में अन्वेषण विकास और पैट्रोलियम उत्पादन के लिये ओ० एन० जी० सी० ने ईराक नेशनल आयल कम्पनी के साथ एक ठेका किया है। इसके अतिरिक्त ओ० एन० जी० सी० ने समीपवर्त्ती क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के लिये भी एक ठेका प्राप्त किया है। इन दोनों ठेकों के लिये 1976–77 की वार्षिक योजना में 6.15 करोड़ पये का प्रावधान किया गया है।

महानगरीय परिवहन परियोजना (रेल), कलकत्ता द्वारा आवंटित निधि का उपयोग

939. **श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरीय परिवहन परियोजना (रेल), कलकत्ता को आ टित धन राशि में से एक बड़ी राशि का उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 1972 से 1976 तक की अवधि में।

(ख) 1972–73 और 1973-74 के प्रथम दो वर्षों में प्रत्याशा से कम व्यय होने के कारण थे :

(i) अभिकल्पों को अंतिम रूप देने में अधिक समय का लगना।

(ii) आयात में गिरावट।

(iii) अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे की कम अदायगी।

1974–75 और 1975–76 में, संसाधनों के संशोधन तथा परियोजना की बड़ी लागत को देखते हुए सरकार द्वारा परियोजना को विस्तृत जांच किये जाने के कारण धन वापस करना पड़ा।

(ग) परियोजना के लिए उपलब्ध धन के उपयोग के लिए निर्माण कार्य की योजना बना ली गयी हैं।

बम्बई में कौवों का रेलवे लाइनों के साथ-साथ घोंसले बनाना

940. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कौवों ने बम्बई में रेल लाइनों के साथ घोंसले बनाने के लिये इस्पात चुराना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) लाइनों के पास घोंसलों से लटकती इस्पात की तारें यदि रेल लाइन के पेन्टोग्राफ से छू जायें तो उससे दुर्घटना हो सकती है; और

(ग) यदि हां, तो इस नए खतरे से बचने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। ऊपरी संरचनाओं पर घोंसले बनाने के लिए कौए अन्य वस्तुओं के साथ–साथ अवांछित तार के टुकड़े उठा ले जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) सदैव बने रहने वाले इस खतरे से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

(i) घोंसले बनाने के मौसम में ऊपरी संरचनाओं से घोंसले हटाने के लिए कर्मचारियों के विशेष दल नियुक्त किये जाते हैं।

(ii) बिजली गाड़ियों के सवारी डिब्बों की छतों पर पेन्टोग्राफों के आस-पास विद्युत–रोधी चादरें लगाई जाती हैं।

(iii) संरचनाओं के समीप ऊपरी तारों पर पक्षी रक्षकों की व्यवस्था की जाती है।

रेल डिब्बों, डीजल तथा बिजली के रेल इंजनों का निर्माण

941. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के तीन उत्पादन एककों ने 1975-76 के दौरान रेल डिब्बों के 535 ढांचों, 517 तैयार रेल डिब्बों, रेलवे के 138 इंजनों तथा रेलवे के 54 बिजली के इंजनों का निर्माण किया है :

(ख) यदि हां, तो रेल डिब्बों, बिजली तथा डीजल इंजनों में कितने प्रतिशत आयतित पुर्जे उपयोग में लाये गये ; और

(ग) क्या बाष्प इंजनों का निर्माण बिलकुल बन्द कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उपयोग में लाये गये आयातित पूर्जों का प्रतिशत निम्नलिखित था :—

(i) बिजली रेल इजन बड़ी लाइन	13.7%
(ii) डीजल शन्टर डब्ल्यू० डी० एस०—4 और डीजल रेल इंजन जैड़० डी० एम०—3/जैड डी०एम०—4	19.0%
(iii) डीजल-बिजली रेल इंजन बड़ी लाइन	9.5%
(iv) डीज़ल-बिजली रेल इजंन मीटर लाइन	9.4%
(v) पूर्णतः सुसज्जित परम्परागत सवारी डि़ब्बा—	
(क) इस्पात तथा पहिया और धुरा सहित	23.85%
(ख) इस्पात को छोड़कर	3.59%

(ग) जी० हां०।

मुसलमानो का बहु-पत्नीत्व सम्बन्धी कानून

942. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पास्कितान, बंगलादेश, ट्यूनिश्निया तथा अन्य देशों ने, जहां कि अधिकांश जनता मुसलमान है, मुसलमानों के बहु-पत्नीत्व सम्बन्धी कानून में संशोधन किया है; और

(ख) क्या सरकार का मूसलमानों को एक समय पर एक से अधिक पत्नी रखने पर रोक लगाने के लिए उक्त प्रकार का कानून बनाने का विचार है जिससे उन्हें भी बहु-संख्यक सम्प्रदाय के समकक्ष किया जा सके और हमारी प्रधान मंत्री के 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन को सफल बनाया जा सके ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सय्यद मुहम्मद) :

(क) बहुपत्नी प्रथा पर पाकिस्तान में कुछ निर्बन्धन लगाए गए हैं। ट्यूनिसिया, अल्जीयर्स और तूर्की में बहुतत्नी प्रथा पर रोक लगा दी गई है, जहां तक बंगलादेश का सम्बन्ध है इस मंत्रालय को इस विषय में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोलियम और हाई स्पीड डीजल की कमीशन दरों विषयक विभिन्न समितियों की सिफारिशें

943. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल मूल्य समिति ने इस वर्ष जनवरी में भारत सरकार को पैट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल की कमीशन की नई दरें, जिनमें 1955 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नियत करने के लिए कोई सिफारिश भेजी थी ;

(ख) क्या तेल मूल्यों विषयक शांतिलाल शाह समिति ने भी कुछ सिफारिशें की थीं ;

(ग) क्या एच० सी० ए० ई० आर ने भी 1972 में भारत सरकार को दिये अपने प्रतिवेदन में उपरोक्त दोनों उत्पादों की कमीशन के बढ़ाये जाने की सिफारिश की थी ;

(घ) क्या देश पेट्रोलियम डीलर कमीशन के न बढ़ाये जाने के कारण अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो समितियों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) : जी ,हां।

(घ) और (ङ) : जनवरी, 1976 में प्रस्तुत अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में तेल मूल्य समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार के कम तथा मध्यम बिक्री वाले पम्पों को आर्थिक रुप से व्यवहार्य बनाने के लिए और इसके साथ साथ अधिक बिक्री वाले पैट्रोल पम्पों के अधिक लाभों को देते हुए 1-7-76 से कमीशन की बढ़ती हुई दर लागू की है । यह कमीशन मोटर स्पिरिट पर औसतन 65 रु० प्रति किलोलीटर तथा हाइस्पीड डीजल तेल पर 40 रु० प्रति किलोलीटर है जबकि कमीशन की दर पहले क्रमशः प्रति लीटर 41.80 रुपए तथा 17.60 रुपए थी।

डीलरों ने समिति को पुनः अभ्यावेदन दिया है जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

गाड़ियों में खान-पान प्रबन्ध

944. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका मेल तथा तेज गति की अन्य एक्सप्रैस गाड़ियों जैसे मेल गाड़ियों में खान पान प्रबन्ध प्रतिदिन निकृष्ट होता जा रहा है जब कि राजधानी एक्सप्रैस गाड़ी में परोसा जाने वाला खाना बढ़िया किस्म का होता है ;

(ख) क्या सरकार का तेज गति की गाड़ियों में खान-पान के वर्तमान प्रबन्ध को बदलने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, इसके विपरीत डाक और तेज एक्सप्रेस गाड़ियों में खान-पान सेवाओं के मानक में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है । राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में दिया जाने वाला भोजन भिन्न किस्म का होता है क्योंकि इस गाड़ी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों से ऊंची दर पर विशेष किराया लिया जाता है ।

(ख) और (ग) डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में बेहतर किस्म का भोजन सप्लाई करने के उद्देश्य से परोसने के लिए तैयार भोजन देने के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर आधारभूत रसोईं पर स्थापित किये गये हैं । इस प्रणाली के अधीन स्वास्थ्यकर स्थितियों में तैयार किया भोजन उष्मारोधी ट्रालियों में रखकर गाड़ियों के पैंट्रीयानों में सप्लाई किया जाता है जहां इन्हें गर्म बक्सो में रखा जाता है और यात्रा करने वाले यात्रियों को गर्म खाना सप्लाई किया जाता है। हमारी अब नीति यह है कि इस प्रणाली को उत्तरोत्तर अन्य गाड़ियों में भी लागू किया जाए।

भारतीय तेल निगम की विकास दर में गिरावट

945. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की विकास दर में हाल ही में गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाचारात्मक उपाय प्रस्तावित किये गये हैं ।

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी हां। गत तीन वर्षों के दौरान आई० ओ० सी० की कुल बिक्री में वृद्धि निम्न रूप में हुई :—

1973–74	...	7.2%
1974–75	....	4.0%
1975–76	..	1.9%

देश में पी० ओ० एल० उत्पादों की खपत में गिरावट आने तथा हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन एवं भारत रिफाइनरीज लि० के पास उत्पादों की अधिक उपलब्धता के परिणामस्वरूप विकास में कमी हुई । इन शोधनशालाओं को अशोधित तेल की सप्लाई पहले रोक दी गई थी । विकास में इस कमी को रोका नहीं जा सकता ।

कम्पनियों के वित्तीय विवरणों का संकलन

946. **श्री भान सिंह भौरा** :
श्री डी० के० पंडा :

क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर कम्पनियां अपने वित्तीय विवरणों का संकलन करने में असामान्य समय लेती है ।

(ख) क्या सरकार कम्पनियों द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व **अपने** वित्तीय विवरण आवश्यक रूप से तैयार करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान्जी । कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण और प्रशासन की उन्नीसवीं वार्षिक रिपोर्ट, जो पहले ही लोक सभा में 30-3-1967 को रखी जा चुकी है । मैं उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-3-75 तक देश में कार्यरत कुल कम्पनियों की संख्या 43644 थी । सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास तुलन-पत्र लाभ, और हानि लेखा की 37,362 प्रतियां प्रस्तुत की गई थीं ।

(ख) तथा (ग) : कम्पनी अधिनियम की धारा 210 के अन्तर्गत, कम्पनियों के लिए अपने वित्तीय वर्ष की बन्द होने की तारीख से छः माह की अवधि में तुलन-पत्र लाभ और हानि लेखा की वार्षिक महासभा की बैठक में रखना बाध्यकर है । धारा 220 में अपेक्षित है कि इन लेखाओं की तीन प्रतियां कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास अधिनियम की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 के उपबन्धों के अनुसरण में सम्पन्न की जाने वाली वार्षिक महासभा की बैठक में स्वीकार की तारीख से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए । कम्पनियों द्वारा वार्षिक महासभा की बैठकें विलम्ब से सम्पन्न करने के परिणमस्वरूप तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखा कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण होतो हैं । इस विलम्ब के निवारण के लिए, कम्पनी को कि क्या वार्षिक महासभा की बैठक सम्पन्न होती या नहीं के तथ्यों पर विचार किए बगैर कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास अपने तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखे कम्पनी-रजिस्ट्रारों के पास प्रस्तुत करने को बाध्यकर करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

डाई-स्टफ तथा इण्टरमीडिएट्स का उत्पादन

947. **श्री धामनकर :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्याधुनिक डाइयों और इन्टरमीडिएट्स की घरेलू एवं निर्यात बाजार की मांग तथा सप्लाई की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हम अपेक्षित प्रकार के डाई-स्टफ का उत्पादन करने के लिए तकनीकी रूप से प्रगति कर चुके हैं और पूरी तरह उस के लिए सक्षम है और क्या इस बारे में तकनीकी अन्तर को पूरा करने के लिए चुनीन्दा आधार पर विदेशी सहयोग लिया जायेगा ; और

(ग) देश में डाई स्टफ और इन्टरमीडिएट्स की वर्तमान क्षमता बनाई जा रही है और किस प्रकार की डाई तथा इण्टरमीडिएट्स लघु क्षेत्र के लिए सुरक्षित है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी हां, विभिन्न रंजक पदार्थों के लिए नियत किये जाने वाला लक्ष्य के मापदण्ड के लिए अध्ययन किये गये हैं तथा घरेलू खपत के साथ-साथ निर्यात बाजार को बदलती हुई स्थिति को पूरा करने के लिए इन अध्ययनों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है ।

(ख) हम अपनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए रंजक पदार्थ के उत्पादन में पर्याप्त रूप में प्रगति कर चुके हैं । किन्तु उत्पादन के लिए यदि आर्थिक क्षमता सम्भव हो तो आधुनिक किस्म के विदेशी सहयोग पर विचार किया जाये ।

(ग) देश में रंजक पदार्थों की वर्तमान उत्पादन क्षमता का अनुमान प्रति वर्ष 16,700 मी० टन है तथा अन्तर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जा रहा है। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित निम्नलिखित रंजक पदार्थ एवं मध्यवर्ती पदार्थ है :—

1. आजो डाइज/डाइरैक्ट एवं अम्ल ।
2. बेसिक डाइज ।
3. पाइराजोलोन (मध्यवर्ती पदार्थ) ।

महाराष्ट्र तथा गुजरात के तट-दूर क्षेत्रों से एसोसियेटिड गैस और कच्चे तेल का उत्पादन

948. **श्री धामनकर :** क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-हाई तट-दूर क्षेत्र तथा महाराष्ट्र एवं गुजरात की अन्य तट-दूर संरचनाओं से कच्चे तेल के उत्पादन के साथ एसोसियेटिड गैस का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) क्या तट-दूर परियोजनाओं से उपलब्ध होने वाली एसोसियेटिड गैस को औद्योगिक एवं अन्य प्रयोजनों के लिए लाभ-दायक ढंग से उपयोग में लाने के बारे में कोई सक्रिय अग्रिम आयोजना की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो एसोसियेटिड गैस पर कौन-कोन सी परियोजनाएं आधारित की जा सकती है और अल्प चरण-बद्ध कार्यक्रम क्या हैं जिससे कि उपयोग में लाने सम्बन्धी प्रबन्ध न होने के कारण गैस व्यर्थ में न जले ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) : बम्बई हाई क्षेत्र से प्रति वर्ष 10 मिलियन मी० टन तेल और प्रति दिन लगभग 3 मिलियन घन मीटर सम्बन्ध गैस के अधिकतम उत्पादन की आशा है। बसीन और अन्य अपतटीय संरचनाओं, जहां तेल पाया गया है, में उत्पादन क्षमता का अभी अनुमान लगाया जाना है। बम्बई हाई क्षेत्र से प्राप्त संबद्ध-गैस के परिवहन और उपयोग से सम्बन्धित मामले विचाराधीन हैं।

कांगड़ा घाटी रेलवे के लिये वैकल्पिक मार्ग पूरा करना

949. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा घाटी रेलवे के वैकल्पिक मार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को माल तथा पैसेंजर यातायात के लिए कब से खोला जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख): कांगड़ा वैली रेलवे लाइन के जवांवाला शहर और गुलेर स्टेशनों के बीच के खण्ड में पुनः संरेखण का काम अभी भी चल रहा है। मैसर्स ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी, कलकत्ता से जिन्हें इस परियोजना के तीन पुलों (देहर, सुखद और राज) के लिए गर्डरों की संरचना तथा उन्हें लगाने का कार्य सौंपा गया था, विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि वे इन पुलों का कार्य पूरा करने में

तेजी लायें और इसे सितम्बर, 1976 के अंत तक समाप्त करने का प्रयास करें। इन पुलों का काम पूरा होने के तत्काल बाद, कदाचित् 21-10-76 तक इस लाइन को खोलना संभव हो पायेगा।

बंगलौर और सुब्रामण्या रोड के बीच रेलगाड़ी चलाना

950. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कनारा जिले में नई बिछाई गई रेल लाइन पर मंगलौर तथा सुब्रामण्या रोड के बीच पैसेंजर गाड़ियां चलाने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को कब तक यातायात के लिए खोला जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अनन्तिम रूप से दिसम्बर, 1976 के अंत तक।

बंगलौर के निकट सड़कें फिर से बनाना

951. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मंगलौर के निकट नीरू मार्ग से बलाछिल और नीरू मार्ग से अरकुला की दो सड़कों के पास मंगलौर-हसन रेल लाइन बिछाने के पश्चात् इन सड़कों को फिर से नहीं बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सड़कों को किस प्रकार से बनाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) नीरूमार्ग से बलाछिल जाने वाली सड़क के लिए बिना चौकीदारवाला समपार बना दिया गया है और अब सड़क पर आने जाने वाले उसका उपयोग कर रहे हैं।

नीरू मार्ग से अरकुला जाने वाली सड़क पर, जो उपयुक्त समपार से लगभग 2550 फुट की दूरी पर रेलवे लाइन को पार करती है, एक पैदल पार-पथ की व्यवस्था कर दी गयी है।

जिस समपार का पहले उल्लेख किया गया है उसका उपयोग वाहन यातायात द्वारा किया जायेगा।

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा होस्टलों तथा रेस्टोरेंटों को कुकिंग गैस की सप्लाई रोकना

952. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन आयल कारपोरेशन को निदेश दिया है कि देश में होस्टलों कैन्टीनों तथा रेस्टोरेंटों में कुकिंग गैस की सप्लाई न की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) तरल पैट्रोलियम गैस की सीमित उपलब्धता तथा गृहणियों की सहायता के लिए घरेलू उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तेल कम्पनियों को निम्न रूप में सलाह दी गई है :—

(i) संगठित संस्था, जहां खाना पकाने का कार्य कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है (जैसे कैन्टीन, होटल, दुकान आदि) से तरल पैट्रोलियम गैस की मांग को निर्धारित सीमित सीमा को छोड़कर पूरा न किया जाये।

(ii) आवाससीय छात्र संख्या के मूल्यांकन के आधार पर उन क्षेत्रों, जहां कोयला/साफ्ट कोक शीघ्र उपलब्ध नहीं होता है, को तरल पैट्रोलियम गैस सप्लाई की जाय; तथा

(iii) होटल, रेस्टोरैंट, कैन्टीन आदि को तरल पैट्रोलियम गैस का वापस लेने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। विगत में इसे प्रयोग करने वालों से तरल पैट्रोलियम गैस को अभी वापस नहीं लिया जा रहा है तथा यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्यवाही को फिलहाल लम्बित रखा जाय।

तथापि तरल पैट्रोलियम गैस कनैक्शनों को होटल/होस्टलों के कुछ मामलों में स्वीकृत किया गया है जो विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

तालुक स्तर पर मिट्टी के तेल डिपो की स्थापना

953. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों का पूरे देश में तालुक स्तर पर मिट्टी के तेल के डिपो खोलने की योजना को क्रियान्वित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वह कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी): (क) से (ग): अन्य तेल उद्योग के सदस्यों के साथ समन्वय सहित हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा तालुका कैरोसीन डिपो के विकास के लिए एक क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया है। रत्नगिरि जिले में एक पाइलट प्लांट (संयंत्र) प्रारंभ किया गया है। तालुका कैरोसीन डिपो की योजना में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक तहसील/तालुका में जहां तक व्यवहार्य हो, मिट्टी के तेल भंडार केन्द्र की स्थापना की जाय जिससे पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा राज्यवार आंवटनों के अनुसार तेल कंपनियों के निर्देशों के अन्तर्गत तालुका स्तर पर मिट्टी का तेल वितरण किया जा सके? इसके बाद तालुका कैरोसीन डिपो से बाहर मिट्टी के तेल का वितरण कार्य डीलरों एवं फुटकर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। यह उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है जैसी कि स्थिति इस समय है। पैट्रोलियम उत्पादों की वितरण पद्धति पर दामले समिति ने इस योजना की सराहना की है तथा सरकार द्वारा यह योजना को सिद्धांतरूप में स्वीकार करने की सिफारिश की है। तथापि समिति की सिफारिश पर इस समय विचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अभूतपूर्व स्थिति के कारण, अनेक सदस्य उपस्थित नहीं हैं। आज मैं विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह अपने सहयोगियों की ओर से, जो यहां उपस्थित नहीं, सभा पटल पर पत्र रखें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the table.

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 343 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 11117/76]

(2) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 344 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11118/76)

तमिलनाडु सहकारी समितियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) अधिनियम

निर्माण, आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं **श्री** ए० सी० जार्ज की ओर से तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु सहकारी समितियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 25) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 1 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11119/76)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 440 (ङ) (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमेंट (गुणप्रकार नियंत्रण) आदेश, 1962 सिक्किम राज्य पर लागू किया गया है। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11120/76]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 25 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 351 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 25 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 352 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) पांचवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 757 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) छठा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 758 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 812 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 813 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 814 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 815 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सा० सां० नि० 400(ङ) जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 827 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 401 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) बारहवां -संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 402 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सा० सां० नि० 403 (ङ) जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) तेरहवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 404 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तेरहवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 405 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सौलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) बारहवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 22 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 416 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 22 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 417 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौदहवां संशोधन विनियम 1976 जो दिनांक 25 जन, 1976 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या सा० सां० नि० 424 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौदहवां संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 25 जन, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 425 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 900 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 901 मे प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 902 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेईस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) नौवां संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 438 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चौबीस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 439 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पच्चीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पन्द्रहवां संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 990 में प्रकाशित हुए थे ।

(छब्बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पन्द्रहवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 10 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 991 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्ताईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) नौवां संशोधन विनियम 1976 जो दिनांक 23 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 465 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(अठाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 23 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 466 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11121/76]

विधान सभाओं के सामान्य निर्वाचन तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, तमिलनाडु धार्मिक तथा धर्मस्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा तमिलनाडु हिन्दू विवाह (रजिस्ट्रीकरण) नियम के अन्तर्गत अधिसूचना सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. (एक) वर्ष 1974 में मणिपुर-नागालैण्ड, उड़ीसा, पांडिचेरी और उत्तर प्रदेश तथा वर्ष 1975 में गुजरात की विधान सभाओं के सामान्य निर्वाचन तथा वर्ष

1974 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन व्याख्यात्मक की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11122/76]

2. तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व अधिनियम, 1959 की धारा 116 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) हुन्डियल स्थापना, संरक्षण तथा लेखा नियम, 1975 जो दिनांक 12 नवम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1231 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० ओ० एम० 1409 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा हिन्दू धार्मिक और धर्मार्थ धर्मस्व सर्वहित निधि नियम, 1962 के प्रशासन में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) जी० ओ० एम० 1541 जो दिनांक 21 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ए०—1034 में प्रकाशित परामर्शदात्री समिति नियम में कतिपय संशोधन किया गया है।

(चार) जी० ओ० एम० 780 जो दिनांक 30 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हुन्डियल स्थापना संरक्षण और लेखा नियम, 1975 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(पांच) उपर्युक्त (एक) (दो) और (तीन) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(छः) उपर्युक्त (एक), (दो), (तीन) और (चार) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11123/76]

3. तमिलनाडु हिन्दू विवाह (पंजीकरण) नियम, 1967 में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या जी०ओ०एम० 2066* जो दिनांक 10 सितम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11124/76]

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लागत लेखा अभिलेख (सोडा ऐश) नियम, 1976 जो दिनांक 29 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 1720 में प्रकाशित हुए थे।

(2) कम्पनी (कर्मचारियों का ब्यौरा) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 942 में प्रकाशित हुए थे।

(3) कम्पनी (लाभ का आरक्षित निधि में अन्तरण) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 472 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11125/76]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Members Bills and Resolutions

66वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वेल (स्वायत्तशाली जिले): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 66वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

54वां, 55वां तथा 56वां प्रतिवेदन

श्री निहार लास्कर (करीमगंज): मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) कृषि और सिचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (मुख्यालय) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा विस्तारण निदेशालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में 35वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 54 वां प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनका नियोजन तथा विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रवेश और उनको प्रदान की गई अन्य सुविधाओं के बारे में 42वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 55वां प्रतिवेदन।

(3) भूतपूर्व वित्त मंत्रालय (बैंककारी विभाग)—बैंक आफ इण्डिया में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती के बारे में 48वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 56वां प्रतिवेदन।

दिल्ली विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक

Delhi Sales tax (Amendment and validation) Bill

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विगत अवधि में यथापूर्वत विक्रय कर से सम्बन्धित विधि का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन तथा ऐसी अवधि के दौरान कतिपय माल के विक्रय या क्रय पर करों का विधि मान्यकरण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विगत अवधि में यथाप्रवर्त विक्रय कर से सम्बन्धित विधि का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन तथा ऐसी अवधि के दौरान कतिपय माल के विक्रय या क्रय पर करों का निधि मान्यकरण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री के० रघुरामैया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राज्यक्षेत्रीय सागरखंड महाद्वीपीय मानतट-भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र विधेयक

Territorial water, Continental shelfs, Exclusive Economic zone and other Maritime zones Bill contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री एच० आर० गोखले द्वारा 16 अगस्त, 1976 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय, मग्नतटभूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों से सम्बन्धित कुछ विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

श्री जगन्नाथराव (छत्तरपुर) : संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अधिवेशन में सामुद्रिक क्षेत्र तथा तटवर्ती राज्यों के अधिकारों के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये गये थे तथा इससे सम्बन्धित एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया था।

हमारा सागर तट बहुत लम्बा चौड़ा है। हमारे संसाधन भी पर्याप्त हैं। हमने समुद्र में तेल के निक्षेपों का पता भी लगाया है। हमारे समुद्री तल में खनिजों के निक्षेप भी हैं। हमें इनका लाभ उठाना चाहिये। इसमें बहुमूल्य धातुयें हैं।

हमें सामुद्रिक विज्ञान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मित्र देशों के सहयोग से हमें यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये। अतः यद्यपि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास है तथापि हमें उसी के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिये क्योंकि वहां अंतिम रूप से निर्णय तो कभी भी नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त हमें सबसे पहले तो समुद्र दूषण के बारे में सोचना है। दूषण की समस्या जीवित संसाधनों पर अर्थात् मछली आदि के उत्पादन पर प्रभाव डालती है। कहा जाता है कि समुद्र दूषण की समस्या का 4/5 भाग भूमि के संसाधनों और 1/5 भाग समुद्री जहाजों द्वारा तेल आदि छोड़ने के कारण पैदा होता है।

पिछले 25 वर्षों के दौरान जहाजों द्वारा माल लाने-लेजाने की मात्रा बहुत बढ़ी है। यह अब 3060 लाख जी० आर० टी० तक पहुंच गई है। चूंकि हमारा समुद्री तट काफी लम्बा है इसलिये हमें इस समस्या को शीघ्र हल करना चाहिये।

हमें समुद्री प्राद्योगिकी का पूरा ज्ञान नहीं है। पर महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में हमारे पास मछली पकड़ने के बहुमूल्य क्षेत्र है जिनका हमें अच्छी प्रकार उपयोग करना है। पर हमारे मछुए गहरे समुद्र में जाते ही नहीं। देश के तटवर्ती राज्यों के सहयोग से हमें उन संसाधनों का उपयोग करना चाहिये।

चारों ओर से स्थल आवष्टित देशों की समस्या भी है। कहा गया है कि जीवित संसाधनो में उनका भी भाग होना चाहिये। वे खनिज संपदा का हिस्सा तो नहीं ले सकते पर मछली उत्पाद में हिस्सा बंटा सकते हैं। इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये।

जहां तक ऐतिहासिक सागरखंड का सम्बन्ध है, इस बारे में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी० आर० वेंकटरामन अय्यर ने एक अत्यन्त रोचक निर्णय देते हुए कहा था कि पॉक स्ट्रेट और मठार की खाड़ी समुद्र का भाग नहीं है। ये वे द्वीप हैं जिनका द्वार अन्तर्देशीय सागर खंड में है, समुद्र में नहीं। अतः इस क्षेत्र पर हमारी प्रभुसत्ता है और इन क्षेत्रों को भारत का अंग माना जाना चाहिये।

अन्डमान, निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तथा अमीनदीवी द्वीप समूह को भारत का अंग माना जा रहा है या इन्हें अलग से द्वीपसमूह मान रहे हैं। इसे स्पष्ट किया जाये।

पड़ौसी देशों के साथ समुद्री सीमा का भी स्पष्ट निर्धारण होना चाहिये। श्री लंका और भारत के बीच एक समझौता हुआ भी है। बर्मा के साथ क्या हमारी कोई विवाद है या उससे समझौता हो चुका है।

इस अधिनियम के लागू होते ही हमारे समुद्री क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो जाना चाहिये। हमें अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों पर निर्भर नहीं होना चाहिये। हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का भय क्यों है जबकि यह तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही है। हमें अपने नये नक्शे और चार्ट प्रकाशित करने

चाहिये। अतः मेरा सुझाव है कि विधेयक को शीघ्र लागू किया जाये और समुद्री कानून सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो निर्णय लिये जायें उन्हें तुरन्त कार्यान्वित कर दिया जाये।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। निर्गुट देशों के सम्मेलन में जो मांग की गई है, यह विधेयक उसके अनुरूप ही है। यह तो सच है कि समुद्री क्षेत्र और समुद्री संसोधन विवाद का विषय बन गये हैं। मुख्य रूप से विवाद साम्राज्यवादी शक्तियों और विकासशील देशों के बीच है क्योंकि ये कम विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्था के विकास और जनता के लाभ के लिए अपने समुद्री संसाधनों का विकास और उपयोग करना चाहते हैं। समय गुजरने के साथ यह संघर्ष और गम्भीर होता जा रहा है।

मंत्री जी ने कहा है कि कुछ मामलों में आम सहमति है परन्तु कुछ मामले अभी भी पूरी तरह नहीं सुलझे। इसलिये विधेयक को लचीला रखा गया है। ताकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार हम अपने कानून में परिवर्तन कर सकें।

एक शंका तो यह है कि क्या इस विधेयक को पास कर हमारी इस एक तरफा कार्यवाही से हमारे मित्र पड़ौसी देशों से समझौते की सम्भावनायें अवरुद्ध हो जायेंगी। वस्तुतः नेपाल और भूटान जैसे स्थल आवेष्टित देशों के साथ राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड का उपयोग करने के लिए समझौता पहले ही हो चुका है। उनके साथ सहयोग के लिए बोर्डों का गठन किया जा सकता है।

निर्गुट देशों के 200 मील लम्बे आर्थिक क्षेत्र और 24 मील लम्बे अविछिन्न क्षेत्र बनाने सम्बन्धी प्रस्तावों का हम दृढ़ता से समर्थन करते हैं। हमें इन क्षेत्रों का उपयोग करने के लिए इस पर पूरा नियंत्रण करना चाहिये।

हम साम्राज्यवादियों का घोर विरोध करते हैं। पर हमें अपने मित्र देशों और स्थल आवेष्टित मित्र देशो के साथ नरमी का रवया अपनाना चाहिये। कोई भी गलत कदम उठाने से प्रतिक्रियावादी तत्व हमें अलग-अलग करने का प्रयत्न करने लगेंगे। बंगला देश का फरक्का सम्बन्धी प्रचार इसी श्रेणी में आता है। इसलिए इस विधेयक को बनाते समय विशेष सावधानी बरती जानी चाहिये। इन छोटे पड़ौसी देशों की मांगों और हितों का भी ध्यान रखा जाये।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : महोदय, देश के आर्थिक विकास और हित की दृष्टि से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अभी तक यूरोप के नौशक्ति की दृष्टि से शक्तिशाली देश ही गहरे समुद्रों की स्वतंत्रता का लाभ उठाते रहे हैं। पर हाल की प्रौद्योगिकीय उन्नति ने यह सिद्ध कर दिया है कि समुद्र के नीचे संसाधनों का खजाना छिपा हुआ है।

भारत में कोई भी राज्य सरकार अपने किसी भी उद्देश्य के लिए राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड पर अपना दावा नहीं कर सकती। संवैधानिक दृष्टि से राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, आर्थिक क्षेत्र तथा ऐसे सभी क्षेत्रों पर केन्द्र सरकार का ही अधिकार है और इनका उपयोग सम्पूर्ण देश के लाभ के लिए किया जा सकता है। लेकिन हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या सम्बन्धित तटवर्ती राज्यों, देश के घटक एककों को संसाधनों का उपयोग करने में कुछ विशेष महत्व दिया जा सकता है। कुछ संघीय देशों में ऐसा विवाद उठ खड़ा हुआ है। पर इस बारे में हमारे यहां की स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में संघ के तटवर्ती राज्यों को रायल्टी आदि के रूप में कुछ धनराशि दी जा सकती है।

जहां तक इन क्षेत्रों के बारे में दो देशों के बीच समुद्रतट का पुनर्रेखांकन करने का प्रश्न है, खंड 2 में इसकी व्यवस्था की गई है। अभिसमयो तथा समुद्र विधान सम्बन्धी पूर्व सम्मेलनो में दो अलग-अलग मानदंड प्रयोग में लाये गये हैं। यहां उन देशों के बीच अन्तर स्थापित करने का प्रयास किया गया है जो निकटवर्ती देश हैं और जो अर्ध्वमुखी हैं। हमें पता नहीं कि इस विधेयक के उपबंध उन के अनुरूप हैं या उनसे अलग हैं।

इस अधिनियम में यदि कोई परिवर्तन भविष्य में किये जायें तो उन्हें भी सभा के सम्मुख लाया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कुछ सीमा तक तट विधेयक पहले से ही अधिकृत है क्योंकि 1958 और 1960 में आयोजित समुद्री कानून सम्बन्धी सम्मेलनों में ये परम्पराएं अपनाई गई थीं लेकिन वास्तव में उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। इसी कारणवश अब तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमें अपनी प्रभुसत्ता अक्षुण्ण बनाये रखने की दृष्टि से यह पहले ही से अधिकृत कार्यवाई करनी चाहिये क्योंकि हम इसे पूर्णतः वैध मानते हैं। विज्ञान और टेक्नौलाजी से इस तथ्य का पता चला है कि समुद्र में पानी के नीचे कच्चा माल, खनिज आदि कई पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। लेकिन हमें इस पर स्वेच्छा से इतनी सीमा लगानी चाहिये जिससे भविष्य में कोई विवाद न पैदा हो।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि निर्गुट देशों के बीच कोई विवाद नहीं है। उनके बीच कुछ विवाद हैं। ये विवाद समय-समय पर खड़े होते हैं। परन्तु इन विवादो से अधिक महत्वपूर्ण बात है उन सभी विकासशील देशो, निर्गुट देशों और उन देशो का समान हित जिन्होंने गत 25 या 30 वर्षों में उपनिवेशवादी शक्तियों से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की है।

मेरे विचार में राज्यक्षेत्रीय सागरखण्ड की 200 मील की सीमा की संकल्पना न्यूनाधिक स्वीकृत हो गई है। लेकिन इसे विशेष समझौते या सन्धि के रूप में अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यदि राज्यक्षेत्रीय सीमा, राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड, अविछिन्न क्षेत्र तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्रों की संकल्पना स्वीकृत भी हो गई तथा हम इस सीमा तक इसे स्वीकार भी कर ले तो इससे विस्तृ समुद्र भी संकुचित हुआ जान पड़ेगा। सम्भवतः विवाद या असहमति का एक यह भी कारण है जो विकासशील तथा गुट निरपेक्ष देशों और साम्राज्यवादी देशो के बीच पैदा हो रहा है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र की संकल्पना विकासशील देशों के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन थल सीमा से घिरे देशों के हितों को कैसे संरक्षण मिलेगा? हमारे पड़ोसी देश थल सीमा से घिरे हुए हैं उनसे हमारे सम्बन्ध बड़े मैत्रीपूर्ण हैं। अतः हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो भी कानून हम बनायें उनसे ये थल सीमा से घिरे इन देशों के वैध हितों के प्रसारण में मिले।

जहां तक समद्र तट पर विद्यमान संसाधनों का सम्बन्ध है हम मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है कि 1968 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने समुद्रतल के संसाधनों का उपोग करने के लिये ऋण स्थगित करने की घोषणा की थी और क्या ऋण स्थगन का उपबन्ध अब भी लागू है क्योंकि समुद्र तल के संसाधनों के सम्बन्ध में विकसित और अविकसित देशों के बीच विवाद है।

समुद्र तल प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बारे में अब स्थिति क्या है ? इस सम्बन्ध में सरकार का क्या मत है? प्रतीत होता है कि कुछ शक्तियां यह चाहती हैं कि यदि समुद्र तल प्राधिकरण गठित भी हो जाये तो उसे कम से कम अधिकार प्राप्त हों जबकि अन्य विकासशील देश यह चाहते हैं कि इस प्राधिकरण को उचित और पर्याप्त अधिकार प्राप्त हों जिससे यह अधिकार यह सुनिश्चित करे कि कोई देश अपनी श्रेष्ट प्रौद्योगिकी के कारण इन संसाधनों का एक तरफा लाभ न उठा सके ?

किसी अन्य देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में किसी देश द्वारा उस देश की अनुमति से वैज्ञानिक अनुसन्धान करने के अधिकार का प्रश्न उठाया गया है। यह एक तरफा नहीं हो सकता। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में हमारी सरकार का क्या विचार है। मैं इस बात के लिये अधिक सिफारिश नहीं करता कि हम अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसन्धान करने के लिए विदेशी शक्तियों को अनुमति दें क्योंकि इन तरीकों से ही वैज्ञानिक अनुसन्धान के नाम पर कई सन्दिग्ध कार्य किये जाते हैं।

आर्थिक क्षेत्र की 200 मील की सीमा से भारत सहित किसी भी विकासशील देश के लिये बहुत ही समस्यायें पैदा हो जायेंगी। हमारे देश की समुद्र तट सीमा काफी लम्बी है। अपने आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से तटीय सतकता बरतना और बहुमूल्य संसाधनों की रक्षा के लिये वास्तव में महान कार्य है। तट पर सतर्कता बरतने की समस्या से निपटने के लिये अन्वेषण और दोहन के लिये अन्तर्जल आधुनिक टैक्नोलोजी का अर्जन करना आवश्यक है। हमें तस्करी को रोकने सम्बन्धी प्रश्न के बारे में कुछ अनुभव हैं। हम सब जानते हैं कि अबूधाबी से कितनी मात्रा में तस्करी की जा रही है। 200 मील के आर्थिक क्षेत्र की सतर्कता के लिये संसाधनों सम्बन्धी समस्या पैदा होगी। जहां तक आर्थिक क्षेत्र के दोहन का सम्बन्ध है हम तेल के लिये तटदूर और ड्रिलिंग कर रहे हैं। इसके लिये हमें विदेशी तकनीकी सहायता की आवश्यकता है जिस पर हम धीरे-धीरे काबू पा सकेंगे।

जहां तक प्रदूषण की समस्या का सम्बन्ध है समुद्र तट पर प्रदूषण-रोधी प्रौद्योगिकी का पर्याप्त विकास हो गया है और इसका बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। हमें भी ये प्रदूषण-रोधी प्रौद्योगिकी मानक हमारे राज्यक्षेत्रीय सागर खण्ड से हो कर गुजरने वाले सभी जहाजों पर कठोरता से लागू करना होगा।

इस विधेयक के एक खण्ड में कम्पनियों द्वारा किये गये अपराधों से सम्बन्धित है, जो प्रदूषण फैलाती हैं। इस प्रकार के अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। परन्तु हमारे कानून का उल्लंघन करने वाली विदेशी सरकारों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाएगी ? यह अभी अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की किसी देश द्वारा उल्लंघन का मामला एक विशेष तरीके से निपटाया जाता है। परन्तु जब हमारे कानून का कोई देश उल्लंघन करता है तो हम उस स्थिति को कैसे निपटायेंगे ?

जहां तक मछली पकड़ने सम्बन्धी अधिकारों का सम्बन्ध है, इन बातों की परिभाषा देना बहुत कठिन है क्योंकि बहुत सी किस्म की मछलियां दूसरे सागर खण्डों से आ जाती हैं। ये मछलियां हमारे समुद्र तट पर उथले पानी में पलती हैं और प्रजनन करती हैं किन्तु ये मछलियां कभी कभी आती हैं और फिर दूर खुले समुद्र में चली जाती हैं जहां उन्हें कोई भी पकड़ सकता है।

वास्तव में बहुत सी क्षमता अनुपयुक्त पड़ी हुई है। इस सम्बन्ध में हमारा देश बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। हम इस भारी क्षमता अथवा संसाधन का पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि एक बार हमने इन परिभाषाओं को अपनी संविवद पुस्तक में संहिता-बद्ध कर दिया तो इसका यह अर्थ हुआ कि हमें इसका सदुपयोग करना चाहिये।

जहां तक एतिहासिक सागर खण्ड का सम्बन्ध है इस विधेयक में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। एतिहासिक सागर खण्ड का उल्लेख तो है किन्तु इसका अर्थ नहीं बताया गया है। मंत्री महोदय सदन को बतायें कि ऐतिहासिक सागरखण्ड की संकल्पना का अर्थ क्या है ?

यह सम्भवतः दैवयोग है कि संसद् इस विधेयक पर उस समय चर्चा कर रही है जब कि कोलम्बो सम्मेलन का अधिवेशन चल रहा है। मैंने आज समाचारपत्रों में देखा है कि श्रीमती भण्डारनायके ने अपने उद्घाटन भाषण में उल्लेख किया है कि निर्गुट देशों के राष्ट्राध्यक्षों के इस एतिहासिक सम्मेलन को समुद्री कानून के माले पर चर्चा करनी चाहिये और एक सहमति पर पहुंचना चाहिये। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि भारत कोलम्बो अधिवेशन में इस मामले में पहल करेगा और निर्गुट देशों में यह प्रयास करेगा कि समुद्री कानून से पैदा होने वाले विवादों को हल करने के लिये कोई तरीका सोच निकाला जाये। मुझे आशा है कि वे कोई ऐसा तरीका खोजेंगे जिससे समुद्री सीमा का हल आपसी सहयोग से किया जा सके। अतः इन निर्गुट देशों के बीच टैक्नोलोजी का परस्पर आदान-प्रदान की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वे इससे लाभ उठा सकें क्योंकि उनके हित एक समान हैं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थना करता हूं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : इस विधेयक का समर्थन करते हुये मैं माननीय मंत्री का ध्यान मछली पकड़ने के बारे में दिलाना चाहता हूं जो हमारे तथा हमारे मछेरों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 57 में राज्यक्षेत्रीय सागरखण्ड से दूर मछली पकड़ने और मछली पालन का एक विषय के रूप में उल्लेख किया गया है जिस पर केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करेगी। लेकिन प्रविष्टि संख्या 21 में मछली पालन को राज्य सूची में दिखाया गया है। मेरे विचार में जहां तक मछली पकड़ने सम्बन्धी प्रबन्ध का सम्बन्ध है, 12 मील के भीतर राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और उसके बाद केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। अतः हम विधि मंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या मछली पालन व्यापार का प्रबन्ध और व्यवस्था करने के लिए एकमात्र एजेन्सी बनाना सम्भव है ?

अनन्य आर्थिक क्षेत्र की परिभाषा करते हुये हमने कहा है कि सामुद्रिक पर्यावरण का परि-रक्षण और सुरक्षा तथा सामुद्रिक प्रदुषण का निवारण और नियंत्रण करने के लिये यह अनन्य क्षेत्रा-धिकार है। मंत्री महोदय से हम जानना चाहते हैं कि क्या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में समुद्र में उपलब्ध होने वाले जैविक संसाधन भी शामिल हैं। हमारे 3500 मील लम्बे समुद्र तटवर्ती सीमा पर हमारे मछेरों के लिये यह अत्यधिक महत्वपूण है।

जहां तक मछली पकड़ने के अधिकारों का सम्बन्ध है जब हमने राज्यक्षेत्रीय सागरखण्ड के भीतर मछली पकड़ने की परिभाषा दी है कि यह राज्य सरकार का विषय है, तो क्या इससे हमने राज्य सरकार को अनन्य अधिकार दे दिये हैं कि वह नामोदिष्ट क्षेत्र में आने वाले अन्य लोगों ने रोक सकती है ? क्या भारतीय मछेरों को 200 मील तक मछलियां पकड़ने का पूरा अधिकार है और उसके सागरखण्ड में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आयेगा ? यदि यह सुरक्षित कर दिया गया तो इससे हमारे मत्स्यपालन के व्यापार तथा मछली पकड़ने वाली नौकाओं के विकास पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखेंगे ।

अब सभा मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे पुनः समवत होने के लिये स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 14.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 14.04 बजे पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at four Minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr Deputy Speaker in the chair.

राज्य क्षेत्रीय सागरखण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र विधेयक––जारी

श्री बी० बी० नायक : विधयक के खण्ड 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की प्रभुसत्ता का भारत के राज्य क्षेत्रीय सागरखण्ड तथा समुद्र तट और भूगर्भीय पानी एवं वायुमंडल तक विस्तार हुआ है । हमारे देश के कुछ भागों में 100 कि० मी० लम्बे क्षेत्र में 20 से 30 हजार एकड़ भूमि होती है । इससे लवण भूमि, खार भूमि या लवण जल भूमि कहा जा सकता है । यह नहीं बताया गया है कि ये केन्द्र के क्षेत्राधिकार में आता है या राज्य के । मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट किया जाये और यह पूरी तरह केन्द्र के नियंत्रण के अधीन हो । बम्बई में बैंक के रिक्लेमेशन के बारे में पहले से ही विवाद चल रहा है कि क्या यह बम्बई निगम का है, महाराष्ट्र राज्य का अथवा भारत सरकार का । अतः केन्द्रीय सरकार को ऐसे भूखण्डों के प्रशासन तथा उनके स्वामित्व और अधिकार से सम्बन्ध में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये ।

अंततोगत्वा, इस विधेयक की उपादेयता को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता के आधार पर स्थापित करना होगा । संयुक्त राष्ट्र संघ में समुद्र तट वाले और बिना समुद्र तट वाले देशों की समस्याओं के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है ।

विधेयक के उपबन्ध है कि सरकार 12 कि० मी० की समुद्री सीमा में फेरबदल कर सकती है । इस फेरबदल का अर्थ स्पष्ट नहीं है––क्या इसे बढाया भी जा सकेगा या कम ही किया जा सकेगा ?

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में समुद्री कानून के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा न्यूयार्क में आयोजित समुद्री कानून सम्बन्धी सम्मेलन की उपलब्धियों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस सम्मेलन की अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि अनन्य आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करना है। भारत का समुद्री तट 4000 मील लम्बा है। इसमें लगभग 1280 द्वीप समूह भी हैं। कुछ समय पूर्व हम समुद्र से तेल निकालने में सफल हुये हैं। अध्ययन द्वारा यए भी मालूम हुआ है कि त्रिवेन्द्रम के पास मछलियों का अनन्त भंडार है। और भी अनेक संसाधन समुद्र के नीचे भरे पड़े हैं। इस विधेयक द्वारा हम समुद्र में अपने आर्थिक क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर रह हैं जहां हमारा सब संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होगा। यह सीमा आधार–रेखा से 200 नारीकल मील की गहराई तक होगी।

सौभाग्य से सम्मेलन में कम से कम कुछ मुख्य मामलों में एकमत रहा। हमारे विधि मंत्री द्वारा मामले को प्रभावी ढंग से पेश करने के कारण सम्मेलन में हमारी राष्ट्रीय आकांक्षायें पूरी की गई हैं।

शायद इस बारे में हमने विलम्ब से कार्यवाही की है। अमरीका, कैनाडा, मैक्सिको, बंगलादेश और श्रीलंका आर्थिक क्षेत्र की पहले ही स्थापना कर चुके हैं।

इस 200 मील के समुद्री एकाधिकार क्षेत्र में सजीव तथा निर्जीव संसाधनों के उपयोग की हमें पूर्ण प्रभुसत्ता होगी।

महाद्वीपीय मग्नतट भूमि के बारे में पहले कोई विश्व सम्मत सीमा निर्धारित नहीं थी। इस समययह मामला राष्ट्रपति के आदेश से चल रहा है। इस विधेयक के पारित होने से समुद्री मग्न तट भूमिस्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाएगी। इससे 200 मील के समुद्री क्षेत्र को एकमात्र प्रयोग क्षेत्र माना जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अधिक भी हो सकता है।

डा० हेनरी आस्टिन : इस कानून से निःसन्देह आर्थिक उपयोग के लिए क्षेत्र का समुचित समाधान हो सकेगा। मैं समझता हूं कि समुद्र समस्त मानव जाति की सम्पत्ति है। केवल इसलिए कि हम आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण कर रहे हैं, महाशक्तियों को अपने अड्डे बनाने का अधिकार नहीं मिल जाता।

जहां तक 12 मील के सन्निहित क्षेत्र का प्रश्न है, इसमें युद्ध पोत बिना अनुमति के नहीं गुजर सकते। इस मामले पर भी समुद्री कानूनों सम्बन्धी सम्मेलन में विचार किया जाना चाहिये।

Shri Hari Singh (Khurje): I welcome the Bill which is of very great significance. The Hon. Minister has great legal experience. He has taken part in all the three international conferences on sea laws. This bill is based on well established international conventions on laws of the sea. This Bill is of great importance for the security of the country.

Besides security, the Bill also takes in to consideration the economic aspects. The sea has immense potentiality of various reasons for the benefit of mankind. Provision of 200 miles of economic zone will enable on fisherman to catch many varieties or fish which will not only make up for our requirement of proteins but enable us to earn foreign exchange also.

[Shri Hari Singh]

This Bill has removed the doubts of our neighbouring countries. It would enable us to solve the problem of oil by extracting the same from sea. We believe that India would become self sufficient in oil.

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं सदन के प्रति आभारी हूं कि इस मामले पर अत्यन्त उच्च स्तर का वाद-विवाद हुआ है । समुद्री विधि पर समुद्री विधि सम्मेलन में जो चर्चायें हुई हैं उसके बारे में सामान्यतः मतैक्य है । समुद्री विधि को आर्थिक कानून ही माना जाना आरम्भ है । वास्तव में कई अन्य महत्वपूर्ण मामले भी हैं जिन पर समुद्री विधि सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ है । इस विधेयक में अन्य मामलों को सम्मिलित नहीं किया गया । यहां केवल समुद्री क्षेत्रों संबंधी उपबन्धों पर विचार किया गया है । ऐसे विधेयक में इससे अतिरिक्त मामलों के सम्बन्ध में कुछ करे जाने की सम्भावना नहीं है ।

सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकतर देश इस बात पर सहमत हैं कि समुद्री सीमा 12 मील की होनी चाहिये । इस सहमति के आधार पर ही हमने 12 मील की समुद्री सीमा मानी है । कुछ देशों ने 30 मील का तथा कुछ ने 100 मील का दावा किया था । परन्तु 12 मील के बारे में आम सहमति पायी ।

संलग्न क्षेत्रों पर भी यही बात लागू होती है । यह प्रारम्भ तो उसी स्थल से होता है जहां से क्षेत्रीय स्थल आरम्भ होता है परन्तु यह 24 मील तक जाता है । संलग्न क्षेत्र के बारे में भी सम्मेलन में सामन्यतः सहमति रही ।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 297 में महाद्वीपीय मग्नतट भूमि का उल्लेख था । परन्तु 40वें संशोधन द्वारा जब कि अनुच्छेद 297 में संशोधन किया गया था, अन्य क्षेत्रों, जैसे आर्थिक क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र तथा महाद्वीपीय मग्नतट का उल्लेख भी किया गया है और संविधान के अन्तर्गत ऐसे विधान, जो केवल समुद्री क्षेत्र की सीमा ही निर्धारित नहीं करते वरन् जो हमारे देश द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले क्षेत्रों के मामलों से भी सम्बन्धित हैं, पास करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है । जहां तक समुद्री क्षेत्र का सम्बन्ध है, ये भारत के क्षेत्र हैं, परन्तु आर्थिक क्षेत्र नहीं ।

आर्थिक क्षेत्रों पर देशों की जीवधारी और जड़ संसाधनों का उपयोग करने का अनन्य अधिकार होगा । परन्तु इससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के जल परिवहन अधिकार में कोई बाधा नहीं पड़ती । परन्तु अब क्षेत्रों के निर्धारण के बाद, जब भी ये लागू होंगे, हमें अपने निर्माण-कार्य सम्बन्धी अधिकार की रक्षा करनी होगी । यदि क्षेत्रों का निर्धारण हो जाता है और कुछ क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उन क्षेत्रों से कुछ जहाजों का जाना विनियमित कर दिया जाएगा या उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा जिससे हमारे सुरक्षा निर्माण सुरक्षित रहें । अतः जहाजरानी अधिकार हमारे पास रहेंगे । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इस अधिनियम का उद्देश्य निर्धारित किये जाने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में उपबन्ध करना है ।

जबकि आर्थिक क्षेत्र को 200 मील तक रखने की बात है, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि का आधार दूरी नहीं है । इसका आधार भौगोलिक है । कुछ परिस्थितियों में यह 200 मील की सीमा से, जो आर्थिक क्षेत्र का भाग है, आगे भी हो सकता है । परन्तु किसी भी परिस्थिति में 200 मील तक के संसाधनों की खोज और उपयोग का अधिकार वैसा ही बना रहेगा । किन्तु

यदि महाद्वीपीय मग्नतट भूमि 200 मील से आगे तक है तब उस क्षेत्र में हमें समुद्र के तेल के संसाधनों का ही उपयोग करने का सीमित अधिकार प्राप्त होगा। हम वहां मछली पकड़ सकते हैं; परन्तु समुद्र के तल का उपयोग करने का अवसर सबके लिये खुला है।

इस बात का जिक्र किया गया है कि खण्ड 5 और खण्ड 7 को, जिनका सम्बन्ध निकटस्थ क्षेत्रों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र से है, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनुमति मिलने के दिन से ही लागू क्यों नहीं किया जाता। यह कहना ठीक ही है कि एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आभास नहीं देना चाहिये। हमने मात्र इतना कहा है कि सरकार एक अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर सकती है। इसलिये इन उपबन्धों को लागू करने के उचित समय का निर्णय करने के बारे में हमें स्पष्ट अधिकार प्राप्त हैं।

न्यूयार्क में हुये पिछले सम्मेलन में अमरीका ने इस सिद्धान्त को लागू करने का प्रयत्न किया कि इन आर्थिक क्षेत्रों के स्वीकार किये जाने पर भी, अन्य कार्यों के लिए इन क्षेत्रों को अभी भी गहरे समुद्र का भाग माना जाए।

आर्थिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसन्धान किये जाने का उल्लेख किया गया है। जहां तक जलदूषण और वैज्ञानिक अनुसन्धान का प्रश्न है यह तटवर्ती देश का क्षेत्राधिकार है।

सरकार इसे एक अधिसूचना जारी करके यथोचित तिथि से लागू करेगी।

यह सत्य है कि सम्मेलन के लिये तो इन चारों ही बातों का महत्व काफी अधिक है परन्तु इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक बातें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी कोई निश्चित राय नहीं बन पायी है। तथ्य तो यह है कि खुले समुद्र का क्षेत्र घटता रहता है। अतः हम यह चाहते हैं कि जो लोग सब कुछ अपने लिये ही सुरक्षित करना चाहते हैं, उन्हें कुछ संयम से काम लेना चाहिये।

न्यूयार्क में हुये पिछले सम्मेलन में अमरीका ने इस सिद्धान्त को लागू करने का प्रयत्न किया कि इन आर्थिक क्षेत्रों के स्वीकार किये जाने पर भी, अन्य कार्यों के लिए इन क्षेत्रों को अभी भी गहरे समुद्र का भाग माना जाये।

आर्थिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसन्धान किये जाने का उल्लेख किया गया है। जहां तक जल दूषण और वैज्ञानिक अनुसन्धान का प्रश्न है यह तटवर्ती देश का क्षेत्राधिकार है।

जहाजरानी द्वारा तेल के जलदूषण के सम्बन्ध में कुछ समय पहले एक अभिसमय पर हस्ताक्षर हुये थे। भारत ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये थे। हमारे वाणिज्य नौवहन अधिनियम में तदनुसार संशोधन कर दिया गया था। यह सही है कि उसमें कुछ अन्तर्राष्ट्रीय रियायतें दी गई हैं तथा इन मामलों को राजनयिक सम्बन्धों और कुछ कानूनी विनियमनों आदि द्वारा तय किया जा सकता है। इन मामलों के सम्बन्ध में देश में उचित विधान बना कर कार्यवाही की जानी चाहिये।

मेरे माननीय मित्र श्री नायक ने एक प्रश्न यह पूछा है कि 200 मील का आर्थिक क्षेत्र निर्धारित किये जाने के बाद क्या हमारे मछुए उस क्षेत्र में जाकर अनन्य रूप से मछली पकड़ सकते हैं। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि केवल भारतीय मछुए ही उस क्षेत्र में मछली पकड़

[श्री एच० आर० गोखले]

सकता है। खण्ड 5 में यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि विदेशी सरकार समेत कोई भी व्यक्ति अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संसाधनों की खोज अथवा उनका उपयोग नहीं कर सकता ।

सामुद्रिक सीमा का निर्धारण कुछ मामलों में आपसी बातचीत से कर दिया गया है। श्रीलंका और इण्डोनेशिया सीमा के सम्बन्ध में सीमायें घोषित की जा चुकी हैं। बर्मा, बंगलादेश और मालदीव से भी इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। पाकिस्तान और थाईलैण्ड से भी सीमांकन करने के प्रयत्न चल रहे हैं। इन सीमाओं का निपटारा एकतरफा कार्यवाही के बजाय बातचीत करने के प्रयत्न किये गये हैं।

यह कहा गया है कि अधिनियम में ऐतिहासिक सागरखण्ड को स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐतिहासिक सागरखण्ड है जिन पर तटवर्ती देशों की प्रभुसत्ता है। ऐतिहासिक सागरखण्ड में हमें संसाधनों की खोज और उनका उपयोग करने का अधिकार है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अपने आप में द्वीपसमूही राज्य नहीं हैं परन्तु फिर भी उनमें वे सभी विशेषतायें हैं जो ऐसे राज्यों में होती हैं। परन्तु वे भारतीय क्षेत्र का एक अंग है। परन्तु विभिन्न क्षेत्रों की स्थापना के बाद इन द्वीपों को मिलने वाले लाभ के बावजूद अब हम यह कहते आ रहे हैं कि इन द्वीपसमूहों को राज्यों का स्तर प्रदान किया जाये अन्य देशों ने इसका विरोध किया है परन्तु उस प्रश्न को एक बारगी समाप्त कर दिया गया है क्योंकि हमने इसे न्यूयार्क सम्मेलन में उठाया था और हम इसे भविष्य में भी उठाते रहेंगे।

थल सीमा से घिरे देशों के सम्बन्ध में हमने सम्मेलन में बड़ा की उचित दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि हमारा स्वयं का सम्बन्ध भी नेपाल और भूटान जैसे थल सीमा से घिरे देशों से है। हमने यह निर्णय किया है कि देशों को समुद्री संसाधनों के लाभ से पूर्णतः वंचित न किया जाये। कुछ अन्य देशों की भी इस सम्बन्ध में यही राय थी परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण सहमति नहीं थी। हम यह कहते आ रहे हैं जबकि इन देशों को जीवधारी संसाधनों का उपयोग करने का लाभ दिया जा सकता है ये जड़ संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। परन्तु यह सब आपसी समझौते और बातचीत पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में सामान्यतः हमारा रवैया सहानुभूतिपूर्ण रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्डों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों से सम्बन्धित कुछ विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाएगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 5 पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 5 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motin was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 5 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 9

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 9—16 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 9 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 9 to 16 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक

CONTINGENCY FUND OF INDIA (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि का संग्रह 30 करोड़ से बढाकर 50 करोड़ करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। भारत की आकस्मिकता निधि वर्ष 1950 में संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अधीन 15 करोड़ रुपये के संग्रह से बनाई गई थी ताकि इसमें से ऐसे व्ययों के लिए अग्रिम दिये जा सकें जिन व्ययों के बारे में संसद् ने संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करनी है। वर्ष 1970 में यह निधि 30 करोड़ कर दी गई।

इन 30 करोड़ रुपयों में से 2 करोड रुपये रेल मंत्रालय के लिए आवंटित किये गये हैं और शेष 28 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय का नागरिक, रक्षा तथा डाक तथा तार विभागों के व्ययों को पूरा करने के लिये दिये गये हैं। आकस्मिकता निधि की राशि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर बढाई गई थी। यह राशि 9 फरवरी से 30 अप्रैल, 72 तक बढा कर 100 करोड़ रुपये कर दी गई ताकि बंगला देश की आपात स्थिति से उत्पन्न अतिरिक्त मांगों को पूरा किया जा सके।

हाल में स्थिति की समीक्षा की गई है। वर्ष 1970 में आकस्मिकता निधि की राशि बढाए जाने के बाद से बजट की कुछ राशि दुगने से भी अधिक हो गई है।

इस विधेयक में भारत की रक्षित निधि में से 20 करोड़ रुपया भारत की आकस्मिकता निधि में अन्तरित करने की व्यवस्था की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : यह एक छोटा सा विधेयक है। इस निधि से ऐसे व्यय पूरे किये जा सकेंगे जिनका अनुमान बजट तैयार करते समय नहीं लगाया गया था तथा ऐसी परियोजनाओं के व्यय भी पूरे किये जा सकेंगे जो बजट पास करने के बाद तथा अगला बजट पेश करने से पूर्व शुरू की जानी हैं। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं दे सकती जिसमें आकस्मिकता निधि बनने के बाद उपलब्ध धनराशि पूरी तरह से व्यय की गई है। यह समझ नहीं आता कि आकस्मिकता निधि की राशि 30 करोड़ से बढाकर 50 करोड़ करने की क्या आवश्यकता थी।

सदन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कई बार यह राशि ऐसी मद पर व्यय की जाती है जिस मद पर इस राशि में से व्यय नहीं किया जाना था। आकस्मिकता निधि अधिनियम के स्पष्ट उल्लंघन के मामले भी प्रकाश में आये हैं। एक बार ऐसा भी हुआ कि धन निकाला तो गया आकस्मिकता निधि में से लेकिन लेखों में दिखाया गया कि धन संचित निधि में से निकाला गया है। ऐसा उदाहरण लोक लेखा समिति ने अपने 22वें प्रतिवेदन में दिया है। इससे आकस्मिकता निधि के अनुरक्षण में सरकार द्वारा लापरवाही बरतने का पता चलता है। समिति ने इस मामले की मंत्रालय द्वारा जांच करने की सिफारिश भी की थी। पता नहीं सरकार ने इस सिफारिश पर ध्यान भी दिया है अथवा नहीं। मंत्रालय ने यह भी नहीं बताया कि सभी सिफारिशें भली प्रकार से क्रियान्वित की गई हैं अथवा नहीं।

सरकार को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त है। इस कारण वह लापरवाह हो गई है और मामले के औचित्य अनौचित्य पर विचार किये बिना प्रत्येक कार्य कर रही है। सरकार मनमाने ढंग से धन व्यय कर रही है और विधेयक पास कर रही है।

सरकार का कहना है कि वह आकस्मिकता निधि को 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये करना चाहती है। लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई कारण नहीं दिये हैं। साथ ही, सरकार की लापरवाही के भी कई उदाहरण लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में मिले हैं। इसलिए मैं सरकार के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

Shri M.C. Dagra (Pali): Contingency fund of India was enacted under Articles 267 and 283 of the Constitution. Now Government want to raise the corpus of the fund from Rs. 30 crores to 50 crores through this Amendment Bill. Government have not stated any reason necessitating the raising of corpus of consolidated fund of India. I want the hon. Minister to throw some light on this aspect.

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : श्री डागा की तरह मैं भी यही महसूस करता हूं कि सरकार इस विधेयक को पेश करने के वास्तविक कारण नहीं बता पाई है। हमें केवल इतना ही बताया गया है कि वार्षिक बजट में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आकस्मिकता निधि बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन आकस्मिकता निधि में से धन तभी निकाला जा

सकता है, जब विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जायें। जब ऐसी परिस्थितियों का पहले से ही पता चल सकता है तो राशि भारत की रक्षित निधि में से निकाली जा सकती है, न कि आकस्मिकता निधि में से।

लोक लेखा समिति के 222वें प्रतिवेदन के आधार पर सरकार के भारत की रक्षित निधि तथा लेखा प्रणालियों के प्रति दृष्टिकोण पर विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले को साधारण नहीं समझा जाना चाहिए। मुझे पता है कि शीघ्र ही इस विधेयक को पास कर दिया जायेगा। परन्तु हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि भारत की आकस्मिकता निधि का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। यह एक विशेष निधि है और इसका प्रयोग केवल आकस्मिक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। बाढ तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों से निपटने के लिए भारत की रक्षित निधि में से धन लिया जा सकता है परन्तु आकस्मिकता निधि की परिभाषा वार्षिक आवश्यकताओं, आवर्ती आकस्मिकताओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। केवल यह तर्क देना संतोषजनक नहीं है कि बजट का आकार बढने के कारण आकस्मिकता निधि में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

सरकार को लोक लेखा समिति के आधार पर सरकार द्वारा की गई गलतियों के बारे में पूरी जांच करनी चाहिए। सरकार की कई भूलें प्रकाश में आई हैं। जिस ढंग से नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को नये अधिकार दिये गये हैं, उससे पता चलता है कि सरकार अनुभव पर आधारित सिद्धान्तों को किस प्रकार तोड़-मरोड़ रही है। अतः विधेयक पारित करने से पूर्व हम सरकार से स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हैं।

[श्री एस० एम० स्टीफन पीठासीन हुए]

[**Shri C.M. Stephan** in the chair.]

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : विपक्षी सदस्यों द्वारा इस विधेयक का विरोध करने पर मुझे आश्चर्य है।

भारत की आकस्मिकता निधि वर्ष 1950 में संविधान के अनुच्छेद 267(1) तथा 283(1) के अधीन बनाई गई थी। इससे सरकार को अप्रत्याशित व्यय पूरा करने में सहायता मिलती है जिसमें संसद् द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत होने से पूर्व किसी सेवा पर होने वाले व्यय भी शामिल हैं। ऐसे अवसर प्रायः आते रहते हैं; और सदन के समक्ष अनुदानों की मांगें पेश करने तक प्रतीक्षा करना सम्भव नहीं होता।

वर्ष 1970 में निधि 15 करोड से बढा कर 30 करोड़ कर दी गई थी। वर्ष 1972 में अस्थायी तौर पर यह 100 करोड रुपये कर दी गई थी क्योंकि अचानक बंगला देश युद्ध छिड़ने के बाद विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस निधि में से दल के लिए भी धन व्यय किया गया। यह निराधार आरोप है। इस निधि का प्रयोग सावधानी-पूर्वक और सोच-समझकर किया जाता है। इसे केवल अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

श्री दिनेश जोरदर ने आरोप लगाया है कि सरकार ने लापरवाही से पैसे का प्रयोग किया। लेकिन अपने आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण नहीं दिया।

श्री दिनेश जोरदर : मेरा कहना यह नहीं था। मैं तो केवल इतना जानना चाहता था कि किस वर्ष किस परियोजना के लिए धन की कमी पड़ी और सरकार इस कमी को आकस्मिकता निधि से पूरा करने में असमर्थ रही।

श्री वाई० एस० महाजन : तब तो माननीय सदस्य गत 5 वर्षों में किये गये व्यय का लेखा मांग सकते थे।

एक अन्य सदस्य ने आरोप लगाया है कि जिन आकस्मिकताओं के लिए निधि में से धन निकाला गया, उन आकस्मिकताओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। वस्तुतः आकस्मिकता का पूर्वानुमान लगाया ही नहीं जा सकता। बजट में वृद्धि होने से आकस्मिकताओं का बढना स्वाभाविक है। वर्ष 1970 में हमारे बजट का आकार 5,500 करोड़ रुपये का था जो इस वर्ष 13,000 करोड़ रुपये हो गया। सरकार अपने ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां ले रही हैं और कई कार्य शुरू कर रही है ऐसी परिस्थितियों में धन खर्च होना स्वाभाविक है। मान लीजिए चीन में भूकम्प आया है तो क्या वहां की सरकार संसद् द्वारा अनुदानों की मांगें पूरी करने की प्रतीक्षा करती रहें ? कल्याणकारी सरकार को बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अतः आकस्मिकता निधि की राशि 30 करोड़ से बढाकर 50 करोड़ करना न्यायसंगत है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करती हूं।

सरकार का यह इरादा नहीं है कि आकस्मिकता निधि का किसी अन्य मामलों के लिये बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाये। आकस्मिकता का अर्थ ही यही है जिनकी पहले से कल्पना न की जा सके। इसलिये आकस्मिकता निधि किन मामलों में उपयोग में लाई जा सकती है, उसका पूर्णतः उल्लेख नहीं किया जा सकता।

अक्तूबर, 1975 से विभिन्न राज्यों से अल्प अवधि के कृषि कामों के लिये ऋणों की बहुत मांग रही। इन कार्यों को स्थगित भी नहीं किया जा सकता था। कुल मिलाकर इनके लिये 20 करोड़ रुपया दिया गया। यह अनुदान फलदायक रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना के लिये भी आकस्मिकता निधि से धन दिया गया। सभी राज्यों ने ऐसे अधिक बैंकों की स्थापना की मांग की है।

अनिवार्य वस्तुओं के वितरण के लिये सहकारी पद्धति के विकास के लिये भी पर्याप्त धन की आवश्यकता पड़ी।

सरकार के विरुद्ध डिग्रियों के भुगतान के लिये तथा कई अन्य इसी प्रकार के कारणों से भी आकस्मिकता निधि से धन दिया गया। हम सदा इस निधि पर नियन्त्रण रखने की चेष्टा करेंगे। हम चाहते हैं कि संसद् इसकी स्वीकृति दें। मैं समझती हूं कि विधेयक को पारित करके लोकसभा की शक्ति कम नहीं होगी। जो मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है इससे भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता। बात यह थी कुछ मदों का वर्गीकरण गलत ढंग से हो गया था अतएव लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार इसे निपटाया जा रहा है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बज रही है।

अब कोरम हो गया है।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

सभापति महोदय : : प्रश्न यह है :

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

'कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा सशोधन) विधेयक

Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Second Amendment) Bill

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मखर्जी) : तस्करी तथा विदेशी मुद्रा के गोलमाल के मामलों को रोकने के लिये दिसम्बर, 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (दूसरा संशोधन) अधिनियम अधिनियमित हुआ। 25 जून, 1975 से आपात स्थिति की उद्घोषणा से यह आवश्यक हो गया कि इन व्यवस्थाओं को और दृढ़ बनाया जाये। अधिनियम में धारा 12(क) जोड़ी गयी। इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी क्योंकि उन लोगों के क्रियाकलाप देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये घातक सिद्ध हो रहे थे। सामान्यत: यह विशेष उपबन्ध 25 जून, 1976 को समाप्त हो जाते परन्तु अब इसे उस अवधि तक के लिये बढ़ाया जा रहा है जब तक कि आपात स्थिति बनी हुई है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम–1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दिनेश जोरदर : यदि इन उपबन्धों की अवधि 12 महीने के लिये बढ़ाई जाती तो क्या हानि थी ? क्या सरकार आपात स्थिति को अनिश्चित काल के लिये रखना चाहती है। बेशक मैं वर्तमान व्यवस्था का समर्थन करता हूं। इस उद्देश्य के लिये भारतीय दण्ड संहिता को भी संशोधित किया जाये। ताकि अपराधी व्यक्तियों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जा सकें।

हम जानना चाहते हैं कि उन तस्करों के नाम क्या हैं जो सरकार की विदेशी मुद्रा के संरक्षण तथा आनुषंगिक मामलों में कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। दोषी व्यक्तियों के नाम बताये जायें। अन्यथा लोगों को उनके कुचक्र का पता नहीं चलेगा। दूसरे यदि नाम पता न चला तो जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। लोगों को पता चलना चाहिये कि सरकार ने तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

इस अधिनियम की धारा 12क के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम प्रकाशित नहीं किये गये हैं। उनसे कितना धन प्राप्त हुआ है, यह भी पता नहीं।

आपात स्थिति के बाद ये तस्कर लोग फिर सिर उठा सकते हैं। आप इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयत्न करिये। देश के दक्षिणी और पूर्वी तट पर तस्करी पुन: आरम्भ हो सकती है। हमें पता है कि तस्करी अभी पूरी तरह रुकी नहीं है।

[श्री दिनेश जोरदार]

बड़े-बड़े एकाधिकार गृह विदेश व्यापार करते समय कम या अधिक खर्चा दिखाते हैं। आप पटसन उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग और कई अन्य उद्योगों को सभी तरह की छूट दे रहे हैं। फिर भी ये उद्योग कम या अधिक खर्चा दिखा कर काफी विदेशी मुद्रा खपा जाते हैं। और यह मुद्रा विदेशी बैंकों में जमा करा दी जाती है। क्या आप विदेशी बैंकों से यह धनराशि लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार इस सम्बन्ध में सुनिश्चित पग उठाये।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच): तस्करों और विदेशी मुद्रा का कुचक्र करने वालों ने राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी कार्यवाहियों द्वारा भारी धनराशि एकत्र कर ली थी। इसीलिए सरकार को 1974 में एक विधेयक लाना पड़ा।

आपात स्थिति के दौरान इन तस्करों की अच्छी खबर ली गई है। उनमें से बहुत से तो जेलों में बन्द है। इस विधेयक का समर्थन समूची सभा करती है क्योंकि तस्करों की गतिविधियों से सभी दुखी हैं।

सरकार इस समय यही उचित समझती है कि बड़े-बड़े तस्करों के नाम अभी प्रकाशित न किये जायें। आपात स्थिति के बाद ऐसा किया जायेगा।

इस विधेयक द्वारा सरकार मूल अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार करना चाहती है। तस्करों ने अपना रवैया नहीं बदला है। कई सदस्यों ने कहा कि अभी अपराधियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाये। लेकिन इस समय सामान्य स्थिति नहीं है और न ही ये लोग सामान्य अपराधी हैं। इन लोगों का सम्बन्ध देश और विदेश में बड़े-बड़े लोगों के साथ हैं। इसलिए उनसे निपटने के लिए अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार अनिवार्य है। स्थायी रूप से कोई भी समाधान इस विधेयक के अनुरूप ही ढूंढा जाये अन्यथा समानान्तर अर्थ-व्यवस्था आदि की बुराई से अर्थ व्यवस्था को पुनः खतरा पैदा हो जायेगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता—दक्षिण): महोदय, मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि उनके मन्त्रालय ने देश को तस्करों, सट्टे बाजों और ऐसे व्यक्तियों से बचाया है जिनके पास सरकार की जानकारी के बिना भारी विदेशी मुद्रा जमा थी। यह तो साधारण संशोधी विधेयक है जिसके द्वारा मूल अधिनियम की अवधि को बढ़ाया गया है। आपात स्थिति से पूर्व तस्कर तथा अन्य आर्थिक अपराधी उस समय की स्थिति का लाभ उठा कर न्यायालय से जमानत पर रिहा हो जाते और अपनी सम्पत्ति सहित वे किसी न किसी ढंग से बच जाते थे। अब उनके लिये बचना कठिन है।

इन तस्करों ने अपना एक अलग समाज बना रखा है और वे इसे अपराध न मान कर व्यवसाय मानते हैं जो उनके बच्चे भी अपनाना चाहते हैं। तस्करी न केवल चीजों की होती है बल्कि ये लोग अश्लील फिल्मों का धंधा भी करते हैं।

फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोग जब विदेशों में रहते हैं तो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। सम्भवतया वे इस मुद्रा को विदेशी बैंकों में जमा कर देते होंगे। फिर भी उन्ही लोगों को पद्मश्री से विभूषित किया जाता है और सभी फिल्मी समारोह में उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, वे सत्कार पाते है। अफसोस यही रहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। मन्त्रालय को इस मामले में अग्रेतर जांच करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी लोगों के साथ बिना भेद-भाव के समुचित न्याय मिल सके।

एकाधिकार गृह बिचौलियों के माध्यम से तस्करों के साथ लेन-देन करते हैं। यदि वह पकड़ा भी जाता है तो दण्ड बेचारे बिचौलिये को ही मिलता है। अधिकारियों ने कभी भी यह पता करने का प्रयास नहीं किया कि इसके पीछे वास्तव में किस का हाथ है। यदि वास्तविक अपराधियों का पता लगाने के लिए जांच की जाये तो बड़ी संख्या में बड़े-बड़े व्यापारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। मन्त्रालय को वास्तविक अपराधियों का पता लगा कर उन्हें दण्ड देना चाहिये।

सरकार ने इन लोगों से निपटने के लिए अब अच्छा कार्यक्रम बनाया है। उन्हें न्यायालय भेजे बिना भी हरासत में रखा जा सकता है। लेकिन जो लोग विदेशों में जाकर वहा के बैंकों मे खाते खोलते हैं बेनामी सम्पत्ति खरीद लेते हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

कुछ दिन पूर्व मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा था कि कलकत्ता के एक भूतपूर्व उच्च पुलिस अधिकारी को ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी ने नियुक्त किया है। इस अधिकारी को चार्जशीट किया गया था और दोषी पाया था। अब यह अधिकारी बड़े व्यापार गृहों को सरकारी बातों की जानकारी देता रहता है। मुझे आशा है गृहमन्त्री जी इस विषय से उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

मन्त्रीजी कृपया यह बतायें कि आय-कर और सीमा शुल्क विभाग के कितने कर्मचारियों को पकड़ा गया है क्योंकि ऐसी धारणा है कि ये लोग तस्करों से मिले हुए हैं।

मैं मन्त्री जी और उनके विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होने अपनी जान की परवाह न करते हुए जोरदार कार्यवाही की। आशा है कि वे और कुछ भी कर दिखायेंगे।

श्री सी० के चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मै इस संशोधी विधेयक का समर्थन करता हूं। सरकार ने तस्करों के विरुद्ध अच्छे कदम उठाये हैं। उन्होंने 2,519 व्यक्तियों को नजरबन्द किया है और 346 व्यक्ति फरार हैं। यद्यपि सरकार के पास बहुत शक्ति है तथापि तस्करों के विरुद्ध सरकार को कार्यवाही जोरदार नहीं। यह ठीक है कि 1976 में 12,000 से अधिक मामलों में कार्यवाही करके 12 करोड से अधिक धनराशि का पता लगाया गया। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि तस्करों का सफाया कर दिया गया है। तस्करों द्वारा पैदा की गई स्थिति पर पूर्णतया काबू नहीं पाया जा सका।

देश के पश्चिमी तट पर सरकार ने तस्करी की वस्तुएं आने पर रोक लगा दी है। लेकिन तस्करों ने हथियार नहीं डाले हैं। वे नये मार्ग खोज रहे हैं। अब तस्करों ने अपना एक अड्डा दुबाई से बदल कर रंगून में स्थापित कर लिया है। बंगला देश, बर्मा और नेपाल से लगने वाली हमारी सीमा तस्करों की गतिविधियों का केन्द्र बनती जा रही है।

अभी भी काफी तस्कर फरार हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि किसी भी तस्कर की सम्पत्ति छीनी नहीं जा सकी है। मन्त्री जी इस बारे में एक विधेयक बहुत जोश के साथ लाये थे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सरकार इस देश तथा संसद की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नही कर पाई है।

पर्यटकों, बुद्धिजीवियों तथा अकादमी विज्ञों के रूप में विदेशी तस्कर भी यहां आ जाते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? यह तो अच्छी बात है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी भी लोग इधर-उधर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। आपात-स्थिति के दौरान भी ये विदेशी तस्कर मनमानी करके वापस चले जाते हैं। स्थिति से निपटने के लिए जो तन्त्र है वह अपर्याप्त है।

[श्री सी० के० के० चन्द्रप्पन]

यह विधेयक तो केवल 12 महीनों के लिए है। प्रश्न यह है कि उसके बाद क्या होगा ? क्या आप इस समस्या का स्थाई समाधान खोज रहे हैं। कलकत्ता जैसे नगरों में तस्करी की वस्तुएं खुले आम बेची जा रही हैं। इस प्रकार उनका बाजार में आना रोका जाना चाहिये। यदि आप वास्तव में तस्करी रोकना चाहते हैं तो आप को जनता का सहयोग लेना चाहिये।

सरकार को चाहिये कि वह इस विधेयक को तुरन्त कार्यान्वित करे तभी अपेक्षित परिणाम सामने आ सकते हैं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। तस्करी और विदेशी मुद्रा के कुचक्र को रोकने में मंत्री जी तथा उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

कई लोग आपात स्थिति की आलोचना करते हैं। पर इतना तो वे भी मानेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति इस अवधि के दौरान मजबूत हुई है। इस विधेयक के पास होने पर सरकार को काले धन के परिचालन को रोकने में सफलता मिलनी चाहिये। उससे मुद्रास्फीति भी रुकेगी।

जो लोग विदेशों में गये हैं उनके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिये गये हैं जिससे वे भारत में अधिक विदेशी मुद्रा भेजने लगे हैं। पर यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि वे कितनी विदेशी मुद्रा भारत ला सकते हैं। परन्तु प्रोत्साहन और रियायतें देते समय क्या आपने विदेशों मे रहने वाले उन वेतनभोगी लोगों की दशा पर भी विचार किया है जो अपने वेतन का कुछ भाग इस देश में भेजते हैं ? ऐसे लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। उनकी समस्याओं का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाना चाहिये।

जो भारतीय विदेशों में हैं और भारत में भूमि आदि खरीदने पर कुछ विदेशी मुद्रा व्यय करते हैं। यदि वे उस भूमि का बेचना चाहें तो उन्हें तंग किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। ये लोग अपने वेतन में से देश को बहुमून्य विदेशी मुद्रा देते हैं।

लोग दो तीन वर्ष विदेशों में रहकर छुट्टी पर भारत आते है। आते समय वे अपने रिश्तेदारों के लिये 10-20 साड़ियां लाते हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया जाता है। इस मामले में सरकार का रवैया ठीक होना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति विदेश में काम करता है और वह अपने वेतन का काफी भाग विदेशी मुद्रा के रूप में भारत भेजता है तो उसे अपने रिश्तेदारों के लिये कुछ चीजें लाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

पासपोर्ट जब्त करने सम्बन्धी उपबन्ध का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। इस विधेयक में नजरबन्दी का अधिकार संयुक्त सचिव तक के अधिकारियों को दिया गया है। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि विदेशों में रह रहे सभी व्यक्तियों को तस्कर नहीं माना जाये। विदेश में रह रहे किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब जब्त किया जाता है तो इस मामले की पुन: जांच कैसे की जाती हैं ? अपीलीय अधिकारी कौन है ? यदि किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जाता है तो उसके मामले की जांच करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड है। परन्तु जब किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त किया जाता है तो इस मामले की पुन: जांच करने के लिये आपके पास कौन सी मशीनरी है ? कई मामलों में अन्याय किया गया है। अत: मैं मन्त्री जी से अपील करता हू कि एसे मामलों की जांच करने के लिये कोई अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाये।

आप तस्करों और विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या आपने कम मूल्य के और अधिक मूल्य के बीजक बनाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है? ये स्विस बैंकों में अपना खाता बढ़ा रहे हैं। क्या आपने किसी व्यापारी को इस कारण गिरफ्तार किया है? बड़ी-बड़ी फर्में निर्यात कार्य में लगी हैं। वे कम मूल्य के और अधिक मूल्य के बीजक बनाती हैं और विदेशी क्रेयताओं के लिये स्विस बैंक खातों या विदेशों में अन्य खातों में पैसा जमा करने सम्बन्धी कुछ प्रबन्ध किये हुए हैं। आपने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और वे आज भी फल-फूल रहे हैं। मन्त्री महोदय इस मामले की ओर अवश्य ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri M.C. Daga (pali): It has been stated in the statement of objects and reasons that there would be serious set back to the anti-smuggling operations if the provisions had been allowed to lapse and hence the president promulgated on the 16th June, 1976 the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of smuggling Activities ordinance. Some such situation should be created that smuggling may not increase.

Some smugglers had gone out of the country. The Minister should tell us how many of them have come back to the country as a result of the steps taken against the smugglers by Government. The property of how many smugglers, who had fled to foreign countries, has been confiscated?

There is need for boycotting the use of foreign goods in the country. All foreign smuggled goods which were seized should be destroyed. The persons found in possession of such goods should be penalised. People should be advised to use Indian goods and give up the use of foreign goods.

The object of the present Bill is to extend the life of the present Act of by one year. This problem of smuggliing should not be dealt with on adhoc basis in this manner. Stringent measures should be taken on regular basis to put down smuggling.

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए।
Shri Vasant Sathe *in the chair.*]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मन्त्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि कठोर कार्यवाही करके तस्करी को रोका जा सकता है यदि यह विधेयक न होता और सरकार को यह शक्ति प्राप्त न होती तो बड़े-बड़े तस्करों को जेलों में न भेजा जा सकता। इस समय यह आवश्यक है कि इस विधेयक की अवधि के विस्तार का मतैक्य से समर्थन किया जाना चाहिये।

एक प्रश्न पूछा गया है कि क्या इसके लिये एक स्थायी कानून की आवश्यकता है। यद्यपि कुछ बड़े-बड़े तस्करों को जेलों में बन्द किया गया है फिर भी उनके साथी अभी बाहर हैं। मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि उनके साथियों को जेल भेजा जाये। तस्करों को तब तक पकड़ना मुश्किल है जब तक अधिकारियों को शक्तियां नहीं दी जातीं। उन्हें इन शक्तियों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा।

श्री चन्द्रप्पन ने बताया है कि तस्कर दुबई से अपना अड्डा हटाकर रंगून ले गये हैं। वे हमारी सीमा से कुछ माल भेज रहे हैं। अतः हमारी सीमा की रक्षा की जानी चाहिये। क्या इस देश से तस्करी की गई वस्तुओं का मूल्य कम हुआ है? आंकड़ों से पता चलता है कि 1973-74 में इस देश से तस्करी की गई वस्तुओं का मूल्य आज की तुलना में कहीं अधिक था। इसका अर्थ हुआ कि इसे रोका गया है।

[श्री एस० एम० बनर्जी]

कम मूल्य और अधिक मूल्य के बीजक बनाये जाने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये । सभी बड़े-बड़े व्यापार गृह, विशेषकर पटसन उद्योगों के व्यापार गृह ही इस तरह के कम मूल्य या अधिक मूल्य के बीजक बनाते हैं और वे इस प्रकार स्विस और अन्य बैंकों में विदेशी मुद्रा का संरक्षण कर रहे हैं । हम उनके खातों का पता नहीं लगा सकते । वे बड़े-बड़े अधिकारियों के लड़कों की शिक्षा में पैसे से सहायता कर रहे हैं जिसके कारण वे उनके साथ पक्षपात करते हैं । इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाये ? यह बड़ा कठिन काम है । यदि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है तो कम से कम पटसन तथा अन्य वस्तुओं के मामलों में यथासम्भव कम से कम होना चाहिये ।

इस देश से जेवरों की तस्करी अब भी हो रही है । पुराने राजाओं; महाराजाओं, राजमाताओं और महारानियों के जेवरों की तस्करी की जा रही है । मेरा सुझाव है कि बड़े-बड़े महाराजाओं से जब्त किये गये जेवरों को राष्ट्रीय संग्रहालय में भेजा जाये और यदि ये महाराजा लोग इन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय को दान दें तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिये । तस्करी के द्वारा वस्तुओं को अरब देशों में जाने देने की बजाय उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय में रहने दिया जाये ।

तस्करी की गई वस्तुएं उचित ढंग से बेची जानी चाहियें । उन्हें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी स्टोर या सुपर बाजार के माध्यम से बेचा जाना चाहिये । उन्हें जलाया नहीं जाये । उन्हें खरीदने की अनुमति उन लोगों को दी जानी चाहिये जिन्हें उनकी जरूरत है । इसमें कोई हानि नहीं है । उन्हें समुचित तरीके से खुले बाजार में बेचा जाना चाहिये ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के लिये विदेशों से कुछ सामान लाने की अनुमति होनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Hari Singh (Khurja): I support this Bill. The work done by the custom staff is comm endable. The smugglers not cnly smuggle gold and silver but narctics clothes, medicines. They had destroyed the economy of the country. Officers were under their influence This Bill has strengthened the hands of the Government to haul up the proclaimed offender indul g ing in violation of foreign exchange regulation. Smuggling activities have been checked Thos e who indulge in smuggling activities are very clever.

This bill seeks to strengthen the present law. The smugglers and such other anti-national elements operate their business through foreign pcwers who want to shatter the economy of this country.

We should aim at finshing the smuggling and foreign exchange rackets completely and this bill seeks to achieve that aim.

Confiscatien of the properties of smugglers and their arrests show that our Government is out to deal with this menace.

Those who ccme back to India after spending a pericd of more than six months in foreign countries should not the permitted to bring many articles with them.

I fully support this Bill.

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । तस्करी करने वाले समाज विरोधी तत्वों के बारे में हम सभी जानते हैं इनकी गतिविधियों के कारण देश में मुद्रास्फीति आयी और हर्ष की बात है कि सरकार इस पर काबू पाने में सफल हुई हैं ।

सरकार को तस्करी समाप्त करने के लिये बहुत सी शक्तियां दी गयी हैं । इसमें सन्देह नहीं कि सरकार ने बड़े-बड़े तस्करों को पकड़ लिया है लेकिन खेद की बात है कि श्री यासीन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तमिलनाडु के रहने वाले तस्करों को अब तक भी नहीं पकड़ा जा सका है । श्री यासीन तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री करुणानिधि के समर्थक थे और यही कारण है कि उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है । श्री यासीन कुछ समय पहले सिंगापुर तथा बैंकोक में थे । उसे हर दशा में पकड़ा जाना चाहिये था । तस्करी को समाप्त करने के लिये हमें इस प्रकार के सभी लोगों को पकड़ना पड़ेगा । तस्करी को एक दण्डनीय अपराध समझा जाना चाहिये ।

मुद्रास्फीति तथा मूल्यवृद्धि के लिये तस्कर लोग ही जिम्मेवार हैं । इन लोगों को सजा देने के लिये विशेष कानून बनाये जाने चाहिये । इनके लिये कम से कम दस साल की सजा रखी जानी चाहिये ।

आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के बाद इन तस्करों का क्या बनेगा ? इन लोगों का आज भी समाज में सम्मान किया जाता है । हमें सारे कानून को स्थायी रूप से संशोधित करना चाहिये । इसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है । इनके लिये विशेष कानून विशेष अदालत तथा विशेष दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये । मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि तस्करी के लिये मृत्यु दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये । मुझे बताया गया है कि उन्हें जेलों में हर प्रकार की सुविधायें दी जा रही हैं । उन लोगों के साथ साधारण अभियोगियों जैसा व्यवहार जेलों में किया जाना चाहिये । आखिर वे कोई राजनतिक नेता नहीं जिन्हें जेलों में विशेष सुविधायें दी जायें ।

भारत सरकार को तस्करों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा राशि को वापस लाने के लिये प्रभावशाली कदम उठाने चाहिये ।

तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करने के लिये केवल नोटिस ही जारी किये गये हैं । केवल नोटिस ही जारी करना पर्याप्त नहीं है । इनकी सारी सम्पत्ति को जब्त करने के लिये शीघ्र उचित कदम उठाने चाहियें । ऐसा करने के लिये यही अवसर उचित है । इस समय उठाये गये कदम पर्याप्त नहीं हैं ।

सरकार ने तस्करी विरोधी जो भी अब तक कार्यवाही की है, हम उससे प्रसन्न तथा सन्तुष्ट हैं । इसीलिये हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं । लेकिन सरकार को तस्करी विरोधी अपनी कार्यवाही को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिये ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : इस विधेयक के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । तस्करी का इतिहास बहुत पुराना है । अरब के मुस्लिम देश तस्करी के मुख्य अड्डे हैं । इन देशों में तस्करी को गैर कानूनी नहीं माना जाता है । इसलिये तस्करी की जड़ इस देश में नहीं बल्कि इन्हीं देशों में है जहां इसे गैर कानूनी नहीं माना जाता । हमें इस समस्या का समाधान राजनयिक ढंग से करना चाहिये । मध्यपूर्व के मित्र देशों से हमें इस बारे में बातचीत करनी चाहिये । यदि मन्त्री महोदय को यह सुझाव ठीक लगे तो हमें गुट निरपेक्ष देशों को राजनयिक स्तर पर ऐसा कानून पास करने के लिये कहना चाहिये जिसके अनुसार उस देश के तस्कर अपनी गतिविधियां मित्र देशों के विरुद्ध न चलायें ।

कहा गया है कि विदेशी बैंकों के बारे में कुछ किया जाना चाहिये । स्विटजरलैण्ड जैसे देशों की प्रभुसम्पन्नता को ध्यान में रखते हुये यह कठिन बात होगी । किन्तु कर अपवंचकों के लिए स्वेच्छा प्रकटन

योजना की तरह तस्करों के लिये भी कोई योजना बनाई जा सकती है। उस योजना के अधीन तस्कर विदेशी बैंकों में अपने खाते के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस तरह से सरकार विदेशी मुद्रा एकत्र कर लेगी।

इस विधेयक का उद्देश्य समाज विरोधी तत्वों से निपटना है। इसे देश की संविधि पुस्तिका में स्थायी रूप से स्थान दिया जाना चाहिये।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : तस्करी गतिविधियों के बारे में बहुत कहा जा चुका है। आपातकालीन स्थिति से हुए लाभों का समेकन करने के लिये यह एक उचित अवसर है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कर गतिविधि निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दों के बारे में यद्यपि संसद् ने इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठाने हेतु सभी प्रकार के कानून पारित किये हैं फिर भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। हृदयरोग की बीमारी के बहाने नजरबन्दी नगर में इधर उधर घूमने और तस्करी कार्यों में लगे लोगों से मिलने की पूरी स्वतन्त्रता का लाभ उठा रहे हैं। इन बातों से गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

यह बात ठीक है कि विशेष प्रबन्ध किये गये हैं और एक कलेक्टोरेट की स्थापना की गई है तो भी हमारी पड़ौसी देशों से लगी सीमा के क्षेत्रों में तस्करी की गतिविधियां पूरे जोरों पर हैं वास्तव में कुछ नजरबन्द लोग बड़े आदमियों के, जो उन्हें बचा रहे हैं, साथ मिलकर तस्करी की गतिविधियां चला रहे हैं।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
63वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 63वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके बाद लोक सभा गुरुवार, 19 अगस्त, 1976/28 श्रावण, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 19th August, 1976/ Saravana 28, 1898 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु० न० दि० एल एस-3—1715—एल.एस II-21-9-76—200.